राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक २४ नवम्बर, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८–३० बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २६

जनवरी १९५५ से जयपुर रेन्ज में कुछ पुलिस हैड कॉन्स्टेबल्स को पदवृद्धि देकर एस० आई० बनाना

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी, सन् १९५५ के बाद जयपुर रेन्ज में किन किन हैड कॉन्स्टेबिल्स को प्रोमोशन दिया जाकर ओफीशियेटिंग एस० आई० बनाया गया ?

(ख) उक्त हैड कान्स्टेबिल्स के सीनियरिटी की लिस्ट में कौन कौन से नम्बर हैं ?

(ग) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ज्यादा सीनियर होते हुए भी ऑफीशियेटिंग एस० आई० नहीं बनाये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) १ जनवरी, १९५५ के बाद जयपुर रेन्ज में निम्नलिखित व्यक्ति ओफीशियेटिंग सब इन्स्पेक्टर बनाये गये :

१. श्री भंवरसिंह, २. श्री प्रतापसिंह, ३. श्री लछमन सिंह, ४. श्री जुगलकिशोर ५. श्री राजेन्द्रसिंह ६. श्री अमरनाथ ७. श्री रोशनलाल ८. श्री अम्बालाल ।

(ख) व (ग)—ब्योरा इस प्रकार है ?

[श्री रामकिशोर व्यास]

S. No.	Name	Date of Promotion to present rank.	Seniority No.	Numbr of persons Superseded
1.	Shri Bhanwar Singh	25-1-55	46 of III Group Jhunjhunu	45
2.	Shri Pratap Singh	26-4-55	54 of IV Group	53
3.	Shri Lachman Singh	1-2-55	15 II Group Sikar Distt.	14
4,	Shri Jugal Kishore	1-5-55	D list S. I. of I Group list of H. Cs.	Nil
5.	Shri Rajendra Singh	19-3-55	No. 32 III Group Alwar Distt.	31
6,	Shri Amarnath	21-4-55	10 Group II of Jaipur.	9
7.	Shri Roshan Lal	3-5-55		
8.	Shri Amba Lal	8-7-55	200 of Group IV Jaipur Distt.	195

श्री चांदमल मेहता—जो सीनियर व्यक्ति हैं उनको ऑफिशियेटिंग एस. आई. न बना कर दूसरे व्यक्तियों को बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—उनकी योग्यता के आधार पर।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सीनियोरिटी फिक्स करते वक्त योग्यता भी एक आधार माना गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी हां।

श्री चांदमल मेहता—सीनियोरिटी लिस्ट बनने के बाद क्या उनमें कोई एडीशनल योग्यता आ गई जिसकी वजह से एस० आई० बनाया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—अच्छा काम करते हैं तो एडीशनल क्वालिफिकेशन आ जाती है; जैसे भंवरसिंह, प्रतापसिंह जो ५४ में एस० आई० हैं, उन्होंने डकैतों के पकडने के सिलसिले में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी सेवायें कीं इस वजह से उनको एस. आई. बनाया गया। बाद में जब पी. टी. एस. से केडेट्स आ गये थे तो वे रिवर्ट (revert) कर दिये गये थे।

[श्री रामकिशोर व्यास]

श्री लक्ष्मणसिंह, श्री जुगलकिशोर व श्री राजेन्द्रसिंह ५४ में ऑफिशियेटिंग एस. आई. थे जो अपनी जगह रिवर्ट हो गये थे और बाद में उनको पुनः एस. आई. बनाया गया।

श्री अमरनाथ पहले ए० एस० आई० रह चुके थे, इसलिये बनाया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सन् ५४ में जिन व्यक्तियों को सीनियोरिटी लिस्ट के आधार पर गलत तौर से ऑफिशियेटिंग एस. आई. का स्थान दे दिया गया था, क्या वह आधार भी सब इन्स्पेक्टर बनाने का माना गया?

श्री रामकिशोर व्यास—वह भी एक कन्सीडरेशन था।

श्री अध्यक्ष—ये यह पूछ रहे हैं कि जिनको गलत ऑफिशियेटिंग एस. आई. का स्थान दिया था, उसको भी आधार माना गया है क्या?

श्री चांदमल मेहता—मैं यह पूछ रहा हूँ कि जो व्यक्ति सन् ५४ में एस० आई० के स्थान के लिए अधिकृत नहीं थे और उनको ऑफिशियेटिंग एस. आई. बना दिया गया; क्या वह आधार इसमें भी लागू किया गया?

श्री रामकिशोर व्यास—सीनियोरिटी कम मेरिट्स से जजमेन्ट होता है।

श्री चांदमल मेहता—जब सीनियोरिटी भी मेरिट्स के आधार पर तय की गई तो फिर जो ज्यादा सीनियर थे उनको चान्स नहीं देने के क्या कारण हैं? आपने अभी बताया कि दो व्यक्तियों को विशेष सेवा के उपलक्ष में, डाकुओं से मुकाबला करने के कारण एस. आई. बनाया गया और बाकी जो दूसरे व्यक्ति है उन्होंने ऐसा कौनसा काम किया जिसके कारण एस. आई. बनाना जरूरी समझा?

श्री रामकिशोर व्यास—सीनियोरिटी कम मेरिट्स के आधार पर बनाये जाते हैं।

श्री चांदमल मेहता—मैंने पहले ही अपने पूरक प्रश्न में यह पूछा था कि सीनियोरिटी तय हो जाने के बाद क्या कोई विशेष क्वालिफिकेशन एड हो गई थी, जिसकी वजह से एस. आई. बनाया गया? इस तरह से दो आदमियों के बारे में तो आपने बता दिया, बाकी आदमियों ने क्या अच्छा काम किया, वह भी बता दीजिये?

श्री रामकिशोर व्यास—अच्छा काम करना ही मेरिट होता है।

श्री चांदमल मेहता—दो आदमियों ने अच्छा काम किया, यह मैं मानता हूँ; बाकी ने क्या अच्छा काम किया, वह भी बता दें?

Page No.4

श्री रामकिशोर व्यास—यह आप अलग से सवाल कीजिए ।

प्रश्न संख्या ३०

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, इसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है । इसलिए इसको नेक्स्ट टर्न के लिये रख लिया जाय । वैसे तो इसका उत्तर १७ तारीख को डिस्पेच हो चुका है किन्तु बीच में चार रोज की छुट्टी हो जाने के कारण यह प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ३१

बाडमेर जिले की सहकारी समितियों के हैडऑफिस एवं उनको दिये गये ऋण की वसूली

श्री तनसिंह—क्या पृथक राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बाडमेर जिले में कितनी सहकारी समितियां अभी कार्य कर रही है और उनके हैड ऑफिस कहां कहां पर हैं ?

(ख) इनमें से कितनी समितियों को लोन मिला है व उनकी वसूली का क्या हाल है ? प्रत्येक समिति को कितना कितना लोन दिया गया है ?

(ग) समितियों की संख्या की दृष्टि से बाडमेर जिले का राजस्थान में कौन सा स्थान है ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मन्त्री)—(क) बाडमेर जिले में ५० सहकारी समितियां कार्य कर रही है, उनके हैड आफिस का विवरण संलग्न सूची में है, जो सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) १६ समितियों को ऋण मिल चुका है मगर किश्त अभी देय नहीं हुई है । जिन समितियों को ऋण दिया गया है उसका ब्योरा निम्न प्रकार है । माननीय अध्यक्ष, सूची बहुत लम्बी है । इसकी एक प्रति माननीय सदस्य को तो दे दी गई, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको पढ़ दूं ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष—जब सूची सम्बन्धित माननीय सदस्य को दे दी गई है तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री तनसिंह—यह तो बिल्कुल गलत बात है कि इस सूची की एक प्रति मुझे दे दी गई है, फिर भी अगर वह सदन की मेज पर रख दी गई है तो मैं पर्याप्त समझता हूँ।

श्री अमृतलाल यादव—सूची सदन की मेज पर रख भी देता हूँ और पढ़ भी देता हूँ।

श्री अध्यक्ष—पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं।

श्री तनसिंह—मुझे लिस्ट नहीं मिली और न ऋण की संख्या ही मुझे मालूम है। जब कि इसकी कॉपी मुझे दी जा रही है तो मुझे नेक्स्ट डे इस पर सप्लीमेन्टरी करने की भी इजाजत दी जाय।

श्री अमृतलाल यादव—इसकी कॉपी असेम्बली कार्यालय में कल ही भेज दी गई थी।

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के (ग) भाग का उत्तर नहीं आया।

श्री अमृतलाल यादव—बाडमेर का स्थान बहुत अच्छा है सारे राजस्थान में उसका २२ वां नम्बर है।

श्री तनसिंह—सारे प्रान्त में २४ जिले हैं और बाडमेर २२ वें नम्बर पर है; तो आप उसको अच्छा किस प्रकार मानते हैं?

श्री जवानसिंह—जब २२ वां अच्छा स्थान है तो बुरा स्थान कौनसा है?

(सदन में आवाज "सिरोही को मान लिया जाय")

श्री अमृतलाल यादव—बहुत अच्छे की क्वालिफिकेशन कोऑपरेटिव मूवमेन्ट, उसके स्कोप और फील्ड है।

प्रश्न संख्या ३२

किशनगढ़ सब डिविजन के कुछ तालाबों की नहरों को वर्षा से पूर्व बन्द न करने से तालाबों में जल नहीं रुकना

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ सब डिविजन के किन किन तालाबों की नहरों को बारिस शुरू होने के पहिले बन्द नहीं करने की वजह से तालाबों में पानी ठहर नहीं सका?

(ख) उक्त तालाबों में किस किस तालाब पर कितने कितने पानी का नुकसान हुआ?

श्री रामनिवास मिर्धा (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर सदन के पिछले सत्र में दे दिया गया था और १२ अक्टूबर, १९५५ को यह पूछा गया था, जिसका जवाब उसी दिन दे दिया गया था। अगर आपकी आज्ञा हो तो फिर इसका जवाब दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—No repetition.

प्रश्न संख्या ३३

ग्राम खोरिया (तहसील सरवाड़) में किसान व व्यापारियों के पलंग पर बैठने से जागीरदारों द्वारा मारपीट करने के पुलिस में दर्ज शुदा मुकद्मे

श्री चांदमल मेहता—क्या गृहमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम खोरिया तहसील सरवाड में किसान व व्यापारी वर्ग को पलंग पर बैठने पर जागीरदार लोग मार-पीट करते हैं ?

(ख) १ जनवरी, ५५ के बाद इस तरह की मार पीट के कितने मुकद्मे सरवाड़ पुलिस ने रजिस्टर किये और उन मुकद्मों में किन किन का चालान किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(क) जी नहीं, यह असत्य है। इस तरह की कोई रिपोर्ट थाना सरवाड़ में दर्ज नहीं कराई गई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस तरह की रिपोर्टें की गईं और पुलिस थाने में उन्हें दर्ज करने से इन्कार किया गया और दर्ज नहीं की गईं ?

श्री रामकिशोर व्यास—मेरे खयाल से सही नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस तहसील में इस तरह के वाकयात आम तौर पर होते रहते हैं और रिपोर्ट करने पर थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या आप इस बात की जांच कराने को तैयार हैं कि इस तरह की रिपोर्टें दर्ज करने के लिये प्रार्थना की गई या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—कर सकते हैं ऐसी जांच अगर आप कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स बताएं तो।

प्रश्न संख्या ३४

सवाई माधोपुर व इन्द्रगढ़ आमली की टोंक से चलने वाली बस सर्विसें

श्री रावराजा सरदारसिंह—क्या मन्त्री यातायात विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सवाई माधोपुर व इन्द्रगढ़ आमली की टोंक से किस किस की सर्विसें चलती हैं ?

(ख) उनका क्या क्या टाइम है और कौन कौन मालिक हैं ?

(ग) यह सर्विस कहां कहां होकर के जाती हैं ?

(घ) क्या सवाई माधोपुर व इन्द्रगढ़ सर्विसें उनियारे होकर जाती हैं ?

(ङ) अगर नहीं, तो क्यों ?

(च) क्या सरकार अब इन्तजाम करने की कृपा करेगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(क) सवाई माधोपुर व इन्द्रगढ़ आमली को टोंक में निम्न लिखित व्यक्तियों की सर्विस चलती है :

(१) **टोंक आमली**—श्री महमूद खां २, श्री ईद मोहम्मद १, श्री इब्राहीम १

(२) **टोंक सवाई माधोपुर**—श्री जसवन्तसिंद १, श्री बद्रीप्रसाद कन्हैयालाल १, श्री मेहमूद खां १

(३) **टोंक इन्द्रगढ़**—श्री किल्की प्रसाद १, श्री हाफिज १, श्री जसवन्तसिंह १, जनरल मोटर बस सर्विस १

(ख) **टोंक-आमली**—सुबह १२।३०

टोंक-इन्द्रगढ़—दिन के दो बजे।

टोंक-सवाई माधोपुर—शाम के ४ बजे।

आमली-टोंक—सुबह ७ बजे।

इन्द्रगढ़-टोंक—सुबह ६ बजे।

सवाई माधोपुर टोंक—सुबह ७॥ बजे।

मालिकों के नाम (क) भाग में दिये जा चुके हैं।

[श्री रामनिवास मिर्धा]

(ग) (१) **टोंक आमली**—टोंक, ककोर, उनियारा, अलीगढ़, आमली।

(२) **टोंक सवाई माधोपुर**—टोंक, ककोर, अलीगढ़, चोरू, पचाला, कुसताला, सवाई माधोपुर।

(३) **टोंक इन्द्रगढ़**—टोंक, ममोर, चोकी, बनेडा, खातोली, इन्द्रगढ़।

(घ) नहीं।

(ङ) रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी द्वारा निर्धारित रास्ते ये ही हैं जिन पर गाड़ियां चलती हैं।

(च) यह आवश्यकता होगी तो अवश्य करेगी।

रावराजा श्री सरदार सिंह—पहले यह टोंक इन्द्रगढ़ वाली गाड़ी उणियारा होकर जाती थी, इसके बाद में तहसील आदि बदलने के बाद में वह उनियारा होकर जाना बन्द हो गई और यह सुविधा भी छीन ली गई।

श्री तेजमल बाफना—यह सड़क खराब हो गई होगी साहब।

रावराजा श्री सरदारसिंह—इसके बन्द होने का क्या कारण है?

श्री रामनिवास मिर्धा—इन ऑपरेटर्स ने मिल कर आर. टी. ओ. जयपुर के पास इस बारे में दरख्वास्त की थी। आर. टी. ए. ने सबकी दरख्वास्तें सुन कर यह निर्णय दिया कि तीन में से एक उणियारा होकर जायगी और दो ऊपर बताये हुए रास्ते से होकर जावेगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह—तो सिर्फ टोंक से आमली जाने वाली गाड़ी ही उणियारा होकर जाती है, लेकिन जो टोंक से इन्द्रगढ़ जाती है वह उणियारा को टच करके नहीं जाती। वह तीन मील ऊपर ही होकर चली जाती है।

श्री रामनिवास मिर्धा—ठीक है। हां, कहता हूँ मैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—पर क्यों?

श्री रामनिवास मिर्धा—कारण मैंने बताया कि आर. टी. ए. ने सबकी सुनवाई करके यह निर्णय दिया है कि तीन में से एक उणियारा होकर जावेगी और २ दूसरे रुट से होकर जावेंगी। अब आर. टी. ए. ने यह सब क्यों किया, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। वह अपने आप में क्वाज़ी ज्युडीसियल बोडी है। हम उनमें इन्टरफियर नहीं कर सकते। अगर आपको उसके निर्णय में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं एस.टी. ए. के सामने अपील कर सकते हैं।

रावराजा श्री सरदार सिंह—बात यह नहीं है, यह तो कोई पोलीटिकल मसलहत है

Page No.9

श्री मोहब्बत सिंह—माननीय अध्यक्ष, मुगालता तो नहीं हो जावेगा। इस लिस्ट में जसवन्त सिंह नाम बताया है वह सदन के तो कोई सदस्य नहीं हैं ?

रावराजा श्री सरदार सिंह—क्या अब इजाजत देने की कृपा करेंगे ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह सरकार के हाथ की बात नहीं है। अगर आपको इसमें आपत्ति है तो आर. टी. ए. के पास दरख्वास्त कर सकते हैं !

प्रश्न संख्या ३५

वर्तमान वर्ष में जयपुर डिविजन में कुछ बीड़ों के ठेके सरकार द्वारा स्थगित

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में जयपुर डिवीजन में किन किन स्थानों के बीड़ों के ठेके स्थगित रखने के आदेश सरकार द्वारा दिये गये ?

(ख) उक्त बीड़ों के वापिस दिये जाने के आदेश सरकार द्वारा कब जारी किये गये ?

(ग) बीड़ों के ठेके लम्बे समय तक स्थगित रखने के क्या कारण हैं ?

(घ) किशनगढ़ सब डिविजन के किन किन ग्रामों के किसानों ने कब कब उक्त ठेकों के स्थगित रखने के आदेश को वापिस लेने के आवेदन पत्र प्रेषित किये ?

(ङ) तारीख ३१ अक्टूबर तक किशनगढ़ सब डिविजन में किन किन बीड़ों में मवेशी छोड़ने के आदेश नहीं दिए गए थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, इसका भी उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है।

श्री जवानसिंह—दिवाली की छुट्टियां फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट के लिए ही थीं क्या ?

प्रश्न संख्या ३६

जनवरी १९५९ के पश्चात् शरणार्थियों को मुआवजे के रूप में दी जाने वाली रकमें-विशेषतया किशनगढ़ सब डिविजन में

श्री चांदमल मेहता—क्या पुनर्संस्थापन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.10

[श्री चांदमल मेहता]

(क) एक जनवरी, १६५५ के बाद कितने शरणार्थियों को कुल कितनी रकम मुआवजे के रूप में दी गई ?

(ख) किशनगढ़ सब डिविजन के किन किन शरणार्थियों के मुआवजे के मामले अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्संस्थापन मन्त्री)—(क) जनवरी सन् १६५५ के अब तक १६४३ दावेदारों को ७०,८५,०७५) रुपये मुआवजे के रूप में दिये जा चुके हैं।

(ख) कुल १०६ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से ६३ दावेदारों को मुआवजा दिया जा चुका है और ४३ के प्रार्थना-पत्र अभी विचाराधीन हैं।

श्री चांदमल मेहता—ये किन किन के मामले विचाराधीन हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने अभी बताया ४३।

श्री चांदमल मेहता—मैंने संख्या नहीं पूछी, मैंने तो यह पूछा है कि किन किन के विचाराधीन हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्षजी, नाम पढ़कर सुना दूं ?

श्री अध्यक्ष—जरूर।

श्री अमृतलाल यादव—ये ४३ निम्न सज्जन हैं।

१. श्री नारूमल प्रीतमदास
२. श्री डीयलदास लीलाराम
३. श्री गिदुमल टीकूमल
४. श्री कोढूमल तुलसीदास
५. श्री फागुनमल ठेउमल
६. श्री हुकूमतराय रामचन्द
७. श्री नारूमल पोपटमल
८. श्री आसनदास गेहीमल
९. श्री थांवरदास पमनदास
१०. श्री राजूमल हेमनदास
११. श्री चेतनदास होतचंद
१२. श्री लीलाराम टेकचन्द
१३. श्री नाऊमल कुन्धोमल
१४. श्री वेन्सीमल लालचन्द
१५. श्री मोहनदास लालचन्द
१६. श्री शामदास कुन्धोमल
१७. श्री साधूराम विशनदास
१८. श्री टोपूमल रामचन्द
१९. श्री जैसाराम बाघूमल
२०. श्री चन्दीराम मंधनदास
२१. श्री भूरोमल दूलाहनोमल
२२. श्री हुन्दलदास हरूमल

[श्री अमृतलाल यादव]

२३. श्री चक्कनमल ताबरमल
२४. श्री झामनदास वेंडोमल नारायण दास
२५. श्री शामदास वेंडोमल
२६. श्री चिमनदास थारूमल
२७. श्री लीलाराम परमोमल
२८. श्री हजारीमल जेऊमल
२९. श्री बक्साराम नन्दीराम
३०. श्री मानकमल व्यापारीमल
३१. श्री किशनामल नारूमल
३२. श्री टेडाराम ग्वालदास
३३. श्री उत्तूमल दयालदास
३४. श्री दूलाराम राघोराम
३५. श्री मदनलाल वेंडोमल
३६. श्री लाहोरीदास ताराचंद
३७. श्री जुमडोमल चन्दीराम
३८. श्री गुरुदनोमल मोजोमल
३९. श्री टीकमदास मग्घनमल
४०. श्री रीछूमल रतनदास
४१. श्री दूलादीनोमल साधूराम
४२. श्री मगोचलबाई बल्लीराम
४३. श्री पेसूमल रीछूमल

श्री अध्यक्ष—(श्री चांदमल से) आप किसी खास आदमी का नाम पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, It is a long list.

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, नाम पूछने नहीं पूछने से मेरा मतलब नहीं है। यह तो जनकारी नहीं थी और न दी गई इसलिये पूछ लिया गया है और इसलिये भी कि जब एक बार ऐसा तय किया जा चुका है कि अगर लम्बी लिस्ट हो तो उसकी सूचना दे दी जावे। तो अध्यक्ष महोदय, इस मामले में ऐसा भी नहीं किया गया। यह बात आपके ध्यान में लाने के लिए भी मैंने यह पूछ लिया और यह कहकर मैं यह बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि अब आगे से ऐसी भूल नहीं की जावे और पहले ही ऐसी लम्बी सूची हो तो दे दी जावे।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, प्रश्न था कि कितने लोगों का क्लेम अभी तय नहीं हुआ। अब इसमें मैंने ४३ नाम बता दिये। अब अगर नामों को जानना चाहते हैं तो नाम हैं मौजूद। उनको पृथक देने की जरूरत नहीं थी।

श्री चांदमल मेहता—शायद ऐसा मालूम होता है कि माननीय मन्त्री महोदय ने प्रश्न को पढ़ा नहीं है। (ख) खण्ड में साफ साफ लिखा है कि किन किन शरणार्थियों के मुआवजे के मामले अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं? इसमें संख्या नहीं मांगी गई है, बल्कि नाम मांगे गये हैं। पर अब उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यह तो अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इधर आकर्षित करने के लिये मैंने दुबारा पूछ लिया है।

श्री अमृतलाल यादव—मैंने गौर से तीन दफे पढ़ा है इसलिये जवाब दे रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—यह ज्यादा पढ़ना भी खतरनाक है। (हंसी)

श्री जवानसिंह—एक और पूरक प्रश्न करलूं। इन पीरूमल, सीखूमल, टीकूमल; इन "मलों" के मामले अब तक विचाराधीन क्यों हैं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, प्रश्न संख्या २४। (श्री चांदमल को सम्बोधित करते हुए) कल के सवाल का जवाब ले लीजिये।

प्रश्न संख्या २४

नागोर में हुई डकैतियों में माल की बरामदगी के बाबत

श्री चांदमल मेहता—क्या गृहमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(क) १ जनवरी, ५४ के बाद नागोर ज़िले में कहां कहां डकैतियां हुई ?

(ख) प्रत्येक डकैती में कितना कितना माल लूटा गया ?

(ग) किस किस डकैती में कितना कितना माल बरामद कराया जा चुका है व किन किन लोगों को सजा हो चुकी है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमन्त्री)— क, ख और ग तीनों को मिलाकर जवाब है। विवरण इस प्रकार है:

(कृपया आगे के पृष्ठ देखिये)

Page No.13

[श्री रामकिशोर व्यास]

क.सं.	स्थान डकैती मय नम्बर ता० इत्यादि	लूटागया माल	बरामद हुआ माल	गिरफ्तार, चालान व सजायात्र व्यक्तियों के नाम	केश की वर्तमान स्थिति
१,	ग्राम खाटू प्रथम पत्र सूचना क्रम नं० २ ता० ७. १. ५५ धारा ३९५ भा० दं० वि०. थाना खाटू।	६५०० रुपये	२०० रुपये	१. माधसिंह २. हरिसिंह ३. पोतिया समस्त गिरफ्तार किये गये। ४. सेरिया ५. हनुमान ६. गनपतिया	मुकदमा जैर तज़वीज़ अदालत है।
२.	ग्राम बांसरोली अपराध क्रमांक ६ ता० ११. ३. ५४ धारा ३९५, ३९७ भा० दं० वि० थाना गच्छीपुरा	८५००० रुपये	१३० रुपये	निम्नलिखित तीन डकेत गिरफतार किये गये। १. भवानीदान २. कन्हैया दरोगा ३. भैंरूदान एक शख्स गोली से मारा गया १. शैतानसिंह तीन शख्स अभी भी फरार हैं १. शोबक्ससिंह, २. अखेसिंह, ३. मदनसिंह	गिरफ्तार सुदा व्यक्ति जैर तज़वीज़ अदालत हैं।
३.	चढ़ाऊ प्रथम सूचना पत्र क्रमांक २७ ता० १०. १०. ५४ धारा ३९५ भा० दं० वि० थाना पादू।	२३००० रुपये	कुछ सोने की डेलियां	१. शिवकरना २. गोवर्धनसिंह ३. दुलिया गिरफ्तार किया गया और दो अभी भी फरार हैं।	मुकदमा जैर तज़वीज़ अदालत है।

[श्री रामकिशोर व्यास]

१	२	३	४	५	६
४.	रायरिद् प्रथम सूचना पत्र क्रमांक ३१ तारीख ५. ११. ५४ धारा ३६५ भा० दं० वि० थाना पीलवा	२०२७ रु० १४ आ०	कुछ सोने की डेलियां, करीबन १० तोला। की० ६०० रु०।	१. गोर्धनसिंह २. जसवन्तसिंह ३. लालदास (गिरफ्तार) शेष तीन अभी भी फरार हैं।	गोर्धनसिंह और जसवन्तसिंह चालान कर दिये गये हैं और लालदास जेर तफ्तीश है।
५.	लाडवा डकैती प्रथम सूचना पत्र क्रमांक २५ ता० २६. ११. ५४ धारा ३६५ भा० दं० सं० थाना मेडता।	२८८६ रुपये।	कुछ नहीं	३ अपराधी निम्नलिखित। गोली से मारे गये : १. मोहनसिंह २. शिवनाथिया जोगी ३. सम्पता बिसनोई शेष पांच अभी भी फरार हैं।	जेर तफ्तीश।
६.	कालिवास डकैती, प्रथम सूचना पत्र क्रमांक ८ तारीख २२. ५. ५५. धारा ३६५ भा० दं० सं० थाना मवान्डा।	६००० रुपये।	कुछ नहीं	७ अपराधी। अभी नामजद नहीं है।	जेर तफ्तीश।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बरामदगियाँ बहुत कम हुई हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी हां, जितनी होनी चाहिये थी, उतनी नहीं हुई हैं ।

श्री चांदमल मेहता—बरामदगियां कम होने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास—जो चोर पकड़े गये उन्होंने कबूल कर लिया और सजा हो गई । उनसे माल बरामद नहीं हो सका ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो बरामदगियां हुई उनमें पुलिस का हिस्सा बट गया, इसलिये माल नहीं मिला पूरा ।

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं, यह बिल्कुल गलत है ।

श्री चांदमल मेहता—तो फिर क्या यह जांच कराई जावेगी कि क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने अभी निवेदन किया न कि जो पकड़े गये वे कुसूर मंजूर कर चुके थे इसलिये उन्हें सजा दी गई और इस तरह से माल बरामद नहीं हो सका ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही हैं कि जो लिस्ट आपको विभाग द्वारा यहां बताने के लिए दी गई है वह अपूर्ण है । इसमें से कई डकैतियों के नाम छोड़ दिये गये हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि खोखरा में भी डकैती हुई थी जिसे इस लिस्ट में नहीं शामिल किया गया है ? आप बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसकी तो जानकारी प्राप्त करके ही बता सकता हूँ ।

श्री चांदमल मेहता—जानकारी चाह रहा हूं साहब ?

श्री रामकिशोर व्यास—आपने प्रश्न पूछा, उसके बाद में ऐसी कोई डकैती हो गई हो तो नहीं कह सकता ।

श्री अध्यक्ष—(मंत्री महोदय से) कुछ जानकारी इनको (श्री चांदमल को) ज्यादा है आपसे ।

(हंसी)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में सदस्यों को सूचित करता हूँ कि

[श्री अध्यक्ष]

श्री अर्जुनसिंह डिविजन नम्बर ४ ने २१ नवम्बर, सन् १६५५ से २ दिसम्बर, सन् १६५५ तक विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५४ (अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

Now, Rajasthan Land Revnue Bill, 1954. Clause 47.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४७ पर जो अमेन्डमेन्ट है उसको मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज ४७ का अमेन्डमेंट यह है कि इस क्लॉज ४७ को डिलीट कर दिया जावे। आप स्वीकार करना चाहते हैं ? This amendwent is put by Shri H.K. Vyas and......

श्री दामोदरलाल व्यास—श्री एच. के. व्यास का नहीं है साहब।

श्री अध्यक्ष—Yes. (श्री हिम्मतसिंह को सम्बोधित करते हुए) आप प्रेस करते हैं क्या अपने अमेन्डमेंट को ?

श्री राज हिम्मतसिंह—मेरा अमेन्डमेंट ?

श्री अध्यक्ष—Yes list no. 7, Serial No 168.

श्री हिम्मतसिंह—No, Sir, I dont want to press my amendment,

श्री अध्यक्ष—The Question is that leave be granted for the withdrawal of the amendment moved by Shri Himmat Singh ? Is it the wish of the House ?

(स्वीकृत)

Leave granted.

श्री हिम्मतसिंह—I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष—There is one more amendment put by Shri Bhairon Singh.

श्री दामोदरलाल व्यास—Same as that of Shri Himmat Singh.

श्री अध्यक्ष—But that was not moved.

(विराम)

There was one amendment by Shri Kapil Deo.

श्री दामोदरलाल व्यास—But since the question of the deletion is there, that does not arise.

श्री अध्यक्ष—वह एक्सेप्ट कर लीजिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास—वह तो उसी वक्त एक्सेप्ट कर लिया था । पर अब जो यह क्लाज़ ही डिलीट हो गया है तो इसका सवाल ही नहीं रहता ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो डिलीशन का संशोधन इस क्लॉज नम्बर ४७ पर श्री हरिकृष्ण व्यास ने रक्खा है वह स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया । परिणाम स्वरूप क्लॉज़ ४७ विधेयक में से पृथक किया गया ।

(विराम)

Clause 59, Shri H K. Vyas

(अनुपस्थित)

I think the amendment suo moto drops.

प्रश्न यह है कि क्लाज़ ५९ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लाज़ ५९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

क्लाज़ ६०, श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

It is a very minor amendment

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ ६० विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज़ ६० विधेयक में अंग रुप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज़ ६१, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री भैंरूसिंह (१६)—मैं मव कर दूं साहब ?

श्री अध्यक्ष—No proxy please.

(विराम)

प्रश्न यह कि क्लाज ६१ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज़ ६१ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज़ ६२, श्री हिम्मतसिंह।

Page No.19

श्री हिम्मत सिंह—क्लाज ६२ के बाबत मेरा एक छोटा सा अमेण्डमेन्ट है। मेरे अमेन्डमेन्ट में कसर रह गई है, इसको मैं साफ कर देता हूँ।

श्री अध्यक्ष—अमेन्डमेंट में कसर रह गई ?

श्री हिम्मतसिंह—जी हां।

पेज २७ में लाइन फर्स्ट शुरू होती है :

"may withdraw any case or class of cases from any such revenue officer and may deal with such case or class of cases himself or refer the same for disposal to any other such revenue officer competent to deal therewith."

बाद में मुझको शब्द 'withdraw' जो है उस पर कुछ आपत्ति मालूम हुई कि 'withdraw' शब्द प्रोपर नहीं होता है यहां पर, "call for" ठीक होता है। विथड्रा करने में तो ऐसा होता है कि बिल्कुल विथ्ड्रा कर लिया। आगे चल ही नहीं सकता।

श्री दामोदरलाल व्यास—यही मतलब है, Complete from the file.

श्री वेदपाल त्यागी— No Withdraw fron his file.

श्री हिम्मत सिंह—जो मेरा अमेन्डमेंट है वह यह कि Delete the words 'may deal with such case or class of cases himself or'

यह 'विथड्रा' जो है, इसमें मुझको आपत्ति है। अक्सर यह देखा गया है कि इस तरह के पॉवर...

श्री अध्यक्ष—आपका अमेन्डमेन्ट यह नहीं है।

श्री हिम्मत सिंह—यह है कि 'may deal with' को डिलीट कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष—यही।

श्री हिम्मत सिंह—इसी पर बोल रहा हूं।

'may deal with such case or class of cases himself or' को डिलीट कर दिया जावे।

मेरे कहने का मतलब यह है कि अकसर यह देखा गया है कि दीगर कोर्टों में जो केसेज चलते रहते हैं उनको अकसर अकसर बिना कोई वजह से किसी खास को फायदा पहुंचाने की गरज से उठा लेता है और फिर इसके अन्दर एक बड़ी आपत्ति सी पैदा हो जाती है। आपस में छोटे-

[श्री हिम्मतसिंह]

अफसरों में वैमनस्य सा पैदा हो जाता है, इसलिये इस तरह से अगर पाबन्दी दे दी जाती है विथड्रा करने की और खुद ट्राई करने के लिए, और केसेज़ के लिये, तो इसमें आपस में ही झगड़ा पड़ता है और इसमें करप्शन होने की भी गुंजाइश रहती है, इसीलिये मेरा यह अमेन्डमेंट है। इस तरह के पॉवर देना खतरे से खाली नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा कोई एमेन्डमेंट नहीं है लेकिन एक कॉन्सीक्वेन्शियल एमेन्डमेंट है। यदि आज्ञा हो तो पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष—आप बोल सकते हैं अगर आपका एमेन्डमेंट हो तो।

श्री चांदमल मेहता—मैं दे रहा था लेकिन वह मुझे वापिस लौटा दिया गया है। वह एक साधारण सी बात है। हमने इसमें "लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर" शब्द रखा है, उसको डिलीट करने की बात है। हम पहले तय कर चुके हैं कि कलेक्टर ही लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर होगा तो इस दृष्टि से इसमें से लैन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर शब्द निकाल दिया जाय। यह है मेरा एक साधारण सा संशोधन। वह अगर आज्ञा हो तो ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—No, No.

श्री दामोदरलाल व्यास(राजस्वमंत्री)-माननीय अध्यक्ष, यह जो आपत्ति माननीय सदस्य जो कोटा के हैं, उन्होंने की है वह मेरे खयाल से ठीक नहीं है। ट्रान्सफर ऑफ केसेज़ के पॉवर्स हायर कोर्टस को होते हैं। ट्रान्सफर के अलावा जहां एक एक पर्टीक्युलर केस ट्रान्सफर या Withdraw किया जाता है यह मेरे खयाल से पार्टीज़ को फेवर करने के लिए अपनी फाइल पर अधिकारी ले लें, किसी अमुक पार्टी के कहने पर; यह बात नहीं है। एक प्रोसीजर होता है ट्रान्सफर करने का एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट को। अपनी फाइल के ऊपर किसी केस को मंगाने के पॉवर्स जो हायर कोर्ट्स को हैं वही यहां रखे हैं। यह बात नहीं है कि किसी पार्टी को फेवर करने की बात हो। बहुत से मामलों में पार्टीज़ किसी कोर्ट को Prejudiced देखती है तो दरख्वास्त करती हैं ट्रान्सफर करवाने के लिए। बहरहाल यह प्रोवीजन रखना जरूरी है कि अमुक कोर्ट प्रेजुडिस होकर किसी पार्टी के खिलाफ कोई मुकद्दमा फैसल नहीं कर सके है, इस कारण के अलावा कन्वीनियेन्स ऑफ पार्टीज़ व कन्वीनियेन्स ऑफ कोर्ट्स को ध्यान में रखते, उसे भी मुकद्दमात ट्रान्सफर करने पड़ते हैं, ऐसा हो सकता है कि किसी अदालत में बहुत सारे मुकद्दमात जमा हो गये हैं तो बहरहाल एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रान्सफर करने की आवश्यकता हो जाती है ताकि मुकद्दमात का फैसला जल्द हो सके। ऐसे बहुत से कारणों की वजह से यह प्रोवीजन रखना जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने कहा है उसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि इस तरह के पॉवर्स सब कोर्ट्स को दिये गये हैं, लेकिन कहना यही है कि

Page No.21

[श्री हिम्मतसिंह]

इसका मिसयूज़ ज्यादा होता है और डिस्क्रीशन जो है, ऑफिसर्स ठीक तरह से ऐक्सरसाइज़ नहीं करते हैं। जब कि एक अपील का स्टेज मौजूद है, कोई ऐसा लोअर डिसीजन गड़बड़ का हो तो अपील करने की गुंजायश है तो ऐसे पॉवर्स रखें, हायर कोर्ट्स को ऐसे पावर्स हैं, वहां तक तो ठीक है जैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जैसे कलेक्टर है, लेकिन जैसे कोऑर्डीनेटिंग ऑफिसर या एस. डी. ओ. हैं इनको ऐसे पॉवर्स देना मैं समझता हूँ आपत्ति से खाली नहीं है। इसलिये इस पर फिर विचार कर लें और मुनासिब समझें तो एक्सेप्ट करें।

श्री अध्यक्ष—Should I put it to vote ?

श्री दामोदरलाल व्यास—Yes.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हिम्मतसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ६२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खंड ६२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ६३

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ६३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खंड ६३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

खंड ६४

(विराम)

खंड ६४, श्री चांदमल मेहता ।

श्री चांदमल मेहता—मैं मूव करना नहीं चाहता ।

श्री अध्यक्ष—श्री एच. के व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—माननीय अध्यक्ष, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं, इस क्लांज का ।

श्री अध्यक्ष—किस क्लाँज का ?

श्री भैरूसिंह—क्लाँज ६४ का ।

श्री अध्यक्ष—करिये, विरोध करिये ।

श्री भैरूसिंह—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज ६४ में यह व्यवस्था की गई है कि लेन्ड रेवेन्यू बिल के सम्बन्ध में जितने भी मुकद्मात हों, उन मुकदमात का कोर्ट्स के सामने रिप्रेजेन्टेशन कौन कौन व्यक्ति कर सकेंगे । इस क्लॉज के अनुसार हमने तीन श्रेणियों के व्यक्तियों को यह अधिकार दिया है कि इस प्रकार के मुकद्मात में रिप्रेजेन्टेश कर सके । पहला, जो व्यक्ति स्वयं ऐसे मुकद्मात में फंसा हुआ है या ऐसे मुकद्मात का उससे सम्बन्ध है वह व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर अपने मामले को रिप्रेजेन्ट कर सकता है । दूसरा, हमने रखा है कि उनके जितने रिकग्नाइज्ड एजेन्ट्स होते हैं उन एजेन्ट्स के मार्फत वह अपना सारा का सारा रिप्रेजेन्टेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यु के सामने कर सकता है और तीसरा हमने रखा है:

"(iii) by legal practitioners duly authorised by the parties and competent to practise before such court or officer." लेकिन इन तीनों बातों में जिन समस्याओं का हम हल करना चाहते हैं उसका हल पूरा नहीं होता दिखाई देता है ।

भारतवर्ष में और भारतवर्ष के साथ साथ राजस्थान में भी जहां जहां मजदूरों की संस्थाएं हैं उन मजदूरों की संस्थाओं को हमने अधिकार दिया है कि मजदूर संबन्धी जितने भी कार्य है वे कार्य जब किसी कोर्ट के सामने आते हैं या ऐसे ट्रिब्यूनल के सामने जाते हैं तो उनमें यह आवश्यक

[श्री भैंरूसिंह]

नहीं होता किसी व्यक्ति को एंगेज करके पैसा दे, किसी रिकग्नाइज्ड एजेन्ट जो कि वकील का दूसरा स्वरूप है उसको एंगेज करके पैसा दे, बल्कि उनको सुविधा देने के लिए भारत सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है कि वह व्यक्ति इस प्रकार के आर्गेनाइजेशन को जिनसे कि उसका संबन्ध है, मजदूरों का को आॅर्गेनाइजेशन है, यदि उसका उनसे सम्बन्ध है तो उस आर्गेनाइजेशन के जितने कार्यकर्ता है, उस आॅर्गेनाइजेशन के पदों पर रहने वाले व्यक्ति है उन व्यक्तियों के मार्फत कोर्ट में जाकर अपने रिप्रेजेन्टेशन्स को पेश कर सकता है। वैसी सूरत में मेन्युअल लेबर कन्ट्रीब्यूट करने वाले काश्तकार हैं। वे ऐसे मजदूर हैं जिनको काश्तकार के नाम से संबोधित करते हैं, और जिन काश्तकारों से संबंधित लेन्ड रेवेन्यू बिल कानून हम बनाना चाहते हैं कि सरकार और काश्तकारों के बीच किस प्रकार का संबंध होगा और वे अपने हक़ों को किस प्रकार से रिप्रेजेन्ट कर सकते हैं सरकार के सामने। उसकी जब हम विधि बना रहे हैं उस वक्त हमें सोचना पड़ेगा कि काश्तकार, जो कि मेनयुअल लेबर कन्ट्रीब्यूट करता है उसको वकीलों के चंगुल से कैसे बचा सकते हैं। रिकाग्नाइज्ड एजेन्ट्स को पैसा देकर जो निवेदन करना पड़ता है उनको उससे कैसे बचा सकते हैं, वैसी सूरत में जितने भी किसानों के आॅर्गेनाइजेशन हैं, किसान सभाएं हैं किसानों के छोटे बड़े आॅर्गेनाइजेशन्स हैं, जो आर्गेनाइजेशन्स किसानों की वास्तविक तकलीफों के बारे में ज्ञान रखते हैं, जो सरकार के सामने उनकी तक्लीफों के ठीक ढंग से रख सकते हैं, उन लोगों को अधिकार देना चाहिये कि वे किसानों से संबंधित मामलों को सरकार के सामने या रेवेन्यू कोर्टस के सामने जाकर रख सकें, और उनको उनकी तकलीफों से किसी न किसी तरह से छुटकारा दिलाकर उसमें सुविधा कर सकें।

श्री अध्यक्ष—what is the opposition which the honble member is raising against the clause ?

श्री भैंरूसिंह—वह इसमें नहीं है इसलिए इस क्लॉज़ को पास नहीं करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—Is there any fundamental opposition to the purport and essence of the present clause ? If the hon'ble member wants anything by way of an amendment, that is a different affair. but then what is the fundamental wrong in this clause ?

श्री भैंरोसिंह—इसमें कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष—These are the accepted principles of jurisprudence.

श्री भैंरूसिंह—बल्कि तीनों चीजें बिल्कुल अधूरी हैं और अधूरा कानून बनाना, यह फन्डामेन्टली बिल के बिल्कुल विपरीत है।

श्री अध्यक्ष—The fundamental principles of jurisprudence have been acknowledged in this clause. I don't see any reason or any propriety in opposing this.

Page No.24

श्री भैरोंसिंह—तीनों चीजें दी हैं। उन तीनों चीजों में एक खास चीज रह गई है। यदि वह खास चीज नहीं होती है तो यह सारी तीनों चीजें अधूरी हैं।

श्री अध्यक्ष—No where acknowledged ? किसी पेरेलल एक्ट में बतला दें।

श्री भैंरूसिंह—किसी पेरेलल एक्ट में नहीं हैं और आज तक नहीं हुई हैं और चूंकि यह पहले चीज नहीं हुई इसलिए अब भी न हो, यह उचित नहीं होगा।

श्री भैंरूसिंह—The hon'ble member has every right to speak on any clause but it must be sound and on proper principles.

श्री भैंरूसिंह—ऐसा एक संशोधन था और संशोधन पेश करने वाले व्यक्ति नहीं है, मेरी भावनाओं को मैं मंत्री महोदय तक पहुँचा दूं।

श्री अध्यक्ष—That has been conveyed.

श्री भैंरूसिंह—ठीक है। मैं समझता हूँ कि मेरी भावनाओं की कद्र करते हुए माननीय राजस्व मंत्री, चूंकि भावनाओं को बताने वाला संशोधन नहीं आया है, तो इस चीज की एडजस्ट करने के लिए इस क्लॉज को डेफर कर दिया जाय। यदि डेफर नहीं करेंगे तो एक दूसरा संशोधन उनकी तरफ से पेश कर दिया जायगा तो मैं कोई एतराज नहीं करने वाला हूँ।

श्री दामोदरलालव्यास-वैसे तो इसका जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके बारे में कोई अमेन्डमेंट पेश नहीं हुआ है लेकिन माननीय सदस्य ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए अपनी तरफ से जरूर सुझाव दिया है। लेकिन उनको भावनाएं ऐसी हैं जिनको प्रेक्टिस में कनवर्ट नहीं किया जा सकता। वे चाहते हैं कि किसानों के ओर्गेनाइजेशन को भी मौका दिया जाय कि वे भी अपना रिप्रेजेन्टेटिव भेज सकें। इसके सपोर्ट में आपने ट्रेड यूनियन्स आदि का उदाहरण भी दिया कि लेबर यूनियन को भी रिप्रेजेन्ट करने का मौका दिया जाता है। लेकिन आपको शायद यह मालूम नहीं है कि ट्रेड यूनियन्स के लिए लॉ बना हुआ है और उसी के अन्तर्गत इजाजत दी जाती है। लेकिन किसानों का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उनका रिकोग्नाइज्ड कोई इन्सटिट्युशन नहीं होने के कारण इनका सुझाव मानने में दिक्कत पेश आयगी।

श्री भैंरूसिंह—किसानों का ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से जल्दी बन रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास—वे बन जायेंगे उस समय यदि आप संशोधन लायेंगे तो मैं उसे मंजूर कर लूंगा और हाउस से भी प्रार्थना करूंगा कि उसे मंजूर कर ले, लेकिन आज तो ऐसी कोई बात नहीं है। रहा ऑथोराइज्ड एजेन्ट का सवाल सो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी वकील को ही मुकर्रर किया जाय; वे किसी को भी मुख्तार बना सकते हैं इसलिये वकीलों के चक्कर में पड़ने का कोई डर नहीं है। You can send any body by a proper authority.

Page No.25

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ६५

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ६६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ६७

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में...

श्री अध्यक्ष—That has been accepted That was only a clerical error. Amendment at item No. I can be moved "Delete the word 'made'"

श्री चांदमल मेहता—मैं वह मूव नहीं करना चाहता।

श्री भैंरूसिंह—क्लेरिक्ल मिस्टेक्स तो क्लॉज़ ६५ और ६६ में भी हैं।

श्री अध्यक्ष—वे ठीक कर ली जायेंगी।

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास अपना संशोधन पेश करें।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ६८

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६८ स्वीकार विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया

(विराम)

क्लॉज़ ६९

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री हिम्मतसिंह

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—क्लाज़ ६९ के बाबत मेरा अमेंडमेंट है कि —

"In the last but one line substitute the word 'made' for the word 'publish' and further between the words 'land' and 'to' insert the words 'and in the village." प्रोक्लेमेशन के बाबत जहां तक मेरा ख्याल है they are made and not published. इसलिए पब्लिश्ड के बजाय यदि "मेड" शब्द इस्तेमाल किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

मेरा दूसरा अमेण्डमेंट यह है—"Between the words 'land' and 'to' insert the words 'and in the village'." The clause will then read like this .... "by beat of drum on or near the land and in the village to which it refers." खेतों के ऊपर जाकर

[श्री हिम्मतसिंह]

ढोल बजाने से कोई फायदा नहीं है। यदि ढोल बजाया जाय तो आबादी में बजाना चाहिये ताकि लोगों को मालूम हो सके कि सरकार क्या चाहती है। इसलिये मैंने यह अमेन्डमेंट रखा है। मैं समझता हूँ, उसे उपयुक्त समझकर स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री जवानसिंह—यदि इस संशोधन को मंजूर किया जा रहा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है वरना मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास—If you want to speak, you speak.

श्री अध्यक्ष—आप कहिये, that is not being accepted.

श्री जवानसिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है वह वाकई बहुत ही उचित है इसलिए उनको मान लेना चाहिए था, ऐसा मेरा ख्याल था लेकिन ऐसा महसूस किया जा रहा है कि इसको मंजूर नहीं किया जायगा। बीट ऑफ ड्रम करने से कोई परेशानी होती हो या खर्च का सवाल पैदा हो या कोई दुविधा हो, जिसकी वजह से इसे मंजूर नहीं किया जा रहा है, ऐसी बात तो मेरे ध्यान में नहीं आई। लेकिन यदि हम वस्तुस्थिति को देखें और इस बात का ख्याल करें कि गांव से १ मील, २ मील, ३ मील, ४ मील या पांच मील तक की दूरी खेतों की होती है, वहां पर जाकर ढोल बजाने में ज्यादा परेशानी होगी चाहे वहां कोई आदमी उस समय रहता हो या नहीं। चाहे वह फसल का वक्त हो या नहीं, यदि क्लॉज़ में ये शब्द हैं, "shall by beat of drum"; यदि ढोल बजाना लाजमी है तो खेतों में या उसके आस-पास जाकर बजाना ही पड़ेगा। आप इस स्थिति को देखिए कि यदि गर्मियों में ऐसा सवाल पड़ता है और जब गर्मियों में खेतों में कोई आदमी नहीं रहता उस समय भी यदि हुक्म दिया जाता है कि by bat of drum publish किया जाय तो कर्मचारियों को ४-५ मील की दूरी पर जाकर भी ढोल बजाना पड़ेगा जब कि वहां कोई आदमी नहीं होता।......

श्री अध्यक्ष—But that is not the only place mentioned in the clause. There are so many places where the proclamation will be made.

"whenever a proclamation is issued under this Act, copies thereof shall be pasted in the court-house of the officer issuing it,' secondly. 'at the headquarters of the tehsil within whitch the land to which it refers is situated,' thirdly, 'and at some place of public resort on of adjacent to the land to which it refers', and fourthly, 'if the officer issuing it so directs, the proclamation shall be further published by beat of drum on or near the land to which it refers."

There are in all four places.

श्री जवानसिंह— मैं इसी महत्व पर जोर दे रहा था। हमारे यहां का आज-कल जैसा ढांचा है, जैसा लोगों का ज्ञान है, जितनी एज्युकेशन है, हमारे समाज में और प्रान्त में पढ़ाई जिस हद तक फैली हुई है इन तमाम चीजों को देखते हुए यह आवश्यक समझा जाता है कि यदि पब्लिकेशन देना है तो बाई बीट ऑफ ड्रम से होना चाहिए। म्युनिसिपल बिल और पंचायत बिल हमने पास किये हैं उनमें भी बीट ऑफ ड्रम की अहमियत मानी है। जब हमने इसकी अहमियत मानी है तो हमें यह देखना चाहिए कि जब हमारे यहां एज्युकेशन की कमी है, लाइब्रेरी आदि में जाकर लोग अखबार नहीं पढ़ सकते, यह नहीं देख सकते कि नोटिस में क्या छपा है: इसलिए यह आवश्यक है कि जिन जिन जगहों में पब्लिकेशन करना चाहिये वहां पर बाई बीट ऑफ ड्रम से करना चाहिए।

तो मैं इस चीज पर जोर दे रहा था कि जब हम यह मानते हैं कि बाइ दी बीट ऑफ ड्रम्स से होना चाहिये तो वहां गांव में बीट ऑफ ड्रम होना चाहिये, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस बात के विषय में झगड़ा चल रहा है, इस बारे में सरकार प्रोक्लेमेशन कर रही है। इसलिए इस तथ्य को नहीं भूल जाना चाहिए कि ४-५ मील की दूरी में जहां कोई आदमी नहीं रहता है वहां बीट ऑफ ड्रम कराया जाय। इससे कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा। इसलिए यही ठीक होगा कि यह जो अमेंडमेंट पेश किया गया है उसे स्वीकार किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास [राजस्व मंत्री]—माननीय अध्यक्ष, जहां तक अमेंडमेंट के पहले पार्ट का सवाल है वहां शब्द 'मेड' के जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

जहां प्रोक्लेमेशन इश्यू करने का है वहां पहले सेक्शन में आ गया है और वहां लिखा है "Whenevr a proclamation is issued under this Act............"

So pudlication is different from making. proclamation is made and then issued.

पब्लिकेशन का जहां लिखा है वहां इस प्रकार का प्रोविजन है।

"by beat of drum on or near the land to which it refers".

इसलिये मेरा ख्याल है कि इसको कोई आवश्यकता नहीं है कि सब्स्टीट्यूट किया जाय, शब्द 'पब्लिकेशन' को शब्द 'मेड' से। That word is already there. The word issued is there and therefore the word 'made' is not at all necessary. Publication is the appropriate word and in C.P.C. also a similar word exists.

दूसरा प्रश्न है वह तो मेरे ख्याल से जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बतलाया यह साफ है कि यहां इस प्रोक्लेमेशन के लिये अदालत के कमरे के बाहर पब्लिक प्लेस में ब-जरिये इश्तहार ऐलान करने का तरीका है तो प्रोक्लेमेशन करने का तरीका रखें कि गांव के अन्दर ही हो, यह इन्सर्ट करना जरूरी नहीं है।

[श्री दामोदर लाल व्यास]

It is already there; "Public place or public resort on or adjacent to the land to which it refers,........" Public place or a public resort will be somewhere in the village in which the land is situated.

तो फिर अपने आप गांव आ जाता है 'and, therefore, it is not necessary to accept this amendment.

श्री जवानसिंह—It will be a cry in wilderness.

श्री वेदपाल त्यागी—ढोल बजाने का है।

श्री दामोदरलाल व्यास—ढोल बजाने का शब्द जहां से सम्बन्धित है वहीं बजेगा ..... It should be proclaimed by beat of drum at the very place or land to which the notice concerns.

गांव में सम्बन्धित जगह नोटिस लगा देवें, That is a sufficient notice for the public. They can very well see it.

मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि जहां जहां प्रोक्लेमेशन का प्रोविजन है वहां देखेंगे कि proclamation by beat of drum जिस जमीन से ताल्लुक रखता है वहीं कराया जाता है। इस proclamation by beat of drum का मतलब यह है कि जिसका जमीन से ताल्लुक है, और जो जमीन से ताल्लुक रखता है उसको या आस-पास के जो लोग हैं उनको मालूम हो जाय कि नोटिस का ऐलान has been proclaimed by beat of drum and that is all that is required.

यह नहीं है कि गांव के अन्दर ढोल से ऐलान यदि किया जायगा, किस तरह लोगों को बताया जायगा कि अमुक जमीन के बाबत ऐलान है। The purpose is only to make the concerned neighbours acquainted with that proclamation and that purpose is served only when it is proclaimed near the land.

श्री वेदपाल त्यागी— Or के बजाय and कर दिया जाय

"On and near the land to which it refers".

श्री दामोदरलाल व्यास—Not necessary.

राव श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—बड़ा आश्चर्य होता है मन्त्री महोदय से इस प्रकार की बातें सुनकर। प्रेक्टिकल साइड और है और थियोरिटिकल साइड और है। मैं समझता हूँ कि प्रेक्टिकल अनुभव नहीं होने के कारण ही इस तरह की बातें की जाती हैं।

श्री अध्यक्ष—No personal remaks.

राज श्री हिम्मतसिंह—"पर्सनल" नहीं कह रहा हूँ। पब्लिक पर किसी भी चीज का क्या असर पड़ता है, इस चीज को निगाह में बगैर रखे ही हम लेजिस्लेशन बना देते हैं।

श्री अध्यक्ष—जवाब दीजिये इस पोइन्ट पर।

राज श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—जवाब दे रहा हूँ। जब आपने कह दिया कि तहसील के दरवाजे के स्थान पर इश्तिहार लगा दिया। पहले तो लोग इतने पढ़े हुए नहीं हैं कि इश्तिहार को पढ़ सकें। यों तो यह कहा जा सकता है कि गजट में निकाल दिया है यही काफी है, पर गजट की कॉपी गांवों में पहुँचती नहीं है, इसी तरह प्रोक्लेमेशन की कॉपी का सवाल है। अदालतों के दरवाजे पर सैकड़ों तरह के कागजों की कॉपियां लगी हुई होती हैं, उन्हें कौन पढ़ता है? सवाल बीट ओफ ड्रम का है और इससे लोगों को मालूम हो जाना चाहिये।

अगर आप यह चाहते हैं कि लोग-बाग अन्धेरे में पड़े रहें तो बहुत खुशी की बात है, पर इसका नतीजा आगे जा कर अच्छा नहीं निकलेगा। किसी बिचारे का अहित हो जायगा।

तो इस बात का ताज्जुब होता है कि सरकार इस बात की लोगों को इत्तला भी नहीं करना चाहती है। सरकार की जैसी मरजी है, चाहे जो करे।

श्री अध्यक्ष—इसमें नाराज होने की बात नहीं। प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६९ पर जो संशोधन श्री हिम्मतसिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

श्री जवानसिंह—अभी विचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—No, these are mutual talks which should by discouraged in the House.

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

क्लॉज़ ६९ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

Page No.31

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

धारा ७०, श्री हिम्मतसिंहजी।

राज श्री हिम्मतसिंह—I don't want to move my amendment,

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७० विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

क्लाज़ ७० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज़ ७१

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ ७१ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज़ ७१ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज़ ७२, श्री श्यामलाल गोयल।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लाज़ ७२ में एक बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, जो एडजोर्नमेंट के लिये है कि किसी भी केस की हियरिंग को एडजोर्न किया जा सकता है। इसमें यह है कि "(2) The place of an adjourned hearing of a case or proceeding

Page No.32

[श्री श्यामलाल गोयल]

shall be intimated at the time of the adjournment te such of the parties and witnesses as are present."

मैंने इसमें एक जरूरी फोर्मल वर्ड "time" और जोड़ने के लिये संशोधन रखा है कि "place" के पहले "time" और लगा दिया जाय।

"(2) The time and place of an adjourned hearing........."

जब हम कोड बना रहे हैं व प्लेस को एनाउन्स करते हैं तो टाइम भी बता देना जरूरी है। यह मेरा छोटा सा अमेंडमेंट है। मैं आशा करता हूँ कि इसे स्वीकार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—"(2) The place of an adjourned hearing of a case or proceeding shall be intimated at the time of the abjournment to such of the parties and witnesses as are present." आप चाहते हैं, "The time and place"

श्री दामोदरलाल व्यास—मुझे स्वीकार है साहब।

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्यामलाल जी गोयल ने क्लॉज़ ७२ के अन्तर्गत रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ७३, श्री हरिकृष्ण व्यास।

Page No.33

[श्री अध्यक्ष]

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ ७३ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७३ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज ७४, श्री छीतरलाल शर्मा ।

श्री छीतरलाल शर्मा—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज में मेरा संशोधन २०३ नम्बर पर है और वह यह है कि इस क्लॉज में जो प्रोविजो है वह हटा दिया जावे । इस प्रोविजो की मंशा यह है कि अगर अदालत खर्चा दिलाना चाहती है तो दिलावे ओरीजिनल क्लाज़ में यह है कि रेवेन्यू कोर्ट उसे खर्चा दिलाती है जिसे मुनासिब समझती है, जब अदालत ऑर्डर देगी तब खर्चा मिलेगा । यह इस क्लाँज़ में मौजूद है तो फिर यहां इस प्रोविजो को रखना वाजिब नहीं । इसलिये मेरी यह अर्ज है कि यह संशोधन स्वीकार किया जावे और इस प्रोविजो को डिलीट किया जाना चाहिये ।

श्री श्यामयाल गोयल—मेरा भी इस क्लाज पर इसी प्रकार का अमेंडमेंट है । मैं इसको सपोर्ट करना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—The amendment is that the proviso be deleted.

I think this should be accepted.

श्री दामोदरलाल व्यास—Acecpted.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री छीतरलाल ने रखा है, उसे स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७४, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ।

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७४ संशोधित रूप से विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ७५, श्री श्यामलाल गोयल ।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, क्लाज ७५ में "करेक्शन ऑफ एरर और ओमिशन" के लिए प्रोविजन किया गया है और इसके लिए ६० दिन की अवधि रखी गई है । इसमें मेरा संशोधन यह है कि इसके लिए ६० दिन की मियाद जो रखी गई है उसको हटा दिया जावे और करेक्शन्स और ओमिशन्स किसी भी वक्त करने का पार्टीज़ को हक होना चाहिये । क्लॉज़ इस तरह है, "75. Correction of error or omission.— Any revenue court or officer by whom an order has been passed in any proceeding under this Act may, within ninety days of such order, either of his own motion or on the application of a party, correct any error or omission, not affecting a material part of the case, after such notice to the parties as may be necessary."

तो यह एमेन्डमेंट होगा । यह सिर्फ क्लेरिकल गल्ती रह गई होगी, उसके लिये होगा और इसके लिये मियाद रखना ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—क्यों साहब, इनहेरेन्ट पॉवर्स ......

श्री दामोदरलाल व्यास—Yes, sir.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्यामलाल गोयल ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७५, संशोधित रुप से, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७५ संशोधित रुप से विधेयक में अंग रुप से जोड़ा गया ।

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

क्लॉज ७६, श्री चांदमल मेहता ।

श्री चांदमल मेहता—मैं मूव करना नहीं चाहता ।

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास ।

(अनुपस्थित)

क्लाज ७५ में जो एमेन्डमेंट है मेरे पास इस तरीके से है "Delete the words 'within 90 days of such order'," The amendment which was moved by Shri Shyamlal Goel was 'within 90 days' but it will not carry the sense unless the words are 'within 90 days of such order'."

These wordings should be deleted.

श्री दामोदरलाल व्यास—Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष—७६, श्री चांदमल अपना एमेन्डमेंट मूव करना नहीं चाहते । श्री हरिकृष्ण व्यास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७६ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७७ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा जाय ।

(विराम)

क्लॉज़ ७८, श्री हरिकृष्ण व्यास ।

Page No.36

[श्री अध्यक्ष]

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लजेज ७९ व ८०

((विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाजेज ७९ और ८० विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७९ और ८०, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ८१, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे जो दो एमेन्डमेंट्स हैं उनमें से मैं एक एमेन्डमेंट को मूव करना चाहता हूँ और वह इस प्रकार है ; "Insert the words, 'other than costs between party and party' after the word 'costs' in line one."

अध्यक्ष महोदय, क्लाज़ ८१ इस प्रकार है :

"Recovery of fines and costs—All fees, fines, costs and other moneys ordered to be paid or recoverable under this Act shall be recoverable as if they were arrears of land revenue."

मौजूदा क्लॉज़ के मुताबिक यदि एक पार्टी को दूसरी पार्टी से कोई कोस्ट दिलाई जाती है तो वह लेन्ड रेवेन्यु के एरियर्स की तरह से वसूल होगा। उसके माफिक उसकी अगर जमीन भी नीलाम करके रकम वसूल करनी जरूरी हो तो किया जा सकता है। हमने टीनेन्सी एक्ट में इस तरह की व्यवस्था की है कि किसी भी सूरत में काश्तकार की जमीन नीलाम नहीं की जा सकती। इसमें

[श्री चांदमल मेहता]

नीलाम करने की व्यवस्था की गई है जो मैं सोचता हूं कि कतई उचित नहीं होगा और मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस एमेन्डमेंट को स्वीकार करेंगे।

श्री भैरूसिंह (वि. सं. १९) माननीय अध्यक्ष, मैं किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध करता हूं।

माननीय अध्यक्ष, हमने इस क्लॉज़ के जरिये इस बात की व्यवस्था की है कि फीस, फाइन्स आदि जितनी भी रकुमात होगी, जिन रकमों को रेवेन्यू बोर्ड की आज्ञा से किसी पार्टी को देना पड़ेगा वे सब रकमें लेन्ड रेवेन्यू के तौर पर वसूल की जावेंगी। फीस, फाइन्स भी लेन्ड रेवेन्यू की तरह से लिये जावेंगे और कोई केस करेगा उसमें जितना रुपया खर्च होगा वह खर्चा भी लेंड रेवेन्यू की तरह से वसूल किया जावेगा, यह इस क्लॉज़ में है।

परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य का जो संशोधन है उसके द्वारा यदि उसको स्वीकार कर लिया गया तो जो व्यवस्था बनती है वह व्यवस्था उल्टी और पेचीदा बन जायगी। जहां लेंड रेवेन्यू केश और काइन्ड में वसूल करते हैं उसी तरह से यह कॉस्ट भी वसूल की जायगी। यह व्यवस्था तो ठीक प्रतीत होती है। यदि इस व्यवस्था में परिवर्तन किया जायगा कि जो पार्टीज़ मुकदमे-बाजी में फंसी हुई है, किसी एक पार्टी ने धोखा करके दूसरी पार्टी को आर्थिक संकट में डालने का प्रयत्न किया है उसको जलील किया जाय और दूसरी पार्टी को जो खर्चा हुआ है दिलाया जाय, डिफेन्स में जो खर्चा हुआ है वह दिलाया जाय तो यह एक तरह का खर्चा नहीं है, यह तो एक प्रकार का जुर्माना है। उसमें जितना खर्च किया उसमें से वकीलों का खर्चा निकाला। बाकी जितना खर्चा रहता है वह उसको ही दिलायें और उसके लिए दूसरा ही प्रोसिजर एडोप्ट करें कि वह उसके लिए दावा करे, कोर्ट से उसके लिए डिक्री ले और फिर डिक्री का एक्ज़ीक्युशन हो, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जो खर्चा निर्धारित किया गया है वह भी वह आसानी से वसूल नहीं कर सकेगा और केवल मुकदमाबाजी में फंसेगा, जब कि आज आवश्यकता है कि कम से कम मुकदमाबाजी हो, मुकदमाबाजी को डिस्करेज किया जाय और खास तौर से जो झूठे मुकदमाबाजी होती है उनको डिस्करेज किया जाय; जो कोर्ट कॉस्ट निर्धारित करे वह लेंड रेवेन्यू के अनुसार वसूल हो। अगर ऐसा नहीं किया जाता है और जैसा कि संशोधन प्रस्तुत किया गया हैं उससे तो इस कॉस्ट के लिए वापिस सिविल कोर्ट में दावा करना पड़ेगा, उसके लिए डिक्री हासिल करनी पड़ेगी और फिर डिक्री का एक्जीक्युशन कराना पडेगा। तो इस सारी व्यवस्था को देखते हुए मुकदमेबाजी के झगडों से छुटकारा दिलाने के लिए जो बिल में व्यवस्था की गई है वह ही उचित है और यह जो संशोधन है वह स्वयम् मुकदमेबाजी को बढ़ाने वाला संशोधन है। अतः उसको अस्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास — यह सिद्धांत तो ठीक है कि बिट्वीन पार्टीज कॉस्ट रियेलाइज़ की जाय but that should not be realised as airrears of land revenue.

इसलिए मैं उचित...

Page No.38

श्री अध्यक्ष—What will be the force or sanctity of this order ?

श्री दामोदरलाल व्यास—This will be realised as an executive decree. Ordinarily this is what we do everyday.

श्री वेदपाल त्यागी—Uuder what provision ? Decree is not passed about this cost. Cost is to be realised separately.

श्री दामोदरलाल व्यास—Decree is not passed ? When cost is awarded, a decree is always given,

श्री वेदपाल त्यागी—Not the least.

श्री अध्यक्ष—Not in the revenue courts.

श्री वेदपाल त्यागी—Decree is never given for the cost. Therefore, the cost has to be realised, not as decree......

श्री दामोदरलाल व्यास—What I mean to say is that cost is awarded by a court against any parties when the amount of the cost will be realised as is ordinarily done in civil courts and other cases.

श्री अध्यक्ष—It depends upon the ultimate decision of the case in civil courts,

श्री दामोदरलाल व्यास—That is what I said.

श्री अध्यक्ष—But there will be no use passing of an order for the cost where the date expires,

श्री वेदपाल त्यागी—That is correct, Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास—As a matter of fact, in civil courts and in other courts these are realised as a decree, and to the party to whom costs are to be givin; of course, there are other provisions also, but so far as the costs are concerned, they are to be realised by means of attachment and not as land revenue,.

श्री अध्यक्ष—I do not know.

राज श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—इसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाय ताकि आप इस पर फिर विचार कर ले और अच्छे निर्णय पर पहुँच जांय, वरना इसको झगड़ेबाजी में डालना ठीक नहीं है ?

श्री भैरूं सिंह (१६)—इनको मुकदमें बाजी से फंसाना है।

श्री दामोदरलाल व्यास—I do not understand properly what Mr. Tyagi wants to say.

श्री वेदपाल त्यागी—I only want to explain that the jurisdiction of the Revenue Courts is different. These have to deal with matters which do not quite go to the civil courts. They have to decide the question of rights inter se and there are many other things in which people are involved e. g., जमीन का मामला है; किसी ने फेबुलस दरख्वास्त दे दी इसलिए ऐसी सूरत में कोई आदमी फेबुलस दरख्वास्त दे देता है तो उसके लिए डिक्री नहीं करेगी। सिविल में तो ऐसा होता है कि सूट किया जाता है; उसके लिए फिर डिक्री होती है और फिर डिक्री का एग्ज़ीक्युशन; लेकिन रेवेन्यू में ऐसा नही किया जाता है। राइट के तौर पर सूट के जरिये वसूल करे। लेकिन रेवेन्यू में तो सिवाय इसके कि वे लोग जाकर वसूली करें और कॉस्ट रियेलाइज करें एप्लीकेशन पर।

श्री चान्दमल मेहता—आज्ञा हो तो मैं भी इस पर कुछ और प्रकाश डाल दूं।

श्री अध्यक्ष—I think the point is quite clear.

श्री दामोदरलाल व्यास—I understand, but so far as the question goes, Shri Tyagi has given a suggestion which I fail to understand because in revenue courts whatever the nature of the case may be, generally when the costs are awarded decree is always, framed. Is there any case when a decree is not framed?

श्री वेदपाल त्यागी—जो चीज है वह तो एप्लीकेशन पर डिसाइड होती है, वहां पर डिक्री नहीं बनती है।

Whatever it may be, as a matter of fact it may be ordinary courts.

श्री अध्यक्ष—But what is the sanctity and force behind that order because......

श्री दामोदरलाल व्यास—That order will be executed as a decree.

श्री अध्यक्ष—After the lapse of several years. Any way, I have no objection in whatever way the laws are passed.

श्री दामोदरलाल व्यास—It may be deferred. As a matter of fact this amendment has been borrowed from the U.P. Land Revenue Act, therefore he has suggested that this should be done. But because the suggestion has come from a very eminent lawyer I think I should be given some time to think over it.

Page No.40

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ डेफर किया जावे ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(विराम)

क्लॉज़ ८२

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज ८२ विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

क्लाज ८२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया

(विराम)

Yas, Shri Shyam Lal Goel. He wants to insert a new clause after 82,

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष महोदय. मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि क्लॉज़ ८२ के बाद एक नया क्लॉज़ ८२ ए और एड कर दिया जावे, और वह इस तरह से हो.....

"82 A. Application of Act V of 1908- The provisions of the code" of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act shall apply to all cases and proceedings under this Act."

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो लैंड रेवेन्यू कोड बन रहा है उसमें जो चेप्टर चल रहा है, चेप्टर ४, उसमें प्रोसिजर रेवेन्यू कोर्ट्स एन्ड ओफिसर्स के मुतल्लिक है । इस कोड को देखने से यह क्लियर होता है कि जिस तरह से भी लेंड रेवेन्यू मेटर्स में लेंट रेवेन्यू कोर्ट्स प्रोसीड करें गी उसका प्रोसिजर इसमें है और जहां लिमिटेशन एक्ट को एप्लाई करना है या सिविल प्रोसिजर कोड को एप्लाई करना है वहां पर्टिकुलर सेक्शन्स को रख दिया है, लेकिन यह अनुभव की बात है और जिसके लिए मैं अभी बहुत से इन्स्टान्सेज़ सदन के सामने रखूंगा जिनसे स्पष्ट हो जायगा कि सिविल प्रोसिजर कोड का एप्लीकेशन जरूरी है क्योंकि बहुत से मेटर्स ऐसे रह गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—Accept it ?

श्री दामोदरलाल व्यास—I want to hear it, because we have already provided a procedure in this Act. I want to hear what he wants to say,

Page No.41

श्री श्यामलाल गोयल– तो अब मैं वे इन्स्टान्सेज़ बताता हूँ कि जिन इन्स्टान्सेज़ में यह इस वक्त कोड है उसमें वेक्यूम रहता है। फोर इन्स्टान्स, अभी छोटा सा मामला आ गया था, क्लाज ८१ के मुतल्लिक कि कास्ट का एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा। इसमें कोई प्रोसिजर ऐसा नहीं है और फिर हमें सिविल प्रोसिजर कोड पर ही जाना पड़ेगा? दरअसल एक्ज़ीक्युशन ऑफ डिक्रीज और कोस्ट के लिए कोई प्रोसिजर नहीं है। सिविल प्रोसिजर कोड की दफा १५१ है जिसमें कोर्ट को इन्हेरेन्ट पॉवर्स हैं और हर जगह इन्हेरेन्ट पावर्स होने चाहिये।

For the ends of justice उनको ऐसे अधिकार होने चाहिए कि वे इन्हेरेन्ट पॉवर्स को एक्सरसाइज़ करके डिसिजन दे सकें। लेकिन १५१ सेक्शन, जैसा सिविल प्रोसिजर कोड में है वैसा इसमें नहीं है।

इसी तरह से अमेन्डमेंट सिविल प्रोसीजर कोड में जो सूट आदि होते हैं उसमें अमेन्डमेंट के लिये पर्टीकुलर तरीका हैं। उसके अनुसार प्लेन्टस को अमेंड किया जा सकता है, इस प्रकार का तमाम प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर कोड में हैं। आज मान लीजिये कोई एप्लीकेशन गलत दायर कर दी गई, उसका अमेंडमेंट किसी प्रकार नहीं हो सकेगा यह बेकद्रोन है। इसमें अमेन्डमेंट करने का कोर्ट्स को अधिकार नही होगा। एप्लीकेशन में दिया शूट में किसी प्रकार की गलती रह जाती है, किसी चीज का वेरीफीकेशन होना चाहिये उसको किस तरह से रिजेक्ट किया जा सकता है, किस तरह से प्रोपर पार्टीज़ को एड किया जा सकता है। आर्डर तो हो सकता है। उसके लिये तो प्रोवीजन है लेकिन इट्स एप्लीकेशन आदि के लिए कोई प्रोवीजन नहीं। इसमें यह भी नहीं कि किसी माइनर का रिप्रेजेन्टेशन किस प्रकार होगा। सी.पी.सी. में तो इस प्रकार की व्यवस्था है। इसके प्रोसीजर के मुताबिक क्या दो साल के बच्चे को कोर्ट में जाना चाहिये।

मान लीजिये किसी की डेथ हो गई। उसका लीगल रिप्रेजेन्टेशन किस प्रकार होगा? उसको किस प्रकार रेकर्ड में लाया जायगा? इसके लिये भी कोई प्रोवीजन नहीं हैं। इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो प्रोसीजर का चेप्टर चार है जो कि एक्जोस्टिव है इसके अलावा कोई पॉवर कोड में नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि इसमें बहुत सी बातों का समावेश होना चाहिये था, वह नहीं हुआ। इसके साथ साथ में यह भी निवेदन कर दूं, सी. पी.सी. १६०८ में बना हुआ है। आज जिसको करीब ५० वर्ष का समय होने आया। वो टेस्ट में रहा है। जितने भी प्रोवीजन जरूरी थे उसमें किये गये। इसलिये मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह जो लेण्ड रेवेन्यू कोड बन रहा है उसके अन्दर इस प्रकार का स्पेशल प्रोसीजर रखना चाहिये। जनरल प्रोसीजर तो सी. पी. सी' में है ही। मेरे इस संशोधन को जो मैंने एक नई क्लॉज़ एड करने का लिखा है उसके मान लेने से यह होगा कि जहां कहां भी रेवेन्यू कोर्ट्स को किसी मामले में डिफीकल्टी आयगी इसके द्वारा उनको डिसीजन में बहुत सी बातों का निर्णय कर सकते है। इन शब्दों के साथ में यह आशा करता हूं कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जायगा।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन एक नया क्लॉज़ जोड़ने का श्री श्यामलालजी गोयल ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मोटे तौर से इस चेपटर को देखने से यह पता चलता है कि इसमें एक खामी जरूर रह गई है। बहुत से प्रोवीजन सी. पी. सी के छूट गये है। इसमें अपील का एक्ज़ीक्युशन डिक्रीज़ ऑफ ऑर्डर्स किस तरह से होंगे, इसका भी प्रोवीजन नहीं आया हैं। वैसे भी इसमें बहुत सी खामियां नजर आती हैं। उनको दूर करने के वास्ते सी. पी. सी. को इसमें और एड करने का जो सुझाव दिया है वह रख दिया जाय तो बहुत उचित होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, श्यामलालजी ने जो अमेंडमेंट रखा है उसको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। इसके स्वीकार करने में प्रेक्टिकल डिफीकल्टीज़ बहुत हैं। सी.पी.सी. के यहां रखने का मतलब यह होगा कि उसके लिये प्रोसीजर स्पेसिफाइ करना पड़ेगा। सेटलमेंट कमिश्नर, लेन्ड रेकर्ड्स आफिसर; इन पर सी. पी.सी. एप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिये स्पेशल प्रोसीजर दिया हुआ है। आप यदि इस एक्ट की धारा २९६ को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा की उसमें रूल्स मेकिंग के पॉवर्स हैं। उसके अन्तर्गत Procedure के रूल्स बना सकते हैं जो कोर्ट्स के फंक्शन के लिये बनाये जा सकते हैं। मेरे ख्याल से सी. पी. सी. की प्रोसीजर की बात जो भी आवश्यक होगी रूल्स में प्रेसक्राइब्ड कर देंगे। इसलिये मैं इस अमेंडमेंट को आवश्यक नहीं समझता। रूल्स मेकिंग में बहुत से रूल्स प्रेसक्राइब कर दिये जायेंगे।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेने की मैं सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री श्यामलाल गोयल अपना अमेंडमेंट वापिस ले।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री श्यामलाल गोयल—मैं अपना अमेंडमेंट वापीस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ८३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज़ ८३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ८४

श्री हिम्मतसिंह (अटरु)—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ८४ के बाबत मेरा एक छोटा सा अमेंडमेंट है, जो यह है कि ओरीजनल ड्राफ्ट में इसका रूप रखा गया था वही रखा जावे बजाय इसके कि जो सिलेक्ट कमेटी ने पेश किया है। मैं यह समझता हूं कि ओरीजनल जो ड्राफ्ट है उसकी भाषा भी ठीक है, बहुत साफ है, और सिम्पल भी है और समझने में भी आसान है और इसमें और पहले वाले ड्राफ्ट में कोई ज्यादा भेद भी नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्यों इस तरह रीड्राफ्ट करके इसको बनाया गया, जब कि दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो केवल इतना ही अमेंडमेंट है कि बनिस्पत सिलेक्ट कमेटी के बनाये हुए रिवाइज़्ड क्लाज़ को रखने से पहले वाले क्लॉज को रखना ही ज्यादा बेहतर होगा।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, खंड ८४ पर मेरे ६ एमेन्डमेन्ट्स हैं; उनमें से सिर्फ तीन मूव करना चाहूँगा, और वे इस प्रकार हैं—

"Substitute the following for part (a) of sub-clause :

"(a) to the sub-divisional officer from an original decree or order passed by a tehsildar.

(aa) to the collector from the original decree or order passed by an assistant collector or a sub-divisional officer,"

(2) "Delete the words "from......Sub-Divisional Officer or" occurring in lines one and two of part (b) of sub-clause (1) (b),"

(3) "Delete part (d) of sub-clause (1) (b)."

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ ८४ में प्रथम अपील के बारे में चर्चा की गई है। इसमें इस तरह की व्यवस्था है कि तहसीलदार की, असिस्टेन्ट कलेक्टर की, एस. डी. ओ. की तो कलेक्टरी में, और उसके बाद में कमिश्नर को अपील सुनने का अधिकार दिया है। अध्यक्ष महोदय, जब हम कोई कानून बनाते हैं तो हमें इस बात को सोचकर चलना पड़ेगा कि न्याय जनता को सस्ता मिले और जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिले। इस तरह का न्याय नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से अपील करने वालों को बहुत दूर तक दौड़-धूप करनी पड़े। जहां तक कि मेरे एमेन्डमेन्ट का ताल्लुक है, मैंने जो इसका [ए] खंड है उसके दो टुकड़े करने की कोशिश की है, जैसी कि पहली अपील जो कि तहसीलदार की है वह एस. डी. ओ. सुने। यहां इसमें यह व्यवस्था है कि जो तहसीलदार की अपील होगी वह क्लेक्टर सुनेगा। तो मैंने इसमें यह निवेदन किया है कि तहसीलदार की जो अपील हो वह असिस्टेन्ट कलेक्टर सुने और उसके बाद में असिस्टेन्ट कलेक्टर या एस. डी. ओ. की अपील को कलेक्टर सुने और तहसीलदार की एस. डी. ओ. सुने। इस तरह से, एक तरह से सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा और जनता को न्याय सुलभ मिलेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—आप अपना अमेंडेड फोर्म पढ़ कर बता दें।

श्री चांदमल मेहता—"Substitute the following for part (a) of sub-clause(1)

"(a) to the sub-divisional officer from an original decree or order passed by a Tehsildar"

तहसीलदार का जो आर्डर है उसकी अपील एस. डी. ओ. के पास हो।

"(aa) to the Collector from an original decree or order passed by an assistant collector or a sub-divisional officer.""

यह दूसरा इस तरह का है कि (ए) उप खण्ड के मैंने दो टुकड़े कर दिये। जहां तक (बी) उप खण्ड का ताल्लुक है मैंने इन शब्दों को डिलीट करने के बारे में निवेदन किया है, जो (बी) उपखण्ड में इस तरह से हैं।

"(b) to the Commissioner from an original decree passed by an Asistant Collector or a sub-divisional officer or from an original decree or order passed by a Collector in judicial matters not connected with settlement or land records."

तो जहां इसमें एस. डी. ओ. और असिस्टेन्ट क्लेक्टर की अपील कमिश्नर के पास होने की व्यवस्था रखी है उसको मैंने (ए) खंड में कलेक्टर के पास अपील रखने की व्यवस्था की है। इस दृष्टि से इन शब्द को मैंने इसमें से निकाल दिया है। तीसरा एमेंडमेंट मेरा यह है कि (डी) को डिलीट कर दिया जाय।

"to the Land Records officer from an original decree or order passed by a revenue court or officer subordinate to him."

इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि हमने लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर की अकेली पोस्ट नहीं रखी है और क्लेक्टर को ही लेण्ड रेकार्ड ऑफिसर के पावर्स दिये हैं, और क्लेक्टर के पास जो अपील है उसके बारे में पहले चर्चा की है। इस दृष्टि से मैंने यह अमेंडमेंट रखा है। मैं मन्त्री महोदय से उम्मीद करूंगा कि वे इस बात को महसूस करेंगे कि सत्ता का अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण हो और जनता को न्याय सस्ता और सुलभ मिले। इस दृष्टि से मेरे अमेंडमेंट मन्त्री महोदय स्वीकार कर लेंगे।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, जो एमेन्डमेंट मेरे मित्र ने रखा है उसके संबंध में मुझे यह बता देना जरूरी है कि टेनेन्सी एक्ट हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं और टिनेन्सी एक्ट के अन्दर रेवेन्यू कोर्टस् का प्रोसीजर दिया हुआ है और उसका प्रोसीजर वही है टिनेन्सी एक्ट में जो कि अब हमने इस लेंड रेवेन्यू बिल के अन्दर सिलेक्ट कमेटी ने एमेन्ड करके रखा है। रेवेन्यू कोर्टस् दो तरह के काम करेंगी। एक टेनेन्सी के अन्दर तो अपील लाई [lie] करेंगी तहसीलदरा की कलेक्टर के यहां और एस. डी. ओ. की कमिश्नर के यहां, लेकिन लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्दर

[श्री गोपीलाल यादव]

तहसीलदार की अपील लाई करेगी एस. डी. ओ. के यहां और एस. डी. ओ. की कलेक्टर के यहां। यह दो तरह की चीजें चलने वाली नहीं हैं और इसलिए यह चीज रखी गई है कि जिस तरह टेनेंसी एक्ट में जो चीज रखी गई है वही इसमें होनी चाहिये और तहसीलदार को अपील कलेक्टर के यहां और एस. डी. ओ. की कमीश्नर के यहां।

जहां तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण का सवाल है उसके लिए मैं यह बता दूं कि यह कोई सत्ता की चीज नहीं है। सत्ता का विकेन्द्रीकरण काफी हो गया। यह तो इस चीज़ का है कि कौनसी-कोर्ट से अपील में न्याय मिल सकता है। पहले दो अपीलें थीं, एप्लीकेशन्स पर और एक रिवीजन था। अब उसके लिए एक अपील कर दी गई और एक रिवीज़न कर दिया गया। अपील के अन्दर जिन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है उन पर रिवीजन में नहीं दिया जाता है। एपेलेट कोर्ट फैक्ट की पहली अदालत है, उसका जो भी फैसला है वह अन्तिम फैसला माना जाता है। इसलिए कम से कम लिटीगेन्ट की पहली अपील ऐसे ऑफिसर के पास करने का अधिकार होना चाहिये जो करीब करीब एस. डी. ओ. और कलेक्टर ऐसे ऊंचे दर्जे का योग्य हो जिस पर यह समझा जाय कि जहां, हमको उस व्यक्ति से पूरा न्याय मिल सकता है। जिस आदमी के पास अपील की है वह बहुत ऊंची एक कोर्ट है। तो इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ इस सम्बन्ध में कि तहसीलदार की अपील एस. डी. ओ. के पास रखने से नतीजा क्या होने जायगा कि अपीलों के फैसले नहीं होंगे। एस. डी. ओ. ओवरक्राउडेड विथ ओरीजिनल वर्क से, क्रिमिनल वर्क ऐसे हैं, रेवेन्यू वर्कस् के इस कदर केसेज़ उनके पास हैं कि अपीलों को सुन नहीं सकते। इसलिए पहले भी तहसीलदार का जुरिसडिक्शन में यही था कि तहसीलदार की अपील कलेक्टर के यहां रखी जाती थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरे मित्र विचार करेंगे इस पर। इसमें तब्दीली की आवश्यकता नहीं है।

दूसरी चीज है लेंड रेकार्ड ऑफिसर की। कहीं लेंड रेकार्ड ऑफिसर शायद पहले खत्म हो चुका है तो उसका ओटोमेटीकली जो नतीजा निकलेगा वह यही निकलना चाहिए। उसके मुताबिक यदि एमेंडमेंट वह करना चाहें या वह फिट बैठता है तो करें। यही मुझे कहना है।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मेरे खयाल से माननीय श्री यादवजी ने बहुत क्लियर कर दिया है। एमेंडमेंट जो माननीय परबतसर के सदस्य ने रखा है वह स्वीकार नहीं होना चाहिये। यह अपील्स का मामला खास तौर के ऊपर फर्स्ट अपील में, प्वाइन्ट ऑफ फेक्ट के ऊपर जो डिसीजन होता है उसके लिए ऑर्डीनरिली सेकन्ड अपील का अख्त्यार नहीं दिया जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सीनियर ऑफिसर्स उस अपील को सुनें और वह इतना सीनियर ऑफिसर होना चाहिये जिससे यह उम्मीद की जाय कि वह फेक्ट्स की अच्छी तरह से जांच करेगा।

दूसरी बात है कि ऑर्डीनरिली तहसीलदार की डिक्रीज़ की अपील, यह मैं मानता हूँ कि जहां तक माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि वहीं की वहीं उसका थोड़े से नजदीक होने से पब्लिक को

[श्री दामोदरलाल व्यास]

कुछ कन्वीनियन्स हो सकती है। मगर वैसे आप उसूलन देखेंगे तो जैसा कि यादवजी ने बताया है यह जरूरी है कि फर्स्ट अपील को सुनने वाला योग्य ऑफिसर होना चाहिए जिससे कि उस ओर से सही न्याय मिल सके जनता को। इसलिए यह सुझाव जो है उसको मैं स्वीकार करने में समर्थ नहीं हूँ।

तीसरा जो पार्ट एमेंडमेंट का है इस बात के लिए कि "Land Record officers or revenue court or any officer subordinate to him..."

तो उसूलन उसको डिलीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें लैंड रेवेन्यू बिल में Collector will be the Land Records officer by virtue of his office. That does not mean that there will be no Land Records officer. There will be the district land records officer who will be the Collector by virtue of his office.

इसलिए यह प्रोविजन करना जरूरी है कि लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर के नीचे की मातहत अदालत के कौन फैसले करेगा, कौन अपील सुनेगा, सिर्फ यह प्रोवीजन कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट लैंड रेकॉर्ड ऑफिसर क्लेक्टर है इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर होगा ही नहीं, यह बात नहीं। There will be such an officer who will be Collector by virtue of his office

इसलिए इसको डिलीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तीनों ही बातें हैं।

श्री अध्यक्ष—और हिम्मतसिंहजी का!

श्री दामोदरलाल व्यास—और माननीय हिम्मतसिंह जी ने जो अमेंडमेंट पेश किया है उसके लिए मैं समझता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट काफी एक्स्प्लेनेटरी है। वह बता देगी कि क्यों हमने इसको रिड्राफ्ट किया और मेरे खयाल से उसके बाद में ओरीजिनल क्लॉज़ को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्लॉज़ को रिड्राफ्ट किया है, वह इन बातों को ध्यान में रख कर किया गया है, जिनके कारण काफी हैं और इसमें बता दिये गये हैं सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में; और मेरे खयाल से माननीय सदस्य को इस बात पर सन्तोष होना चाहिए था।

श्री चांदमलल मेहता—अध्यक्ष महोदय, जो जवाब मंत्री महोदय ने दिया है उससे मुझे पूर्णतः संतोष तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं मेरा संशोधन वापिस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री ईश्वरीसिंहजी सदन से बाहर चले जावें अखबार पढ़ने के लिए, तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री हिम्मतसिंह—I don't want to press my amendmant, Sir.

Page No.47

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने पेश किया है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हिम्मतसिंहजी ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हिम्मतसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ८५

श्री हिम्मतसिंह—इस क्लाज़ के बारे में भी मेरा जैसा संशोधन क्लाज़ ८४ पर था वैसा ही है। मन्त्रीजी ने पहले फरमाया था कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है लेकिन उस क्लाज़ को किस तरह से रीड्राफ्ट किया है वह भी देख लिया और कोई खास बात रीड्राफ्टिंग में नहीं साफ हुई लेकिन क्योंकि क्लॉज़ ८४ पर मेरा जो संशोधन था उसको मैंने वापिस ले लिया है इसलिये क्लॉज़ ८५ पर भी मेरा जो संशोधन है उसे वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—श्री नाथूराम मिर्धा अपना संशोधन पेश करें।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—श्री हिम्मतसिंह व श्री मेहता ने अपने संशोधन मूव ही नहीं किये इसलिये वापिस लेने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८५ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लाज़ ८५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ८६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८६ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ८७, श्री मेहता ।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन मूव नहीं करना चाहता ।

श्री श्यामलाल गोयल—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ८७ में मेरा छोटा सा अमेंडमेंट है । जो खण्ड ८४ और ८५ अभी हम पास कर चुके हैं उनके कांसीक्वन्शियल हैं । यह संशोधन जरूरी है । खण्ड ८४ और ८५ में 'डिक्री' और 'ऑर्डर' इन दोनों चीजों को अलग अलग किया गया है और दोनों की अपीलों के लिए अलग अलग प्रोविजन किया गया है । लेकिन लिमिटेशन जो क्लाज़ ८७ में लगाया गया है वह सिर्फ ऑर्डर के लिये है, उसमें डिक्री के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। उसका लिमिटेशन क्या होगा, क्या नहीं होगा, यह नहीं दिया गया है । इसलिये सिर्फ 'डिक्री' शब्द और बढ़ाने का मेरा संशोधन धारा ८७ के लिये है। इसको बढ़ाने के बाद यह धारा इस तरह हो जायगी ।

"to the Collector or Land Records Officer or Settlement Officer, after the expiration of thirty days from the date of the order or decree to which objection is made; or"

मैं समझता हूं कि यह बहुत जरुरी है, वरना डिक्रीज़ के लिये कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास--अध्यक्ष महोदय, मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८७ पर श्री श्यामलाल का संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८७ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ८७, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ८८, इस क्लॉज़ का अमेंडमेंट भी पिछले क्लॉज़ के अमेंडमेंट के जैसा ही है।
Therefore take it as moved

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ८८ में श्री श्यामलाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८८, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८८, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ८९

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

इसमें दूसरी तरह का अमेन्डमेंट है, a proviso to be added by shri Nathu Ram Mirdha.

(अनुपस्थित)

श्री दामोदरलाल व्यास—There is an amendment by Shri Mirdha and I may be allowed to move that.

श्री अध्यक्ष—आप मूव कर दीजिये इसको।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, यह एक अमेन्डमेंट क्लॉज़ ८६ में मैं मूव करना चाहता हूँ जो यह है कि इसके आखिर के सब क्लॉज के आगे एक प्रोविज़ो इस प्रकार एड कर दिया जाय।

"Provided further that the Board may summarily reject an appeal without calling for the record and giving the appellant an opportunity of being heard."

अध्यक्ष महोदय, यह प्रोविज़ो रखना इसलिये आवश्यक है कि अपेलेट बॉडी जो कि रेवेन्यू बोर्ड है उसको इस तरह की पोवर्स होनी चाहिये। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में भी इसे स्पष्ट कर दिया गया है। अपेलेट कोर्ट को यह पॉवर होने चाहिये कि यदि अपील में गुंजाइश नहीं दिखे तो समेरिली उसे रिजेक्ट कर दें जिससे कि कोर्ट का समय भी जाया न हो और पार्टीज़ भी खर्चे से बच जांय। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसे रखा गया है।

श्री अध्यक्ष—ऐडमिशन ऑफ अपील्स के रूल्स में यह बात नहीं है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास—Without calling for records they may dismiss the appeal, that is the whole thing.

श्री गोपीलाल यादव—आप कहाँ एड करना चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—लास्ट में।

श्री गोपीलाल यादव—यह बात तो क्लॉज ८६ में मौजूद है।

"The appellate authority may either admit the appeal or after calling for the record and giving the appellant an opportunity..."

श्री श्यामलाल गोयल—Not to the respondent.

श्री गोपीलाल यादव—The appeal may be rejected.

श्री दामोदरलाल व्यास—It has been not necessary now. 89 provides: "Provided that the appellate authority shall not be bound to call for the record..."

श्री गोपीलाल यादव—Only in these cases.

श्री अध्यक्ष—एडमिशन केसेज़ में सब आ जाते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—By this amendment I want that the Board should be given some powers to reject an appeal which they think that prime facie it is not tenable, not on the point of limitation or otherwise but on other points also if they think that the appeal is frivolous or vaxatious, there should be a provision like that.

ऐडमिसिबिलिटी के ऊपर सुनकर डिसमिस कर सकते हैं. For that purpose if the provision is now inserted whether to admit an appeal or not...

श्री अध्यक्ष—But the Revenue Board is already possessed of that. Unless we provide in the law.

श्री दामोदरलाल व्यास—एडमिसिबिलिटी के पॉवर्स जब तक नहीं दिये जायेंगे तब तक कैसे करेंगे ? दरअसल में यह ओरिजिनल बिल में था but this was deleted by the Select Committee. Now I feel that original draft should be retained.

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—This is wrong,

श्री गोपीलाल यादव—यह बात कहां है ? यदि होती तो प्रिन्ट होती।

श्री दामोदरलाल व्यास—I am sorry. This is from U. P. This is not deleted in the original draft. I took it from U. P....Such a provision is in U. P. so I want to get it inserted here.

श्री अध्यक्ष—The very opening of Clause 89 is quite clear-

राज श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—अन्नेसेसरी है साहब।

(विराम)

श्री गोपीलाल यादव—आप इस पर विचार करें तब तक मैं कुछ अर्ज कर दूं।

"The appellate authority may either admit the appeal..."

[श्री गोपीलाल यादव]

यह तो एडमिट होगया. Notice will go to the other party. The other parties will appear. Records will be summoned and then arguments will be heard,

इसके बाद दूसरी चीज यह है :

After calling for the record and giving the appellant an opportunity to be heard, may summarily reject the appeal.

इस दूसरे के अन्दर यह है ।

"Without calling for the respondent they may reject."

लेकिन एक चीज इसमें रखी है, "after calling for the records."

जब कि अपेलेन्ट तलबाना पेश करता है तो रेकर्ड आ जाता है और एक्सपर्ट अपेलेन्ट की अपील सुनती है और दूसरी पार्टी को बुलाये बगैर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती ।

आप जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं उसके मुताबिक रेकर्ड बिलकुल मंगाया ही नहीं जाय : रेकर्ड मंगाया जाय इसमें कोई परेशानी नहीं, दूसरी पार्टी का टाइम नष्ट नहीं होता, अपेलेंट है वह मनी भी वेस्ट करता है, रेकर्ड मंगाने के लिए he has paid the fee.

अब हाई कोर्ट में भी यही है, अपेलेन्ट रिक्वेस्ट करे कि साहब रेकर्ड मंगा लिया जाय They call for the record,

रेकार्ड मंगवाने का खर्चा तुम लोगे तो तलवाना पेश करता ही हैं । जहां जरूरत ही नहीं हो वहां अन्नेसेसरी है ।

वहां नीचे दिया है :

"Provided that the appellate authority shall not be bound to call for the record where the appeal is time-barred or does not lie."

लेकिन अपील लाई (lie) करेगी ही वहां अपेलेंट के बुलाने पर रेकर्ड से तो पार्टी को समझने का मौका दीजिये । "Opporturity to be heard".

इसमें लिखा है "टू बी हर्ड ।" तो लाभ तभी होगा जब कि पहले देख सकें । तो यह सब देखते हुए जो यह है : this is quite good

श्री दामोदरलाल व्यास--I am quite satisfied. I do not press for it.

श्री अध्यक्ष—I put it to vote.

प्रश्न यह है कि क्लॉज ८९ में श्री श्यामलाल गोयल का संशोधन स्वीकार किया जावे ।

[श्री अध्यक्ष]

(मत-दान के पश्चात्)

Voices are very feeble.

श्री मथुरादास माथुर—They get cold these days.

श्री अध्यक्ष—But the energies must be higher.

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ८९ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ८९, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

Clause 90

There are long amendments to Clause 90 by Shri Shyamlal Goel.

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज ९० में रेवेन्यू कोर्ट के आर्डर्स के एग्जीक्युशन का स्टे अपीलेंट कोर्ट कर सकता है, इसका प्रोविजन है । जो मौजूदा प्रोविजन इस वक्त है उसका मतलब यह है कि एक अपील पेश होती है । इप्सोफेक्टो (Ipso facto) जो ऑर्डर या डिक्री हो उसका एग्ज़ीक्युशन रुक जायगा, वह इस तरह पर है...

"If an appeal is admitted, the appellate authority may, pending the result of the appeal, dtrect the execution of the order appealed from to be stayed.

(2) A Revenue Court or Officer passing any order may direct the execution of such order to be stayed at any time before the expiry of the period prescribed for appeal, if no appeal has been filed." अपीलेट ओथेरिटी को किन किन बातों का कन्सीडरेशन करना चाहिये जिस वक्त कि अपील में एग्जीक्यूशन का स्टे किया जाय, इसका इसमें कोई प्रोविजन नहीं है । सीविल प्रोसीजर कोड में अपीलेट कोर्ट को कुछ पावर्स दी गई हैं ऑर्डर नं० ४१ रूल ५ में कुछ क्लीयर प्रोविजन हैं और उसमें यह कैद लगाई हुई है कि डिक्री के एग्ज़ीक्यूशन के ऑर्डर का स्टे उस वक्त किया जायगा जब कि पार्टीज़ सेटिस्फाई कर दें कोर्ट को कि इसके लिये सफीशियेंट कॉज है ।

[श्री श्यामलाल गोयल]

सब से पहला संशोधन इसमें यह है कि : "if sufficient cause is shown" यह क्लाज ए, में जोड दिया जाय और इन दोनों सब क्लाँजेज में जोड दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी है। हमको ऐसे रूल्स बनाने चाहिये कि कोर्ट को अपने डिस्क्रिशन में क्या क्या देखना चाहिये।

दूसरा, खण्ड ८७, ८८ व ८९ में जो जो अमेंडमेंट्स हुए हैं बिलकुल इसी किस्म के आर्डर हैं, ही आर्डर है; "डिक्री" शब्द बढ़ाने का है।

तीसरा इसका सब क्लाज (३) यह है:

"If execution of any order is stayed under sub—section (1) or sub—section (2) such security may be taken or conditons imposed as the apppellate authority or the Revenue Court or Officer thinks fit."

सिविल प्रोसीजर कोड में इसके लिये प्रोविजन है और मैंने जो अमैंडमेन्ट रखा है वह बिलकुल सिविल प्रोसीजर कोड के जैसे शब्द हैं, वैसा ही रखा है। एक शख्स अपील करता है और अपील एड्मिट हो जाती है। यह जरूरी नहीं कि हर शख्स को अधिकार मिल जाय कि वह स्टे करा ले और स्टे कराने के बाद अगर जो अपील उसने की है वह डिस्मिस हो जाय तो ऐसी कैद भी नहीं रहे कि जो डिक्री या ओर्डर पास हो उसकी तामिल हो सके या उसको एग्ज़ीक्यूट कराया जा सके। सिविल प्रोसीजर कोड में क्लॉज़ेज़ इस प्रकार के हैं :

"No order for stay of execution shall be made under sub—section (1) or sub—seetion (2), unlees the Court or Officer making such order is satisfied that substantial loss may result to the party if no such execution is stayed, and

when the application is made without unreasonable delay and security has been furnished by the appellant or due performance of such order may ultimetely be binding on him."

मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक शख्स अपील करता है और कोर्ट से यह चाहता है कि उस डिक्री या ओर्डर का एग्जीक्युशन न हो, वह इस तरह की इस्तदुआ करता है, अगर उसकी इस्तदुआ मंजूर की जाय तो पहले उसको पाबन्द किया जाना चाहिये कि आयन्दा जो ऑर्डर होगा उसकी पाबन्दी वह कर लेगा, इसके लिये सिक्योरिटी लेना चाहिये; नहीं तो इस तरह के स्टे का यह मतलब होगा कि हरेक आदमी आया और स्टे आर्डर ले लिया। अपील डिस्मिस हुई तो उस रेस्पोन्डेन्ट के पास कोई ऐसी रेमिडी नहीं रहेगी ऑर्डीनरी कोर्स में, उसे इजरा

Page No.55

[श्री श्यामलाल गोयल]

कराना पड़ेगा। ये बहुत कन्सीडर्ड प्रोविज़न्स हैं जो सीविल प्रोसीजर कोड में हैं और इनका समावेश इसमें होना चाहिये। इसके अलावा एक छोटा सा एडीशन इसमें जरूरी है। अपीलेंट ऑथेरिटी किसी एग्ज़ीक्यूशन ऑफ ऑर्डर को स्टे करे तो क्या यह जरुरी है कि वह, एक्सपार्टी ऑर्डर दे रखा है, उसके लिये नोटिस दे। जनरली यह होता हैं कि स्टे ओर्डर में दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाता है उस एप्लीकेशन के डिसिजन के लिये और जो धारा मौजूदा सूरत में है उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ऐसा ओर्डर अपेलट कोर्ट दे तो एक्सपार्टी के ओर्डर नहीं दे सकती और दूसरी पार्टी को नोटिस दीजिये in the interest of; फिर एप्लीकेशन को कन्सीडर कीजिये। कोई भी एग्जीक्यूशन स्टे किया जाय तो अपेलेट ऑथरिटी को अधिकार होना चाहिये कि एक्सपार्टी के आर्डर ओफ एग्ज़ीक्यूशन का स्टे दे सके।

यह एमेन्डमेन्ट जो मैंने पेश किये हैं मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्रीजी इन एमेन्डमेन्ट् को, जो बहुत लाजमी हैं, in the interest of Justice मंजूर करेंगे।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे मित्र श्री श्यामलालजी ने जो एमेन्डमेंट रखे हैं मैं उनका समर्थन नहीं करता। आपका सबसे पहला एतराज यह है कि सब्स्टेन्शिअल लोसेज़ नहीं होने चाहिए। दूसरा आपका एमेन्डमेंट यह है कि स्टे ऑर्डर तब तक नहीं किया जावे जब तक दूसरी पार्टी को नोटिस नहीं दिया जावे। तीसरा एमेन्डमेंट आपका यह है कि कम्पेन्सेशन का प्रोविजन इसमें रखा जावे। इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि जहां तक कम्पेन्सेशन का प्रश्न है वह तो इस क्लॉज में ऑलरेडी मौजूद है। क्लाज ६० के सबक्लाज़ ३ में यह साफ है, जो इस प्रकार है: "If execution of any order is stayed under sub-section (1) or sub-section (2), such security may be taken or conditions imposed as the appellate authority or the Revenue Court or Officer thinks fit.' इसमें बड़ा क्लिअर दिया गया है कि: "not only security may be taken but conditions imposed" जो भी चाहें कर सकते हैं।

दूसरी चीज यह है कि जहां स्टे ऑर्डर हों वहां पर स्टे ऑर्डर देने से पहले दूसरी पार्टी को नोटिस देकर स्टे आर्डर जारी किया जावे। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप यह रखना चाहते हैं तो आपको एक और बात भी इसमें रखनी होगी। ऑर्डिनरी कोर्स में अदालतें ऐसा ही करती हैं कि जब उनको सफीशियेन्ट कॉज़ मिल जाते हैं तो स्टे ऑर्डर देती है मगर जब आप यह रखना चाहते हैं तो इसके साथ साथ यह भी रखना जरूरी हो जाता है कि जब तक एग्जिक्युशन नहीं होकर मियाद खत्म नहीं होनी चाहिये। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे यह नहीं होगा। पार्टी को बुला कर नोटिस दिया जावे।

श्री श्यामलाल गोयल—मेरा यह एमेन्डमेंट नहीं है। यह आप गलत समझ रहे हैं। बगैर दूसरी पार्टी को नोटिस दिये भी एक्स पार्टी अदालत ओर्डर दे सकती है......

श्री गोपीलाल यादव—यह आलरेडी क्लॉज में है। "If an appeal is admitted the appellate authority may, pending the result of the appeal, direct the execution of the order appealed from to be stayed" यह सब प्रोसीजर के अन्दर है। अगर अदालत यह देखती है कि इमिडियेट ऑर्डर देने में कोई नुकसान नहीं होगा तो दे देती है और अगर वह देखती है कि जल्दी होने में भी कोई लाभ नहीं होगा और न कोई नुकसान, तो लाजमी तौर से उनको नोटिस दे दिया जाता है। लेकिन आमतौर से कायदा यह है कि अगर अर्जी देने वाले के ग्राउन्ड्स ठीक हैं तो सेक्शन ५, ऑर्डर ४१ के रूल [५] में जो चीज दी हुई है, जो सिद्धान्त की चीज है उसके अनुसार कार्य करती है। उसको यहां लिखने की जरूरत नहीं। कोर्ट इस बात का ध्यान रखती है और इसके लिये तो वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिन्सीपल है कि किस तरह से कार्य करना चाहिये: Civil procedure Code also provides like that. रेवेन्यु कोर्ट भी आम तौर से और रेवेन्यू कोर्ट ही क्या बल्कि सभी कोर्ट्स जब स्टे आर्डर देती है तो इस बात का ध्यान रखती है कि सब्स्टेन्सिअल लोसेज होते हों और ट्रेसपास क्लीअरली साबित हों तो may give an order. वे देखेंगे कि आर्डर देना है तो क्यों देना है और नहीं देना है तो क्यों नहीं। अगर ऑर्डर देंगे तो उसके साथ साथ रिजन्स भी देंगे और नहीं देंगे और एप्लीकेशन रिजेक्ट करेंगे तो भी उसके लिए रिजन्स देंगे कि इस आदमी के रिजन्स सही नहीं हैं और अगर लोसेज़ होते हों तो इन्टेरिम डेट दे देते हैं। इसके साथ साथ अगर स्टे ऑर्डर पहले नहीं मिले और उसके पहले ही कब्जा मिल जाता है तो सारा आर्डर बेकार हो जाता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सब इसी में इम्पलाइड है और तमाम कोर्ट्स इसी सिद्धान्त को फोलो करती है। ४१ जो है वह सब पर लागू होता है। इसलिए मैं तो अपने मित्र से माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा यही प्रार्थना करूंगा कि वे अपने एमेन्डमेन्टों को वापिस ले लें। अगर सी. पी. सी के प्रोविज़न्स फुल्ली यहां पर देने लगें तो हमारे सामने यह एक बहुत लंबा-चौड़ा पोथा बन जावेगा और इसके अलावा कोई फायदा नहीं होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि जो एमेन्डमेंट श्री श्यामलालजी गोयल ने पेश किये हैं उनमें से डिक्री और ऑर्डर के पहले लगाने के संशोधन को तो मैं स्वीकार करता हूँ और दूसरे एमेन्डमेंट्स जो हैं वे ऐसे हैं जिनकी जो स्प्रिट वे अपने एमेन्डमेंट्स में बतलाते हैं वह ऑलरेडी इस क्लॉज़ में मौजूद है, ऐसा मैं समझता हूँ।

मैं समझता हूँ कि न० ३ में ऑलरेडी यह बात है कि किन किन टर्म्स में या किन किन सूरतों में स्टे ऑर्डर दिया जावे; Either on security or on other conditions as the Court thinks fit. The provision is already there.

अब दूसरी बात यह है कि एक्सपॉर्टी ऑर्डर नहीं देना चाहिये या एक्सपार्टी ऑर्डर देने के बाद नोटिस देकर दूसरी पार्टी को बुलाई जावे; यह मतलब भी इसमें आ जाता है। मैं तो इसको accomodate करने के लिए तैयार हूँ मगर जैसा आप चाहते हैं वह इसमें आ जाता है :"Not-withstanding anything contained in sub-section (3) the court may make an ex-parte order for atay of execution pending the hearing of the application."

Page No.57

[श्री दामोदरलाल व्यास]

मैं समझता हूँ कि आपका मतलब यही है कि on hearing of the application an ex-parte order should be given which is generally done today even.

और इसीलिये आप स्पेशल प्रोविज़न रखना चाहते है। मुझे कोई एतराज नहीं है। क्लॉज़ २६६ के अन्दर में ये सब आ जावेंगे। अलग अलग चीजों के लिए अगर सारे सी. पी. सी. को छापें तो इस प्रकार के रूल्स बनाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी।

सब क्लॉज़ (३) में प्रोविजो एड करने और सब क्लॉज़ (४) रखने के लिये I have no objection. That will be placed at an appropriate place. Otherwise there is no necessity for accepting any other amendment.

ऑर्डर के साथ डिक्री को एड करने के संशोधन को मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री श्यामलाल गोयल—मेरे दो एमेन्डमेंट मंजूर कर लिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—एमेन्डमेंट जो अब रहेंगे।....

श्री श्यामलाल गोयल—मैं दरअसल यह नहीं समझ पाया; कि जो माननीय यादवजी ने और माननीय मंत्री जी ने कहा उसका मतलब जहां तक मैं समझ पाया हूँ वह यह कि ये एमेन्डमेन्ट्स जरूरी हैं। चूंकि ऐसा ही अमल होता चला आ रहा है, आज तक प्रोसीजर ऐसा है इसकी कोई जरूरत नहीं है......

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य गलत समझ रहे हैं, जो बात आप चाहते हैं वह ऑलरेडी इसमें मौजूद है।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, मैं अभी भी मानता हूं कि मैं जो चाहता हूं वह नहीं है। चूंकि आप कहते हैं कि क्लॉज़ २६६ में जो रूल्स बनावेंगे हम उसमें प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए मैं अपना एमेन्डमेंट वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री गोपीलाल यादव—If an appeal is admitted, the appellate authority may, pending the result of the appeal, direct the execution of the order appealed from to be stayed.

श्री दामोदरलाल व्यास—आपके कहने का मतलब एक्सपर्ट आने के बाद में है।

That order may be vacated after sometime. He wants to put that provision clearly in the clause.

श्री गोपीलाल यादव—That is implied, उसके लिखने की जरूरत नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास—जो लास्ट पोर्शन है इस अमेन्डमेन्ट का......that I have accepted.

श्री जवान सिंह—Last and beginning accepted.

राज श्री हिम्मतसिंह—एड़ी और चोटी तो आपने पकड़ ली।

श्री उपाध्यक्ष—वर्डिंग्स उसके दे दीजिये।

श्री श्यामलाल गोयल—इसके माफिक यह पहला अमेन्डमेन्ट Withdraw हो जाता है।

"In sub-clause (1) in the third line after the word 'appeal' insert the words 'if sufficient cause is shown.' "

यह दूसरा मंजूर हो जाता है "In the same sub-clause in line three insert the words 'decree or' before the word 'order'. "

फिर " In sub-clause (2) insert the words 'decree or' before the word 'order' occurring in both the lines one and two and after the words 'may' in line one put a comma:

" And insert the words 'if sufficient cause is shown', " that is withdrawn.

इसका पहला पोर्शन मंजूर हो जाता है और दूसरा पोर्शन है, that is withdrawn; फिर "Delete sub-clanse (3) and add the following:—

"(3) No order for stay of execution shall be made under sub-section (1) or sub-section (2) unless the court or officer making it is satisfied—"

यहां (ए), (बी) एन्ड (सी) नहीं रह सकेंगे। फिर फोर्थ आता है. " (4) not withstanding anything contained in sub-section (3) the court may make an ex-parte order for stay of execution pending the hearing of the application. "

यह मंजूर होगा। इस तरह से...

(परस्पर वार्त्ता)

श्री गोपीलाल यादव—It is already there.

Page No.59

श्री उपाध्यक्ष—जो अमेन्डमेन्ट अमेन्डेड फॉर्म में पेश करना है उसकी इबारत लिख कर दें। आगे फिर क्लॉज़ ६१ ले लें।

श्री दामोदरलाल व्यास—He does not want to press for the 4th one. The only amendment is that the words 'decree or' to be added to the word 'order'.

राज श्री हिम्मतसिंह—wherever it occurs ?

श्री दामोदरलाल व्यास—Not wherever it occurs but only where it is suggested in the amendment.

श्री उपाध्यक्ष—In sub-clause (1) and (2) the words 'decree or' are added.

श्री खेतसिंह—क्लॉज़ का फोर्म क्या हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास—डिक्री और एड हो गया।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो अमेन्डमेन्ट...

(विराम)

पहले तो विथड्रा करेंगे।

श्री श्यामलाल गोयल—पहले ही अनुमति के लिए निवेदन कर चुका हूं कि डिक्री और आर्डर के अलावा जितने अमन्डमेंट्स है...

श्री उपाध्यक्ष—नया अमेन्डमेंड है ?

श्री श्यामलाल गोयल—उसमें ही मोजूद है।

श्री उपाध्यक्ष—सब क्लाज [१] और [२] में "डिक्री" वर्ड "आॅर्डर" के पहले एड करने का जो अमेंडमेंट है वह स्वीकृति के लिए प्रस्तुत है।

[स्वीकृत]

यह अमेंडमेंट सब क्लाज [१] और [२] में "डिक्री" वर्ड "एड" करने का स्वीकार किया गया।

[विराम]

[श्री उपाध्यक्ष]

बकाया जो अमेंडमेन्ट्स हैं उनको श्यामलालजी वापिस लेना चाहते हैं; क्या अनुमति दी जावे;

[स्वीकृत]

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री श्यामलाल गोयल—मैं अपने शेष अमेन्डमेन्ट्स को वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लाज़ ६०, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने।

[स्वीकृत]

क्लाज ६०, संशोधित रुप में, विधेयक में अंग ६० से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज ६१

[विराम]

क्लाज ६१, श्री चांदमल मेहता।

श्री **चांदमल मेहता**—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—श्री श्यामलाल गोयल।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज ६१ में सेटलमेन्ट अफसर, कमिश्नर, डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकर्ड्स को रिवीजन के पॉवर्स दिये गये हैं और रिविज़न्स की पॉवर्स दी जाकर इस क्लाज में यह प्रोविजन किया गया है कि अगर नोन ज्युडिशियल केसेज हों और रेकर्ड को देखने के बाद ये ऑफिसर्स जो पहले रेफर किये गये हैं, कि एक प्रकार का केस है जिसमें कि interference करना चाहिए तो नोन ज्युडिशियल केसेज में वह रेकर्ड गवर्नमेन्ट के पास भेजा जायगा और ज्युडिशियल केसेज़ में बोर्ड के सामने भेज दिया जायगा।

मैं अपने अमेन्डमेन्ड के जरिये इस क्लाज का डिलीशन चाहता हूँ कि इस क्लाज को डिलीट कर दिया जाय। यह चेप्टर अपील्स, रिविजन्स और रिव्यू का है और इसमें रिविजन के पॉवर्स जितने भी लिमिटेड हैं उतने ही होने चाहिए। सिविल प्रोसिजर कोड में भी रिवीजन का सिर्फ एक हक है और वह हाईकोर्ट में किया जा सकता है। इसके अलावा सबोर्डिनेट कोर्ट्स में रिवीजन का कोई भी हक नहीं है। इसमें भी जो बिल मौजूद है उसका आगे का क्लाज ६२ है, जिसमें कि स्टेट

[श्री श्यामलाल गोयल]

गवर्नमेंट को नोन-ज्युडिशियल केसेज़ में रिवीजन का अधिकार दिया गया है। इसी तरह क्लाज ६३ है। उसमें भी बोर्ड को रेकर्ड्स को मंगाने व रिव्यू करने के अधिकार दिये गये हैं। तो जहां तक रेवेन्यू बोर्ड के और स्टेट गवर्नमेंट के रिवीजन के पॉवर्स का ताल्लुक है वे जब धारा ६२ व ६३ में ऑलरेडी मौजूद है तो फिर क्लाज ६१ के माफिक कुछ पोवर्स देना और वे भी अगर पोवर्स न होकर यह अधिकार देना कि स्टेट गवर्नमेंट को या बोर्ड आफ रेवेन्यू को रेफर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि यह फिजूल का बीच का रास्ता है जो नहीं होना चाहिए और इस रास्ते के होने से मैं समझता हूँ कि वह वक्त वैसे ही जाया होगा। अलावा इसके कि अगर इस क्लॉज को पढ़ें तो उससे यह भी ज्ञात होगा कि यह दरअसल मेल नहीं खाता है।

"A Commissioner or the Settlement Commissioner or the Director of Land Records may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order passed and as to the regularity of proceedings:

and, if he is of the opinion that the procedings taken or order passed dy such subordinate court or officer should be varied, cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders, of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement or for the orders of the state Government if the case is of a non-judicial nature not connected with settlement."

तो इस क्लॉज़ को देखने से यह स्पष्ट है कि रिवीजन्स ऑफ पॉवर्स को प्रोवाइड किया है। रिवीजन्स के पोवर्स जुडिशियल केसेज में और सेटलमेंट के मामलात में हर हालत में होना चाहिये जब कि इसमें अपील का प्रोवीजन नहीं है। इसका मतलब यह है कि रिवीजन के अधिकार और अपील के अधिकार जो दिये गये हैं इस धारा में एक साथ उसका कोई exclusion नहीं किया गया है जिनमें अपील का प्रोविजन हो। जिस हालत में यह धारा है इसके रखने का मतलब है अपील कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते है। वे जो चाहे रेवेन्यू के अधिकारी अपने अधिकार रख सकते हैं। मैं यह भी मानता हूँ कि सरकार का मकसद किसी हालत में यह हो नहीं सकता। इसलिये यह बीच की सीढ़ी की तरह जो धारा है उसके रखने से कोई फायदा नहीं है; उसको हटाया जाना चाहिये।

अलावा इसके क्लॉज़ ६२ जो है उसको देखा जाय तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी इसी प्रकार का प्रोवीजन है। स्टेट गवर्नमेंट नोन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को रेकर्ड के लिये कॉल कर सकती है। इसी प्रकार क्लाज ६३ में पोवर ऑफ बोर्ड है. . . ."The Board may call for the record of any case of a judicial nature or connected with settlement in which no appeal lies to the Borad if the conrt or officer by whom the case was decided appears

[श्री श्यामलाल गोयल]

to have exercised a jurisdiction not vested in it," and so on... तो इस प्रकार के पोवोर्स जब बोर्ड को रहते हैं, उन केसेज़ में पोवर देते हैं in which no appeal lies to the Board तो इस तरह से मैं नहीं समझता हूँ कि जब क्लॉज ६३ इसी प्रकार रखा जाता है तो क्लाज ६१ को पास कराना कैसे मेल खाता है ? क्या क्लाज ६३ में जो पोवर बोर्ड को है उनके पोवर एक्सीड नहीं करते ? उसके शब्द है । "In which no appeal lies to the Board," इसलिये मेरा यह संशोधन है कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय । न सिर्फ यह दूसरे क्लॉज़ेज़ से इनकोन्सिस्टेंट है, बल्कि यह एक फिजूल सी सीढ़ी है । जो अधिकार देने चाहिये वे हमने क्लाज ६२ और ६३ में दे दिये हैं ।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, क्लाज ६१ जो है वह वास्तव में गैर जरूरी है । सिविल कोर्ट्स में यह है, जिस चीज को हाई कोर्ट ले (lay) करता है उसके लिये हाई कोर्ट से ऐसी रूलिंग आये हैं कि हाईकोर्ट में सीधे पहुँचने से पहले रिवीजन उसका सेशन्स कोर्ट में पेश करना होता है । फिर यदि सेशन्स कोर्ट नीचे की अदालतों से सहमति रखता है तो वह उसको खारिज कर देते हैं, इसका पूरा अधिकार है; अगर वह उस फैसले को बदलना चाहते हैं अपनी राय लिख कर हाई कोर्ट को भेज देता है । इसका मतलब यह होता है कि जिन केसेज में सेशन्स कोर्ट की सहमति नहीं होती वे तो आम तौर पर उनको ऊपर भेजना ही पड़ता है । हाई कोर्ट में उन पार्टीज को बुला कर सुनते हैं । वहां सेशन्स कोर्ट की सहमति हो जाय या दूसरे कोर्ट्स से सहमति हो जाय तो वैसा करना पड़ता है । अगर कोई हाईकोर्ट में जाने के लिये ही यदि पहले से तैयार हो तो पहले उसको फलां फलां जगह रिवीजन पेश कर दे । इसलिये जिस बेसिस पर यह ड्राफ्ट की गई उसकी आवश्यकता नहीं है । अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें गवर्नमेंट के सिटीजन्स राइट इन्वोल्व नहीं हैं; खास वजह से हो तो वह क्लॉज़६२-६३में पाबन्दी रखी गई है । चूंकि क्लॉज़ ६२में सिटीजन्स के राइट इनवोल्व नहीं, फिर भी गवर्नमेंट किसी भी रेकर्ड को मंगा सकती है, देख सकती है । वह सब गवर्नमेंट के इन्तजामियां मामले से सम्बन्धित रखने वाली है । ये क्लॉज़ ६२ व ६३ तो ठीक है लेकिन क्लाज ६१में जो केसेज़ हैं जिनमें सहमति होजाय, खारिज कर दे, अपील रिवीजन में पहुँच जाय । इसलिये मेरे मित्र ने जो अमेंडमेंट इस क्लॉज़ को डिलीट करने का रखा है उसको रखने से कोई फायदा नहीं ।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, यह सेक्शन ६१ में जो अमेंडमेंट डिलीशन का दिया गया है मैं उससे सहमत नहीं हूँ । यह ठीक है कि ६२-६३ में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पॉवर्स हैं और गवर्नमेंट को भी पॉवर्स है इन केसेज के अलावा रिवीजन करने के लिये मिसलें मंगवा सकते हैं । कमिश्नर्स व डाईरेक्टर ऑफ लेण्ड रेकर्ड्स को जो पावर दिये गये हैं वो अधिकार examine करके रिपोर्ट करने को हैं । मान लीजिये कोई ऑर्डर गलत दे दिया गया है और उसको सेटलमेंट कमीश्नर या लेन्ड रेकर्ड्स डाइरेक्टर एक्जामिन करना उचित समझता है तो मैं नहीं समझता कि इसमें क्या हर्ज है क्योंकि इसमें दर्ज है कि : They may refer the cases to the respective anthorities, that is Board of Revenue or the Government as the case may be for orders-

Page No.63

[श्री दामोदरलाल व्यास]

अब मैं यह समझता हूँ कि इस प्रकार के पॉवर्स का ऑफिसर्स के पास होना बहुत जरूरी है। कुछ केसेज़ ऐसे भी हो सकते हैं जैसा कि यादव जी ने बताया, मगर यह गैर जरूरी इसलिए नहीं है कि इसमें सिटीजन्स के राइटस् इनवोल्व नहीं होते। उसूलन (on principles) यह मैं ठीक मानता हूँ कि गवर्नमेंट के पास ऐसे पॉवर्स हों। हाई ऑफिसर्स के पास इस प्रकार के पॉवर्स का होना जरूरी है। अगर किसी केस को एग्जामिन वे करना चाहते हों, उसके एग्जामिन करने के बाद अगर राय में डिफर करते हैं तो वे बोर्ड को लिखकर भेज सकते हैं। मैं समझता हूँ, इसके रखने के अन्दर पब्लिक को कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है और न इससे लिटिगेशन ही बढ़ने वाला है। एग्जामिन करने के जो पॉवर्स दिये गये हैं उससे न किसी को तकलीफ होने वाली है और न किसी को हानि पहुँचने वाली है। यह इसलिए भी रखना जरूरी है जो कुछ भी राय बोर्ड के पास पहुँचे वह एक सीनियर आफिसर की राय हो। मेरे ख्याल से इसलिए इसको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूँ इस बात को और महसूस माननीय सदस्य भी करेंगे। इसको बहुत सोच समझ कर रखा गया है, इसलिए वे अपने संशोधन को वापिस लेंगे।

श्री श्यामलाल गोयल—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने जो जवाब दिया है वह उन्होंने, जो बातें मैंने अर्ज की हैं, उसको बिना कन्सीडर किये दिया है। मैं अब भी उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बजाय हेस्टी वे (hasty way) के इस पर मुकम्मिल विचार कर लें और फिर किसी नतीजे पर पहुँचे तो उसे मुझे मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने जो वजुहात सदन के सामने रखे उनमें से एक का भी जवाब नहीं दिया गया।

मैंने इसको डिलीट करने के लिए जो दलीलें दी थीं, वह यह थीं कि क्लाज़ ६१ में वे अधिकार सेटलमेंट कमिश्नर्स को दे रहे है जो कि क्लॉज़ ६३ के अन्तर्गत बोर्ड को सिर्फ अपील सुनने का, रिवीजन को सुनने का है और क्लॉज ६१ के मुवाफिक डाइरेक्टर ऑफ लेण्ड रेकर्ड्स को उससे भी वैसी पावर्स दे रहे हैं जब कि क्लाज ६३ में इस प्रकार का कोई प्रोवीजन ही नहीं रखा। यानी Commissioner व Director आवश्यकता पर उन केसेज को examine करें जिनकी अपील नहीं हुई व रीवीज़न लाई होती हैं। मान लीजिये किसी केस में सेटलमेंट कमिश्नर की और ऑपीनियन होती है वह उसके आर्डर को रिवीजन करना चाहता है, लेकिन क्लॉज़ ६३ के अनुसार बोर्ड सिर्फ इन क्लॉज़ेज़ को रिवाइज कर सकता है जिनमें अपील नहीं होती। इसका मकसद यह हुआ कि जिस order को Settlement कमीश्नर या डाईरेक्टर यह समझे कि गलत है व खिलाफ कानून है तो भी उसको ठीक करने के लिए वह कोई कार्यवाही नहीं कर सकता; इस वास्ते यह दर्मियानी सीढ़ी रखना जरूरी है।

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बता दूं कि वास्तव में सेक्शन ६३ और ६१ का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है। इसमें थोड़ा समझने की आवश्यकता है। यह ठीक है जो आप कह रहे हैं कि बोर्ड के पॉवर्स सेक्शन ६३ में दिये गये हैं, वे बिल्कुल

[श्री दामोदरलाल व्यास]

भिन्न हैं सेक्शन ९१ से । उसको आपने समझा नहीं है । वे पॉवर्स रीविजन के उस वक्त इस्तेमाल में लिये जायेंगे जब किसी मुकदमे के अधीन होती है, मगर अधीन नहीं की गई और इन्साफ के लिये अधूरी है । बोर्ड के पावर्स रीवीजन करने के बारे में अर्ज करता हूं कि प्रेक्टिस में बहुत से केसेज हैं जिनके अपील करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और ऐसे केसेज हैं जिनमें डाइरेक्टली गवर्नमेंट interest इन्वोल्व होता है । जागीरों के केसेज होते है और या बहुत से ऐसे केसेज हो सकते है; मसलन जागीर के succession सक्सेशन वगैरह के, कि सक्सेशन किसी को नहीं मिलना चाहिये और मिल जाता है । सेटिलमेंट के केसेज़ ऐसे हो सकते है जिसमें कि एक्जीक्यूटिव का interest involve होता है; जैसे कि अभी यादवजी ने कहा कि उनमें लोअर कोर्टस का इन्ट्रेस्ट नहीं होता है । ऐसे बहुत से केसेज है जिनमें गवर्नमेंट का इन्ट्रेस्ट होता है और जिनमें नीचे की कोर्ट्स से डिसीजन ऐसा हो गया है कि जिसको ठीक करने के लिये इन्साफ के लिये प्रोपर हाइअर आथोरिटीज या गवर्नमेंट को रेफर करने को आवश्यकता है । जिसमें अपील लाई हो सके उन्हें बोर्ड डिसाइड करेगा । यह तो उन केसेज के लिये है जिन्हें कि कमीश्नर वगैरह यह समझें कि यह जरूरी है कि जो आर्डर नीचे से हो गया है उसके अन्दर कोई गलती है, चाहे किसी ग्राउन्ड पर हो इसका होना जरूरी है, इन्साफ के लिये । सेक्शन ९१ को ९३ से मिक्स अप नहीं किया जाय । They are absolutely different और उनमें जो पॉवर्स है उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है जो दलील दी है उसकी कद्र करता हूं लेकिन वह स्वीकार इसलिए नहीं की है कि मैं यह समझता हूं कि आप थोड़ी गलतफहमी में हैं । इस बात से सम्बन्धित एक मामला बताता हूं कि थोड़े दिन पहले एक केस डिटेक्ट हुआ है । लोअर कोर्ट से सक्सेशन ग्रान्ट हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था । कमिश्नर ने केस एक्जामिन किया और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रेफर किया तो मालूम हुआ and ultimately it was discovered कि उसमें ओरीजिनल फाइल्स गायब कर दी हैं और गलत तरीके से सक्सेशन मन्जूर हो गया है । यह पॉवर्स कमिश्नर्स और एडिशनल कमिश्नर्स को होते हैं । इसलिए मैं समझता हूं कि आप गौर कीजिये कि इस प्रकार के केसेज़ के लिए गवर्नमेंट को काफी आवश्यकता है कि सीनियर आफिसर्स को ये पॉवर्स दिये जांय । इस बात को आप मद्दे नजर रखते हुए अपने एमेंडमेंट को वापिस ले लेंगे ।

श्री श्यामलाल गोयल—अगर आपने जो फरमाया है वैसा ही है तो मै यह अर्ज करता हूं कि क्लाज़ ९१ में "except for cases provided in section 93" और करना चाहिये अगर उससे काम नहीं चले तो ।

श्री गोपीलाल यादव—नहीं उसकी जरूरत नहीं, आप वापिस ले लें ।

श्री श्यामलाल गोयल—मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेने की गुजारिश करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि ये अपना संशोधन वापिस ले लें ।

[श्री उपाध्यक्ष]

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई ।

श्री श्यामलाल गोयल—मैं अपना एमेंडमेंट वापिस लेता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ६१ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६१ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज ६२, श्री हिम्मत सिंह ।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)— क्लॉज़ ६२ के विषय में मेरा एक बहुत मामूली सा एमेन्डमेन्ट है, संशोधन है और मैं तो उसे जहां तक है उचित ही समझता हूँ, मंत्री महोदय समझें या नहीं । मेरे एमेन्डमेंट का अभिप्राय यह है कि इसके आखरी लाइन में जो शब्द आ रहे हैं; "and may pass thereon such orders as it thinks fit" के बजाय या इसके साथ यह और जोड़ दिया जाय " in accordance with law " तो ज्यादा यह स्पष्ट हो जाता है । यह जमाना कानून की रोशनी का है और गवर्नमेंट और सरकार को अख्त्यार नहीं देना चाहिए कि वह जो फिट समझे वही हुक्म दे दे । जो कोई भी ऑडर होने चाहिये वे किसी कानून और रूल के तहत होने चाहिये । फिट तो हर कोई बात हो सकती है । किन्तु देखना यह है दुनिया की नजर में वह बात फिट है या नहीं । कानून इसलिये बनाये जाते है कि कानून की पाबन्दी और कानून का पालन करना सरकार के लिए लाजमी है । खुद ही कानून बनाये और खुद ही नहीं चले तो यह पब्लिक के लिये आपत्ति का विषय हो जाता है । तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार कानून से पाबंद होकर कार्य करने की कोशिश करेगी, इसलिए यह छोटा सा एमेन्डमेन्ट रखा है ।

श्री गोपीलाल यादव—क्या है ? what is the amendment ? पढ़ दीजिये ।

श्री हिम्मतसिंह—In the last line of clause 92—'...and may pass thereon such orders as it thinks fit', the word 'in accordance with law' be added.

इतना सा एमेन्डमेंट है ।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, यह बहुत जरुरी सा संशोधन प्रस्तुत हुआ है । मैं उचित समझता हूं कि उसका समर्थन करूं...

श्री भैरूंसिंह—वे मन्जूर कर रहे हैं।

श्री जवानसिंह—अगर मन्जूर करते हैं तो मैं अपनी जगह ले लूं।

श्री दामोदरलाल व्यास—आप तो फरमाइये।

श्री जवानसिंह—मैं यह निवेदन कर रहा हूँ माननीय उपाध्यक्ष, कि एक बहुत साधारण सा इलस्ट्रेशन, ताकि यह चीज़ बहुत ही स्पष्ट हो जायगी कि यह कितना आवश्यक है और कितना साधारण है, दूं। जैसा कि मान लीजिये कि दर्जी के यहां कपड़ा दिया जाता है बनाने के लिये। दर्जी अपनी मरजी से सीता है, वह फिट समझ कर सीता है। वह अपने लिए फिट नहीं बल्कि उसे फिट करना होगा उसके लिए जो उसके पास में आता है कपड़ा सिलाने के लिए, उसके फिट होने के लिए फिट करके देता है। यह एमेंडमेंट रखा है वह इसी उद्देश्य का है। फिट उन आदमियों के लिए, कानून की दृष्टि से फिट होना चाहिए न कि सरकार उसमें हुक्म दे रही है अपने लिहाज से फिट करते हुए। तो यह फिट वाली मामूली सी बात थी, लेकिन अगर मंत्री महोदय स्वीकार कर लेंगे तो मेरे खयाल से बहुत सी परेशानियां उनके खुद के लिहाज से कम हो जायगी। खास तौर से जनता के लिए जिन मामलों में वे उलझे हुए होंगे, जो सरकार के विचाराधीन रहेंगे उन मामलों में परेशानियां कम होंगी ही, उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए जहां तक यह एमेंडमेंट है यह बहुत ही इन्नोसेन्ट है और जहां तक न्याय और नियम को चलाना है वहां उस हिसाब से, उस दृष्टिकोण से और उस आधार से यह बहुत उचित है। जैसा कि एक साहब ने संशोधन रखा है कि कानून के लिहाज से जो भी हुक्म दे तो वह सही होना चाहिए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। अगर इस संशोधन को नहीं मानेंगे तो इसका अर्थ यह समझा जायेगा कि जो कानून की दृष्टि से सही है उसको करने में असमर्थ हैं। अगर यह चीज मानी जायेगी तो बहुत बुरा रहेगा, तो वह काम करेंगे, वह गैर कानूनी करेंगे। तो जैसा मेरा विश्वास है, जैसी उनकी धारणा होनी चाहिये कि कानून के मुताबिक सही चीज को समझ कर हर एक हुक्म को निकालेंगे। यदि ऐसी धारणा हो तो इस संशोधन को अवश्य मानना चाहिए ताकि सबको विश्वास हो जाय कि जो केसेज़ रेफर किये जायं, स्टेट गवर्नमेंट को उनमें कानून के मुताबिक सही हुक्म निकाला जायगा। यह विश्वास तभी होगा जब कि यह संशोधन स्वीकार करेंगे। हमको यह परेशानी कतई नहीं होनी चाहिये कि यह संशोधन किस तरफ से पेश किया गया है। उसका खयाल नहीं किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं समझता हूँ कि इस संशोधन पर इतनी बड़ी बहस की आवश्यकता नहीं थी। In accordance with law'equity, justice and good conscience, they are to be taken into consideration. The addition of these words is, therefore, not at all necessary.

उसका मतलब है कि बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्यवाही की जाय। And I think the hon'ble member who has put this amendment fully knows that the words 'as it thinks fit' does not mean arbitrarily. That really means in accordance with

[श्री दामोदरलाल व्यास]

law justice, equity and good conscience. इसलिये इस एमेंडमेंट की कोई आवश्यकता नहीं थी, और इतनी लम्बी बहस की जरूरत भी नहीं थी। वे जानते हैं, मेरे लायक दोस्त कि इस बात से मतलब उसका ऐसा है। इसलिये इसको विथड्रा करेंगे।

श्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर महोदय खुद समझते हैं कि "in accordance with law" होना चाहिये पर आपत्ति इस बात की है कि कागजों पर नहीं लाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि वे किसी बन्धन में बंधना नहीं चाहते। वे किसी सिवाल मच्छी की तरह निकलना चाहते हैं। जैसे मछली को पकड़ने की कोशिश करते हैं और वह निकल जाती है उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट बंधन के बाहर निकलने की कोशिश करती है। हम चाहते हैं कि वह बन्धन में कुछ आजाय, लेकिन इसको भी आप अस्वीकार करते हैं तो आपकी इच्छा है। ऐसी आशा है कि सरकार कानून के मुताबिक काम करेगी।

श्री गोपीलाल यादव—करेगी साहब। वह बन्धन की ही तरह है।

श्री हिम्मतसिंह—इसीलिये मैं इसको ज्यादा प्रेस नहीं करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या इसको वापिस लेने की सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

राज श्री हिम्मतसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाँज़ ६२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाँज़ ६३, श्री नाथूराम मिर्धा।

(अनुपस्थित)

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, इसमें एक थोड़ा सिर्फ लेंग्वेज का फर्क है और मैं इसे आपकी आज्ञा से पेश कर दूं।

Page No.68

[श्री दामोदरलाल व्यास]

"Substitute the word 'material' for the word 'substantial' occurring in line 7."

"मैटिरियल" लफ्ज लीगल फ्रेज्योलोजी है।

श्री अवनी कुमार मुखर्जी—मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ कि उनकी तरफ से आप इस संशोधन को पेश कर रहे हैं या क्या ? क्या भविष्य में और लोगों को भी इस तरह दूसरों की तरफ से संशोधन पेश करने की इजाजत दी जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने कहा 'आपकी आज्ञा हो तो' I have said these words if you have cared to listen it.

श्री उपाध्यक्ष—आज्ञा दी जाती है।

श्री दामोदरलाल व्यास—The amendment has been moved, sir.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दामोदरलालजी व्यास (राजस्व मन्त्री) ने क्लाज़ ६३ में पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय।

श्री भैरोंसिंह—यह अमेंडमेंट लिखा हुआ पेश किया है या जुबानी ही पेश किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह तो उसमें लिखा हुआ है ही, सिर्फ नाम बदला है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लाज़ ६३ में श्री दामोदरलाल व्यास ने जो संशोधन पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ ६३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज़ ६३, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लाज ६४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज ६४ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लाज ६४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

क्लॉज ६५, श्री चांदमल मेहता ।

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज ६५ पर मेरा यह अमेंडमेंट है ।

"Add the following fresh sub-clauses:—

"(2) No decree or order passed judicially by it or by any of its members shall be so reviewed except on the application of a party to the case made within a period of ninety days from the passing of the decree or order or if made after such period unless the applicant satisfies the board that he had sufficient cause for not making the application within such period.

(3) A single member vested with all or any of the powere of the Board shall not have power to alter or reverse a decree or order passed by the Board or by any member other than himself."

उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज ६५ में बोर्ड को रिव्यू पॉवर्स दिये गये हैं और उन पॉवर्स के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि यदि बोर्ड चाहे तो स्वयं रिव्यू कर सकता है या किसी पार्टी की एप्लीकेशन पर किया जा सकता है ।

कितने समय में और किन किन मामलों में रिव्यू कर सकता है, इसका इसमें कहीं उल्लेख नहीं है । मिसाल के तौर पर मैं निवेदन कर दूं । एक मामला है जो जुडिशियरी की तरफ से फैसला किया गया है, तो क्या ऐसे मामले में भी बोर्ड जब चाहे अपनी इच्छा से रिव्यू करके फैसला कर सकता है ? मेरे खयाल से ऐसे मामलों में अगर बोर्ड अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से जब चाहे फैसला करेगा तो बहुत अनुचित होगा । इसलिये मैंने अपने अमेंडमेंट में निवेदन किया है कि जो फैसला जुडिशियली किया गया है उसमें जब तक कोई पार्टी अपनी तरफ से अपील न करे तब तक बोर्ड फैसला नहीं करेगा, बोर्ड रिव्यू नहीं करेगा ।

दूसरा यह है कि बोर्ड रिव्यू करे तो किसको करे, इसके बारे में क्लेरिफिकेशन होना जरूरी है । उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन कर दूं एक फैसला बोर्ड के सदस्य ने या बोर्ड की बेंच ने किया

[श्री चांदमल मेहता]

है तो क्या अधिकार होगा कि एक सदस्य उस फैसले में परिवर्तन कर दे और एक सदस्य ने फैसला किया है तो दूसरा सदस्य उसमें रिव्यू कर सकता है। इसके लिये अमेंडमेंट पेश किया है।

मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये दोनों संशोधन मन्त्री महोदय को मंजूर होंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री श्यामलाल गोयल।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो अमेंडमेंट है वह दोनों क्लाजेज ९५ और ९६ में है और इस अमेंडमेंट के जरिये दोनों क्लॉज़ेज को एक क्लॉज ९५ ही रखने का मेरा अमेंडमेंट है।

क्लॉज ९५ में बोर्ड को रिव्यू की पॉवर्स दी गई हैं और वह इस तरह से दी गई हैं।

"The Board, of its own motion or on the application of a party to a suit or other proceeding, may review and may rescind, alter or confirm any decree or order made by itself or by any of its members."

इतने वाइड पॉवर्स कहीं भी किसी भी एक्ट में किसी को नहीं दी गई हैं। बोर्ड जो फैसला करता है किस कानून के माफिक करता है और उन फैसलों को फिर बदलने के इतने वाइड पॉवर्स बोर्ड को दे दिये जांय, इसका मतलब यह होगा कि बोर्ड के फैसलों की कोई sanctity नहीं होगी और उन्हें किसी भी वक्त बदला जा सकता है।

क्लाज ९६ जो इसके साथ है उसमें रिव्यू के पॉवर्स दिये गये हैं सबोर्डीनेट कोर्ट्स को और उनको जो पॉवर्स दिये हैं उनमें सिलेक्ट कमेटी में शब्द जोड़े गये हैं।

"An application for review under this section shall lie on any of the grounds mentioned in Rule I of order XLVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act NO.V of 1908) and the prov sionr of the said order shall, subject to the provions contained in sub-section (1), be applicable."

स्पष्ट है कि सबोर्डिनेट कोर्ट्स को जो रिव्यू के पॉवर्स हैं उनके रिव्यू के पॉवर्स के लिए किन किन सूरतों में रिव्यू किया जाना चाहिये, इसको इसमें क्लियर किया गया है। ऑर्डर नम्बर ४७ रूल १ में वही पॉवर्स दी हैं। बोर्ड को उन कन्डीशन्स से क्यों बचाया गया और बोर्ड की रिव्यू की पॉवर्स इतनी वाइड क्यों की गई, इसका न कोई कारण है और न समझ में आ सकता है।

जहां हम इतने वाइड पॉवर्स देते हैं तो क्या हम यह समझें कि बोर्ड के जो मेम्बर्स होंगे वे अपने फैसले बिना सोचे-समझे देंगे, इसलिये उनके रिव्यू की इतनी वाइड पॉवर्स दी जांय।

[श्री श्यामलाल गोयल]

यह माना जाना चाहिये कि बोर्ड के जो भी सदस्य हों वे यह समझते होंगे कि यह हाई कोर्ट की तरह से रेवेन्यू का सबसे बड़ा कोर्ट है, बिल्कुल कन्सीडर्ड फैसले देंगे। जो वे फैसले देंगे वे फाइनल होने की वजह से कन्सीडर्ड होंगे और आसानी से बदले नहीं जाने चाहिये। अगर उनको ऐसा अधिकार देते हैं कि बिना किसी लिमिटेशन के वे अपने फैसलों को बदल देते हैं तो रेवेन्यू केसेज में जिसको हाइएस्ट अोथेरिटी मानते हैं उसके फैसले भी किसी वक्त आसानी से बदले जा सकेंगे और वही नतीजा होगा जैसा कि अक्सर हाउस में कहा जाता है और हम सुनते आए हैं, कि ऊपर से दबाव डाला जाता है और फैसले ऊपर के दबाव से बदले जाते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट को जो रेवेन्यू बोर्ड से किन्हीं मामलों में बहुत ऊपर है उनके लिए भी इसके लिए आर्डर ४७ में रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं और उसके अनुसार उनको पॉवर्स होंगे। मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट से भी ज्यादा वाइडर पॉवर्स तो किसी भी सूरत में रेवेन्यू बोर्ड को क्यों दिए जाने चाहिए। इसलिए मैंने यह एमेन्डमेंट रखा है। इसके लिए श्री चांदमलजी ने भी दो संशोधन पेश किये हैं। उनमें से एक का तो समावेश इसमें हो जाता है। पार्टीज़ को ९० दिनों में रिव्यू करना चाहिये क्योंकि क्लॉज़ ९६ का सब क्लॉज़ (४) यह है :

"(iv) No order affecting any question of right between private persons shall be reviewed except on the application of a party to the proceedings, and no application for the review of such order shall be entertained unless it is made within ninety days from the passing of the order."

इसके आगे लिमिटेशन बढ़ाई जाने के लिए सफीशिएन्ट कॉज़ बतावें तो लिमिटेशन के लिए आगे और बढ़ाया गया है विदइन ९० डेज़ और सफीशिएन्ट कॉज़। अगर आप क्लॉज़ देखें तो उसमें यह मौजूद है :

"The provisions of the Indian Limitation Act, 1908 (IX of 1908) shall apply to all applications for review under this Act." लिमिटेशन एक्ट में यह प्रोविजन मोजूद है और कोर्ट को यह अधिकार है। उन्हीं उसूलों को मद्दे नजर रखते हुए मेरा संशोधन यह है कि in the marginal heading of clause 95 add the words, figures and brackets and other Courts—(1) at the end.

तो इसके बाद क्लॉज ९५ का जो मारजिनल नोट है वह हो जावेगा :

"96. Review by the Board and other Courts.—(1)" इसके बाद "delete the figures 96 and the marginal heading, words 'Review by other Courts' occurring in the beginning of clause 96."

Page No.72

[श्री श्यामलाल गोयल]

तो ९६, "Review of other courts" हो जाने से यह क्लॉज़ ९६ हट जावेगा और उसके मार्जिनल नोट का क्लॉज़ ९५ में समावेश हो जावेगा "Sub-clauses (1) and (2) of clause 96 be renumbered as sub-clauses (2) and (3)."

यह जरूर हो जाता है। क्लॉज ९६ में।

"In the beginning of sub-clause (2) as so renumbered after the word 'Every' insert the word 'other' and in the thirdl ine insert the words 'decree' or before the word 'order.'

इसमें "एवरी रेवेन्यू कोर्ट" एन्ड "ऑर्डर", ऐसा प्रोविजन है। जब हम यह लिखते हैं तो ओरिजिनल हालत वही रहती है। जब हमने क्लॉज ९५ में ही यह रख दिया है तो दूसरी जो क्लॉज़ ९६ है उसमे एवरी अदर रेवेन्यू कोर्ट हो जायगा।

इसमें ये शब्द और बढ़ाने की जरूरत होगी because the Board is not separate from a Revenue Conrt. जिन उसूलों पर ८६ और ८७ में जहां ऑर्डर है उसके आगे 'डिक्री' शब्द भी जोड़ने को प्रोविजन है उसी प्रकार इसके आगे भी "In parts (ii), (iii) and (iv) of the proviso to sub-clause (2) as renumbered the words 'decree or' be inserted before the word 'order' wherever it occurs".

और इसमें जगह जगह जहां पर "ऑर्डर" लिखा है the words 'decree or' shall precede. e. g. no order- will read as:

'no decree or order...'

वहां पर 'डिक्री' और 'आर्डर' होने की जरूरत है। यह मेरा एमेंडमेंट है। मैं आशा करता हूँ कि यह मेरा एमेंडमेंट माननीय मंत्री महोदय जरूर स्वीकार करेंगे और मैं यह भी आशा करता हूँ कि कभी भी रेवेन्यू बोर्ड के पॉवर्स हाई कोर्ट के पॉवर्स से ज़्यादा नहीं रखेंगे।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, जो संशोधन मेरे मित्र श्री श्यामलालजी गोयल ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। रिव्यू बाइ दी बोर्ड और रिव्यू बाइ अदर कोर्ट्स इनको मिलाकर एक बनाना भी जरूरी है। दूसरी बात यह है कि रिव्यू का एक ही क्लॉज हो तो :

"An application for review under this section shall lie on any of the grounds mentioned in Rule 1 of order XLVII of the First Schedule to the C.P.C."

यह अगर नहीं दिया हुआ होता तब तो यह चीज इम्प्लाइड होती कि ४७ के सिद्धान्त ही इस पर लागू होंगे लेकिन जब यह नहीं रखा गया तो ४७ से सिर्फ अदर कोर्ट पाबन्द होंगी और

[श्री गोपीलाल यादव]

रेवेन्यू बोर्ड नहीं होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि जो संशोधन मेरे मित्र ने रखा है वह सही है और क्लॉज़ ९५ बनाया जावे और बाकी सारा ४७ की तहत गवर्न हो जावेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय भी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मैं इसको स्वीकार करता हूं। यह बहुत आवश्यक संशोधन है। इसमें श्री चांदमलजी का पहला संशोधन अपने आप आ जाता है। सेकिन्ड एमेन्डमेंट आपका (श्री मेहता का) क्या है ?

श्री चांदमल मेहता—"(3) A single member vested with all or any of the powers of the Board shall not have power to alter or reverse a decree or order passed by the Board or by any member other than himself."

श्री दामोदरलाल व्यास—When an application for review under this section shall lie on any of the grounds mentioned in C.P.C. than the question of taking up this amendment does not arise. Provisions of C.P.C. will apply to all Cases of review.

जब ४७ में रख दिया है तो उसमें सब बातें आ जाती हैं। श्री श्यामलालजी का जो अमेन्डमेंट है उसको वैसा का वैसा मानता हूं।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपने दोनों संशोधन लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री मेहता को अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्यामलाल ने रखा है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

Page No.74

[श्री उपाध्यक्ष]

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ९५ और ९६, संशोधित रूप में, जो एक नया क्लॉज़ बना है, वह विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ९५ और ९६ संशोधित रूप में एक नये क्लॉज़ के रूप में विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये

(विराम)

क्लॉज़ ९७

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ९७ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ९७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रकरण ६– भूमि/क्लॉज़ ९०, श्री हिम्मतसिंह अटरू ।

राज श्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ९८ के बाबत मेरे दो अमेन्डमेन्ट्स हैं । एक तो इस तरह से है कि "Dalete the word 'lands' occurring in the I line between the words 'roads' and 'paths' " और दूसरा है कि "Delete the words 'all standing and flowing water' occurring in the fourth line, "

क्लॉज़ इस तरह से है...

श्री त्रिवेणी श्याम—मैंने भी अमेन्डमेन्ट दिया था और जो लिस्ट में आ जाना चाहिये था ।

(विराम)

श्री दामोदरलाल व्यास—वे कह रहे हैं कि कल अमेन्डमेन्ट पेश किया था ।

Page No.75

श्री उपाध्यक्ष—आप (श्री हिम्मतसिंह) कम्प्लीट कर दीजिये।

राज श्री हिम्मतसिंह—दिये होंगे। मैं तो अपने अमेन्डमेन्ट्स के बाबत अपने विचार प्रकट करूंगा।

लाइन १ में दर्ज है...

"All public roads, lands, paths, bridges and..."

और फिर आगे लाईन ४ में आया है "and all lands wherever situated"; तो दो दो जगह लैन्ड का जिक्र आ गया है इसलिए उचित तो यही मालूम होता है कि फर्स्ट लाइन में जो लैंड शब्द आ गया है उसको निकाल देने से क्लॉज का मतलब वैसा का वैसा बना रह जाता है क्योंकि लाइन फोर में भी यह है।

"All lands wherever situated"

और उसका भी वही मतलब निकलता है जो कि पहली लाइन में 'लैंड' शब्द आया है, उससे निकलता है।

दूसरा अमेन्डमेन्ट यह है कि "All standing and flowing water"

'स्टेन्डिग एन्ड फ्लोइंग वाटर' के बाबत तो कई शंकायें पैदा होती हैं। कुओं का पानी भी स्टेन्डिग वाटर में आ सकता है और तो फिर कुओं का पानी भी सरकार का ही माना जायगा। स्टेन्डिग वाटर बरसात का भी हो सकता है जो खड्डों में भर जाता है, तो वह भी सरकार का ही माना जायगा। वह किसी की प्रोपर्टी तो है नहीं लेकिन इसी तरह से कि किसी की प्रोपर्टी में वह हो तो फिर क्या वह बरसाती पानी भी सरकार का ही माना जायगा और उस पानी को कोई काम में नही ला सकेगा? इसलिए मैं समझता हूं कि यहां 'स्टेन्डिग एन्ड फ्लोइंग वाटर' शब्द बे-माने से मालूम होते हैं और उनको डिलीट कर दिया जाना चाहिए।

"All rivers, streams, nallas, lakes and tanks, all canals andwater courses..."

जो गवर्नमेंट में वे उनके रहने चाहिए। पानी बहता है वह गवर्नमेन्ट की प्रोपर्टी माना जाता है, वह सफिशियेन्ट है। इसलिये इन शब्दों को यहां से डिलीट कर दिया जाना चाहिये।

श्री गोपीलाल यादव—संशोधन तो अच्छा है।

श्री त्रिवेणी श्याम—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें क्लॉज़ एक और एड करने के लिये मेरा अमेंडमेंट है कि सब क्लॉज़ (४) के बाद इसका एक्जीक्यूशन किस तरह से हो यह इसमें कहीं प्रोवाइड नहीं कर रखा हैऔर जब तक एक्जीक्युशन के लिए कोई प्रोविजन नहीं होगा ये सब क्लाज़ेज़ बेकार हो जाते है । ये सब हो जाने के बाद कौन उस आर्डर को एन्फार्स करेगा ? तो ऐसी सूरत में इसमें एक सब क्लॉज़ और एड होना जरूरी है और उस नये सब क्लॉज़ को एड करने के बारे में मेरा संशोधन है जो इस प्रकार है

"After sub—clause (4) the fllowing may be inserted : " (5) Any order passed under sub-- section (1) or sub—section (2) shall be enforceable by the Collector in the prescribed manner.

यह मेरा संशोधन है । इतने सारे क्लॉज़ेज़ में इतने सारे फैसले करने के बाद कौन उनको एन्फोर्स करेगा, जब तक यह नहीं रखते हैं तब तक ये सब क्लाज़ेज़ बेकार हो जाते है इसलिये इसका होना निहायत जरूरी है और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इसकी अहमियत को समझते हुए इसको मंजूर कर लेंगे, वरना यह सारा क्लाज़ बेकार हो जायगा ।

श्री जवान सिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं, अभी हाल ही में जो संशोधन पेश हुआ, उससे पूर्व जो संशोधन पेश हुए उनके समर्थन में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं । जैसा कि उन्होंने फरमाया, Mr Deubty sheaker कि "लैंड" शब्द दो जगह इस्तेमाल किया गया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—I may say that in clause 98 subclause (1), line the word 'lnads is a misprjnt for 'lanes,' It may be corrected. It is not 'lands' but 'lanes

श्री जवान सिंह—तो अब मुझे आगे जो 'लैंड' शब्द है उसके सम्बन्ध में निवेदन है । एक 'लैंड' का तो "लन्स' हो जाता है, अब दूसरे शब्द "लैंड्स" रह गई हैं which are not the property of individuals or body of persons" उनके विषय में निवेदन करना है और वह इस प्रकार है कि जो "एन्ड" शब्द आगे रखा गया है

"All public roads, paths, bridges, and ditches, all fences on or beside the same, all rivers, streams, nallas, lake and tanks, ail canals and 'water courses, all standing and flowing water and all lands wherever situated"

इन तमाम के लिए यह adjectival क्लॉज़ लागू होना चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है क्यों कि जितनी भी नाले हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेन्स है, ये लोगों की प्रापर्टी भी हो सकती हैं और सरकार की भी प्रोपर्टी हो सकती हैं । अब इन दोनों में डिस्टिन्क्शन इसलिए करना है कि धारा अनसेफ न बन जाय; जहां स्ट्रीम्स लिखा है, गवर्नमेंट की प्रोपर्टी भी हो सकती है और प्राइवेट

[श्री जवानसिंह]

इन्डिविजुअल की भी स्ट्रीम्स हो सकती हैं, तो उनके लिए अगर इस 'एन्ड' शब्द को नहीं हटाते हैं तो वे ही उपयुक्त शब्द रहेंगे। यानी 'All canals and water courses, all standing and flowing water"

इसके आगे "एन्ड" शब्द रखा गया है। अगर इस 'एन्ड' शब्द को हटा दिया जाय तो आगे के शब्द क्लियर हो जाते हैं कि "All lands wherever situated, which are not the property of..." and so on.

यह एडजेक्टाइवली क्लॉज़ है। "एन्ड" शब्द के हटा देने से जितनी भी रोड्स, ब्रिज वगैरह हैं वे क्वालिफाइ हो सकेंगी और अगर यह "एन्ड" शब्द रह जाता है तो यह क्वालिफाइ करेगा स्टेट की प्रापर्टी, "lands wherever situated"

जो दूसरों की मिल्कियत है और सरकार की नहीं है उसको भी यह शब्द क्वालिफाई करेगा, इसलिए इस 'एन्ड' शब्द को हटना जरूरी है, नहीं तो चाहे इन्डीविजुअल की प्रापर्टी हो चाहे स्टेट की प्रोपर्टी हो; वह तमाम स्टेट की प्रोपर्टी मानी जायगी। इसलिए इसको साफ करने के लिए फोर्थ लाइन में से "एन्ड" शब्द को हटा देना चाहिए ताकि जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है वह ठीक अर्थ रख सकेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, जो अमेन्डमेन्ड माननीय श्री त्रिवेणी श्यामजी ने पेश किया है उसको स्वीकार करता हूँ, वह आवश्यक है। दूसरा अमेन्डमेन्ड जो कोटा के सदस्य ने पेश किया है उसके लिए अर्ज करता है कि पहला शब्द लैंड है वह तो छपाई की गल्ती है और 'lanes' शब्द के बजाय 'land' छपा है, लेन्स हो गया। दूसरा जो डीलिट करने का है इन शब्दों को 'all standing and flowing water" इस बारे में तो वे खुद भी महसूस करते हैं कि डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से उनके रहने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता है और उनको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है।

मैं इस क्लॉज़ में जो दो अमेन्डमेन्ट्स हैं उनमें से श्री त्रिवेणी श्यामजी के अमेन्डमेन्ड को स्वीकार करता हूँ।

श्री हिम्मतसिंह—मेरे दो अमेन्डमेन्ट्स है, उनमें से एक तो क्लेरिकल मिस्टेक के कारण मन्जूर हो गया, दूसरा जो "एन्ड" शब्द हटाने का है वह भी मैं समझता हूँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है इसको भी निकाल दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—"All standing and flowing water and all lands..."

श्री हिम्मतसिंह—"All standing and flowing water and......"

Page No.78

श्री दामोदरलाल व्यास—ग्रामेटिकली यहां "एण्ड" शब्द का रहना जरूरी है।

श्री हिम्मतसिंह—मेरा एक अमेन्डमेन्ट जो क्लेरिकल मिस्टेक मान कर स्वीकार हो गया। इस अमेन्डमेन्ड का जो दूसरा पार्ट है उसके लिये मैं प्रेस नहीं करना चाहता इसलिये वापिस लेने की इजाजत के लिए सदन से प्रार्थना करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—जो संशोधन श्री हिम्मतसिंह ने "लेन्स" की जगह "लेन्ड्स" छप गया उसके लिए रखा है, उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया

(विराम)

इस अमेन्डमेन्ट के पार्ट (बी) को श्री हिम्मतसिंह वापिस लेना चाहते हैं, क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई

श्री हिम्मतसिंह—मैं अपना संशोधन का पार्ट (बी) वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री त्रिवेणीश्यामजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६८ संशोधित रूप में विधेयक में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६८ संशोधित रूप से विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज ६९ श्री चांदमल मेहता।

Page No.79

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में मेरे तीन संशोधन हैं। मैं सिर्फ तीसरे संशोधन को ही मूव करना चाहता हूँ जो इस प्रकार है :

"Delete the explanation occurring at the end of the proviso."

उपाध्यक्ष महोदय, इस पर जो एक्स्प्लेनेशन दिया गया है इस क्लॉज़ के अन्त में वह इस इस प्रकार हैं;—

"EXPLANATION—In this section minerals include any sand or clay which the State Government may declare to have commercial value or to be required for any public purpose."

उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज के माफिक सरकार की जब इच्छा हुई मिट्टी को मिनरल्स करार देकर उस पर टेक्स लगा सकती है। अगर कोई वह मिट्टी ले जाता है तो उस पर जुर्माना कर सकती है और वह जुर्माना कोई साधारण जुर्माना नहीं। वह जुर्माना पचास रुपये प्रति टन से लेकर एक हजार रूपया तक कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रकार के केस लगाने का सवाल हैं मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले हमें यह उसूल तय कर लेना चाहिये कि हम किस प्रकार का टेक्स लगायें। मैं इस सम्बन्ध में थोड़ी सी चर्चा नमक टेक्स की करना चाहता हूं। जब नमक पर टेक्स लगाया गया तो महात्मा गांधी ने कहा था कि यह पानी से बनता है इसलिये पानी से बनने वाली किसी भी चीज पर टेक्स लगाना कतई उचित नहीं होगा। उसी के कारण आंदोलन चला और नमक पर टेक्स उठ गया। इससे सरकार को भारी नुकसान हुआ, फिर भी चिन्ता नहीं की गई लेकिन जब यह उसूल मान लिया गया कि पानी, मिट्टी और हवा इन पर किसी किस्म का टेक्स नहीं लगाया जायगा। आज इसी प्रकार का प्रश्न हमारे सामने है। जिस चीज को हमने एक उसूल मान लिया, लाखों रूपयों की आमदनी को ठुकरा दिया और उसी विचार धारा को हमें अपने सामने रखना है जो कि महात्मा गांधी ने हमको दी है। इस धारा के अन्तर्गत आप किसी भी मिट्टी को मिनरल करार देकर उस पर टेक्स लगा सकते हैं। महात्मा गांधी ने जिस उसूल को हमारे सामने रखा कुछ वर्ष पहले उसी के कारण नमक सत्याग्रह चला और सरकार को नमक पर टेक्स हटाना पड़ा। उसी उसूल को मद्दे नजर रखते हुए मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ के एक्स्प्लेनेशन के अन्त में जो शब्द हैं उनको निकाल देने को स्वीकृति देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, यह जो अमेन्डमेंट एक्स्प्लेनेशन को डिलीट करने का माननीय सदस्य ने रखा है इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि यह एक्स्प्लेनेशन आवश्यक है और जिस तरीके से माननीय सदस्य ने इसको इन्टरप्रेट किया है वास्तव में वह भावना इस क्लॉज की नहीं है। सरकार की मिट्टी पर टेक्स लगाने की भावना हो, वास्तव में ऐसी बात नहीं। इस प्रकार की क्ले या सेन्ड जिसकी कॉमर्शियल इम्पोर्टेन्स हो उस पर यह क्लॉज़ एप्लाई करेगा, जैसा कि इसमें साफ लिखा है :

[श्री दामोदरलाल व्यास]

"In this section 'minerals' include any sand or clay which the State Government may declare to have a commercial value or to be required for any public purpose."

तो मैं नहीं समझ पाया कि कौन सी मिट्टी पर टेक्स लगाने का माननीय सदस्य फरमा रहे हैं। यहां जो मिट्टी होगी जिसको कोमर्शियल पर्पज़ के लिये उपयोगी माना जायगा उसी से यह सम्बन्ध रखता है। यह तो माननीय सदस्य को भी पता है कि कई प्रकार की मिट्टी होती है जिसको कोमर्शियली बहुत इम्पोर्टेन्स मिली हुई है; यह क्लाज उसी मिट्टी से ताल्लुक रखता है ओर्डिनरी बालू आदि से इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया वह मुझे बिल्कुल ही सन्तोष देने वाला नहीं है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान अभी अभी एक इसी प्रकार की चीज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें रोयल्टी का ठेका दिया गया। वह ठेका था बालू का। यहां जो 'सेन्ड' शब्द इस्तेमाल किया गया वह भी बालू का ठेका था। आम तौर पर जो बालू होती है। जो आम तौर पर यह बहुत होती है उसका ठेका, उसकी रॉयल्टी इस आधार पर दी गई कि कोई आदमी बालू को लेजा नहीं सकता। यदि कोई ले जायगा तो उस पर प्रति गधा बोझ और प्रति गाड़ी टेक्स लिया जायगा। अभी कुछ दिनों पहले इसी टेक्स के विरोध में किशनगढ़ में गधों का एक शानदार जुलूस निकाला गया था जो देखने काबिल था। अब यहां माननीय मंत्री यह फरमा रहे हैं कि जिस मिट्टी को कोमर्शियल परपज के लिये समझा जायगा उसी पर टेक्स लिया जायगा। मैं यह कहता हूँ कि आप कोमर्शियल परपज किस प्रकार तय करेंगे कि फलां फलां चीजें इस प्रकार है। अगर इस प्रकार का क्लेरिफिकेशन कर देते तो मुझे अपने अमेन्डमेंट को प्रेस करने की आवश्यकता नहीं रहती। मैं इस क्लॉज में जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है, उससे सहमत नहीं हूं। इसलिये माननीय राजस्व मन्त्री से मैं यह निवेदन करूंगा कि वे इस पर एक बार पुनर्विचार करें और सोच कर अपना निर्णय दें।

श्री जवानसिंह—ओन ए प्वॉइन्ट ऑफ एक्स्प्लेनेशन, सर, जो टेक्स लगा था वह प्रति गधा था या प्रति गधा बोझ था।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि यह मन्शा कभी नहीं है। बालू पर अगर टेक्स लगा है तो हो सकता है कि कहीं गलती हो गई है। इस कानून की मन्शा नहीं कि मिट्टी या बालू पर टेक्स लगाया जाय। इसमें यह साफ है कि कॉमर्शियल चीज हो; जैसे माइन्स वगैरह तो उस पर टेक्स लगाने का सवाल है। बालू का प्रश्न नहीं है। किशनगढ़ में कुछ हुआ होगा तो मेरे खयाल से कहीं कुछ गलती हुई होगी। बाकी कानून और किशनगढ़ का कोई सम्बन्ध नहीं है। इस कानून की मन्शा साफ है। ऐसे प्लेसेज़ जो कॉमर्शियल वेल्यू की है व पब्लिक परपज़ की मानी जायंगी।

Page No.81

[श्री दामोदरलाल व्यास]

This is entirely related to mines etc. which are of commercial importance value मगर इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस लेलें।

श्री चांदमल मेहता—माननीय मन्त्री महोदय के आश्वासन को इस ढंग से समझते हुए कि बालू या पिली मिट्टी आम तौर पर आम जनता के इस्तेमाल में आती है और उसके ऊपर कोई टेक्स नहीं होगा, मैं अपने संशोधन को वापिस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(प्रस्ताव स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ९९ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ९९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज १००, श्री हिम्मतसिंह।

श्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड १०० के बाबत मेरे छोटे से एमेन्डमेंट्स है:—

"Sub-clause (1) : Substitute the words 'Gram Panchayats' for the words 'State Government' occurring in line 3."

Substitute the words 'and Gram Panchayat' for the words 'State Government' in sub clause (4), line 3."

पेमेन्ट ऑफ लेन्ड रेवेन्यू और रेन्ट की लायेबिलिटी के बाबत यह क्लॉज़ इस बिल में आया है। वैसे तो यह कहना चाहिये कि पुराने जमाने के माफिक, अंग्रेजी राज्य और सामन्तशाही के माफिक तो यह क्लॉज़ बिल्कुल उचित है, लेकिन इस डेमोक्रेसी के अन्दर जब कि हम पाश्चात्य देश के डेमोक्रेसी की नकल कर रहे हैं, उसको देखते हुए इस तरह का क्लॉज़ इस बिल के अन्दर

[श्री हिम्मतसिंह]

आना एक आश्चर्य की बात है ? हर जगह डेमोक्रेसी में काश्तकारों के ऊपर लेन्ड रेवेन्यू या रेन्ट नहीं लेते हैं, और जहां तक मेरा खयाल है एग्रिकलचर इनकम टेक्स के रुप में गवर्नमेंट उनसे यह कर वसूल करती है। जब हमने माना है कि यह जमीनें जो काश्तकारों के खाते में हैं वे उनकी मिल्कियत हैं। वह उनको रहन व बैय भी कर सकते हैं। जब उनको उसके ऊपर आपने स्वामित्व दे दिया, ऐसी सूरत में इस जमाने में लगान वसूल करना इस रुप में इस डेमोक्रेसी के राज्य में सही नहीं मालूम होता है और जहां तक मेरा खयाल है कि यहां भारतवर्ष में भी ऐसा ही सुझाव रखा गया है कि यह रेवेन्यू सिस्टम खत्म किया जाय और इसके बजाय एग्रिकलचर इनकम टेक्स लगाया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—अगले १५ साल में खत्म कर दिया जायगा, बाद में...

श्री हिम्मतसिंह—जल्दी करिये खत्म।

पंचायतों को यह अधिकार दिलाने का तात्पर्य मेरा यह है कि पंचायतों को भी सेल्फ गर्विनग बोडी बनाने का प्रोवीजन कॉन्टीट्यूशन में रखा है। कॉन्टीट्यूशन के आर्टीकल ४० में दर्ज है:

"The state shall take steps to organise village Panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government."

जब तक यह लगान पंचायतों को वसूल करने का और उनको उपयोग के लिए यह नही दिया जायगा मैं नहीं समझता कि पंचायतें सैल्फ गवर्निंग बोडीज़ कैसे बनेंगी ? इधर हम सैल्फ गवर्निंग बोडीज़ बनाने की तजवीज करते हैं उधर उनके लिए कोई साधन मुकर्रर नहीं करते कि जिससे वे अपना कार्य चला सकें। इसलिए निहायत जरूरी है कि लगान जो कि उन्हीं के काम आना चाहिए वह उन्हीं के लिए छोड़ा जाय और सरकार अपना काम चलाने के लिए एग्रीकलचर इनकम टैक्स के रूप में कर वसूल करे। इन बातों को लेते हुए मैंने यह एमेंडमेंट, संशोधन, पेश किया है और जमाने को देखते हुए मैं यह समझता हूँ कि यह बहुत ही उचित है। इधर देखा जाय तो सरकार की भी यही नीति है कि ग्रामोद्धार होना चाहिए। ग्रामोद्धार के लिए सरकार लोन्स लेकर लोन्स बांट रही है और डेवलपमेंट वर्क्स में और फाइव इअर प्लान में यहां बहुत रुपया खर्च हो रहा है। इसमें ज्यादा रुपया गांव वालों के हिस्से में नहीं आता है और वैसे ही तनख्वाहों में और खर्चों में चली जा रही है। दरअसल जब तक रकम गांव वाले अपनी खुद की नहीं समझेंगे, वे इसको ठीक तरह से काम में लाना नहीं सीखेंगे तब तक गांव का उद्धार किसी हालत में नहीं हो सकता। जब उनको यह निश्चय हो जायगा कि लगान जो हमारा ही है और हम ही इसको लेंगे तब उसका सदुपयोग करना भी सीखेंगे, और उसके अन्दर ज्यादा इन्ट्रेस्ट लेंगे और अपनी उन्नति ठीक तरह से कर सकेंगे ? यह बाटल फीडिंग का जो तरीका अख्त्यार किया गया है इससे ग्रामों की उन्नति होना बड़ा कठिन काम है। इन्हीं बातों को लेते हुए मैंने यह एक संशोधन रखा है कि यह जो लैंड रेवेन्यू और रेन्ट है यह

[श्री हिम्मतसिंह]

सरकार ग्रामों के लिए छोड़ दे और एग्रिकलचर इनकम टेक्स लगाकर और कार्य सरकार रियासत का चलावे। मैं आशा करता हूं कि इस जमाने को देखते हुए और जो बदल रहा है जमाना उसको ध्यान में रखते हुए यह मेरा संशोधन अवश्य स्वीकार करेंगे।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १०० के ऊपर जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है उसका समर्थन करने के वास्ते मैं खड़ा हुआ हूँ। हमारे विधान के डाइरेक्टिव प्रिंसीपल्स में यह बात स्पष्टतया स्वीकार की गई है कि हमें शनैः शनैः पंचायत राज्य की तरफ अग्रसर होना है, और हमारे देश में सबसे छोटी या प्राइमरी युनिट जो होगी वह पंचायत की होगी। तो जब हम पंचायत राज्य एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम जितने भी जमीनों के अधिकार हैं और जमीनों पर लगान वाली बात है वह हम पंचायतों को हैन्डओवर कर देवें और जमीनों पर लगने वाले रेंट्स हैं वे हम पंचायतों को हैंड ओवर कर देवें। एक जमाना था जब यहां विदेशी हुकुमत थी और वह हुकूमत गांवों को या पंचायतों को अपना नहीं समझती थी और जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा किये बैठी थी। मगर अब परिस्थिति बदल चुकी है। हमारा अपना राज्य है, हमारी अपनी पंचायतें हैं। पंचायतें और गवर्नमेंट विभिन्न चीजें नहीं हैं कि जिनके वास्ते गवर्नमेंट यह महसूस करे कि यह जमीनें हमारी है; इसलिए हम रेंट ले लेंवे, यह बात तो है नहीं। बल्कि सबसे प्राथमिक यूनिट हैं वे हमारे देश में पंचायतें ही हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि जमीनों का स्वामित्व पंचायतों का मान कर पंचायतों को यह अधिकार दे दिये जावे जैसा कि टिनेन्सी एक्ट में हमने रखा था और माना है कि जमीनों का रेंट पंचायतें ही वसूल करें, और यह एक बिलकुल वाजिब बात भी होगी।

आखिर गवर्नमेंट क्या है, वह भी तो जनता की बनाई हुई है, फिर गवर्नमेंट अपने लिये क्यों महफूज रखे, पंचायतों के ऊपर भी छोड़ना चाहिये। जब हम इस तरह से पुराने लैंड सिस्टम को अबोलिश करने जा रहे हैं और लैंड रिफोर्म्स करने जा रहे हैं तो इस रिफोर्म का हो जाना आवश्यक है। रहा सवाल यहां की गवर्नमेंट के पास आमदनी के साधन रहने का, तो इसके लिये यह है कि पंचायतों के पास जो रेंट की रकम इकट्ठी होगी उसमें एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स इम्पोज कर दें, छोटी पंचायतों पर तो नहीं परन्तु एक आमदनी मुकर्रर कर दें कि इससे ज्यादा मूल आमदनी जिस पंचायत की होगी उस पर एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स इस तरह लागू होगा।

पंचायतों पर यह काम छोड़ देने से सरकार का काम भी बहुत हल्का हो जायगा जिससे सरकार और उन्नति के कार्यों की ओर ज्यादा ध्यान दे सकेगी। आखिर हमें पंचायतों को भी स्वावलम्बी बनाना है। अगर हमें पंचायती राज्य अपने देश में कायम करना है तो यह बिल्कुल जरूरी बात होगी कि गांवों की जमीनों का स्वामित्व गांवों का, गांवों की पंचायतों का माना जावे और गांवों की पंचायतें वहां की लैंड रेवेन्यु वसूल कर लें और गवर्नमेंट द्वारा जो एक आमदनी निर्धारित की जाय उसके हिसाब से एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स ले ले।

[रावत श्री शम्भूसिंह]

यह सही बात है कि जनता का राज्य है, जनता के पास आमदनी के साधन रहने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय इसे अवश्य स्वीकार करेंगे और विधान में जो हमारे निर्देशार्थक प्रिन्सिपल्स हैं उनकी तरफ यह एक बहुत बड़ा कदम होगा। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य द्वारा रखा गया संशोधन अवश्य स्वीकार कर लिया जायेगा।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे काबिल मित्र ने जो संशोधन रखा वह तो बड़ा सुन्दर है कि जितना रुपया पंचायतों के पास आ जाय उतना ही अच्छा है, पर सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यह है कि गवर्नमेंट का काम कैसे चलाया जाय और जागीरदारों को मुआवजा भी कैसे दिया जाय? क्योंकि सब से पहला सवाल तो यह है कि जागीरों को जमीनें गवर्नमेंट ने ली हैं। अगर लैंड रेवेन्यू सरकार सभी ग्राम पंचायतों को सौंप दे तो जागीरदारों को गवर्नमेंट मुआवजा कहां से दे। अगर पंचायतों को लैंड रेंट्स लेने के अधिकार दे दें तो वही प्रिंसिपल जागीरदारों पर भी लागू होगा कि वे बगैर किसी प्रकार का मुआवजा लिये ही जागीरें सौंप दें।

पर मेरे मित्र जागीरदार साहबान हैं उन पर यह हार्डशिप हो जायगी, इस संशोधन को पास करने से, उनको अपने आप ही जागीरें छोड़नी पड़ेंगी बिना कम्पेन्सेशन लिये। इसलिए जागीरदार साहबान की मदद करने के लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार न किया जाय।

गवर्नमेंट के लिए कुछ साधन जरुरी होते हैं, अपना शासन चलाने के लिए, काम चलाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, स्कूलें खोलने के लिए। ये सारी चीजें पंचायतों के पास नहीं रह सकतीं और न पंचायतें इन सब चीजों को कर ही सकती हैं। हां, यह जरुरी चीज है कि पंचायतें, जिला बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड इनके सुपुर्द काम दिया जाता है और इनका खर्चा चलाने के लिए मामूली चीजों पर टैक्स लेने का भी अधिकार दिया जाता है, पर साथ ही अगर वह रकम थोड़ी हो, तो बतौर एड के गवर्नमेंट अपने द्वारा वसूल की हुई रकम में से थोड़ा थोड़ा सब को देता है। अगर यह सारा का सारा रुपया पंचायतों को दे दिया जाय तो बड़ा कनफ्यूजन हो जायगा और न वे इतना रुपया रख ही सकेंगी। फिर यह झगड़ा पैदा होगा कि २० परसेंट ग्राम पंचायतें अपने पास रखें, इतना परसेंट डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोर्ड को दे दें और इतना परसेंट गवर्नमेंट को दें।

तो यह ठीक है कि जितनी लोकल बोडीज़ हैं वे खुद अपने पैरों पर खड़ी हों और कुछ छोटे छोटे टैक्सेज़ वे वसूल करें; पर इतने में काम न चले तो गवर्नमेंट को सहायता देनी ही पड़ती है।

तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि जागीरदारों की मदद के लिए भी और गवर्नमेंट की मदद के लिए भी मेरे मित्र अपने संशोधन को वापिस ले लें।

श्री जवानसिंह— माननीय उपाध्यक्ष, अभी जो संशोधन पेश किया गया है वह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। यह सरकार को यह सिखाता है कि वह अपने दृष्टिकोण को बदले और नया कदम ले तरक्की की तरफ और प्रजातन्त्रीय शासन का वास्तविक रूप देने के लिये इस प्रकार का कदम उठाये।

अभी इस पर चर्चा करते हुए यह राय पेश हुई कि न यह फीज़िबल है और न यह जागीरदारों के लिये मुफीद होगा। यह कहने के लिये कह दिया गया है, जहां तक जागीरदारों के मुफीद होने का सवाल था, वह तो उनके कहने में हो खत्म हो गया। अगर सरकार को जागीरदारों के लिये मुफीद और हानिकारक होने का इस तरह का ख्याल होता तो शायद जागीरों को लेने का सरकार का दृष्टिकोण ही नहीं होता। पर सरकार ने जागीरदारों के फायदे की नहीं सोची। तो इसलिये जागीरदारों के फायदे में नहीं होगा, वह जो कहा गया है यह ठीक नहीं।

रहा फिज़िबिलिटी का सवाल। तो क्या वाकई में यदि ऐसा संशोधन स्वीकार कर लिया तो क्या सरकार के सामने ऐसी परिस्थिति आ जावेगी कि शासन नहीं चल सके? आज सरकार की जितनी इन्कम है, जितनी लैंड रेवैन्यु है वह पटवारी वसूल करते हैं और वहां से इकट्ठा होकर वह सरकार के पास जाता है। पंचायत एक्ट में इस चीज को स्वीकार कर लिया है कि पटवारी ग्राम पंचायतों के नौकर रहेंगे और उनके वेतन की ग्राम पंचायतों से देने की व्यवस्था कर दी है।

जब हम इस चीज को मानते हैं कि पटवारी सारे प्रान्तों की इन्कम को इकट्ठा करते हैं तो इसमें हमारे यहां क्या परेशानी होगी? रकम इकट्ठी कर के पंचायतों के खजाने में भेज देते हैं तो इसमें क्या दिक्कत आयेगी?

गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, यह बात कही गई। इसके लिये मैंने निवेदन किया कि हमारे सोचने का तरीका, हमारे शासन का तरीका है उसको बदलना होगा, अगर हम वास्तव में प्रजातान्त्रिक शासन कायम करना चाहते हैं। वहां जो इन्कम इकट्ठी होगी उस रकम में से ग्राम पंचायतें अपने खर्च निकाल कर उस प्रोपोर्शन का वह हिस्सा ऊपर भेज देंगी, गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वह पैसा एडमिनिस्ट्रेशन के काम में खर्च कर सकती है। इसमें फायदा यह होगा कि हर एक ग्राम पंचायत और ग्राम के निवासी इस बात को महसूस करेंगे कि अपनी तरफ से पैसा इकट्ठा करें और पंचवर्षीय योजना में खर्च किया जावे। पंच वर्षीय योजना के लिये पैसा इकट्ठा करने के लिये हमें कोशिश करनी पड़ती है कि यह आपका ही काम है और आपकी उन्नति के लिये ही यह तमाम काम करना पड़ता है। इसमें लोगों को समझाने के लिये पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में जितना खर्च करना पड़ता है कि वह लोगों को यह समझायें कि यह आपका ही काम है और आपके फायदे में है, ऐसी सूरत में आपको इस कार्य के लिये कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि लोग खुद यह महसूस करेंगे कि हमको अपनी तरक्की में ही अपना पैसा खर्च करना है। मेरे ख्याल से ऐसा करने से खर्च भी कम हो जावेगा और तरक्की भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी।

[श्री जवानसिंह]

इसलिये मैंने यह बताया है कि शासन को बदलने का एक तरीका है, इस पर ध्यान देना चाहिये। यह कोई चीज नहीं है। यह चीज पुराने जमाने में बहुत महत्वपूर्ण चीज रही थी, यहां तक कि अशोक के वक्त में भी ऐसी चीज होती थी। या तो एक ग्राम या ग्रामों के समूह बनाये जाते थे और वहां से इन्कम इकट्ठी होती थी और खजाने में जमा करा दी जाती थी। उसको हम चाहे ग्राम पंचायत एक्ट में दें या न दें, यह मैं नहीं चाहता। लेकिन उस जमाने में वे लोग भेजते थे और वह रकम सरकारी खजाने में जमा कराते थे और बाद में वह रकम किसी भी प्रकार से खर्च करनी होती थी, करते थे। यह कोई नई चीज नहीं है। इस पर आपको विचार करना होगा, अगर हम वास्तव में प्रजातन्त्रीय शासन कायम करना चाहते हैं।

अब रहा प्रश्न यह कि आप इस चीज को करने में घबराते क्यों हैं? हमारे प्रधान मंत्री श्री नेहरू तो डाइनेमिक स्टेप्स लेने की बातें किया करते हैं और वह इसलिये किया करते हैं कि उनको लंबे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। हमारी सरकार भी डाइनेमिक स्टेप्स ले और एक नमूना रखे कि ग्राम पंचायतों के कारण हमारा खर्च कम हो रहा है और इनकम बढ़ रही है।

अब प्रश्न यह रहा कि आप उनको अधिकार क्यों नहीं देना चाहते? क्या आपका यह खयाल है कि वे ज्यादा खर्च कर देंगे या वे रकम वसूल नहीं कर पावेंगे? यह आपका भय निरर्थक है क्योंकि ग्राम पंचायतें ग्राम के आदमियों से बनी होती है और वे ज्यादा उचित तरीके से रकम वसूल कर सकते हैं।

अब इस चीज को भूलना पड़ेगा कि ग्राम पंचायतों में, या म्युनिसिपल बोर्ड में और सरकार में ऐसा भेद-भाव तो नहीं है जो विरोध के रुप में खड़ों रहती है। इसलिए इस चीज को भी देखना है। पुराने जमाने में ग्राम पंचायतों को विशेष महत्व दिया जाता था। किसी जमाने में ये दोनों चीजें सरकार से अलग रही हों, ग्रामों का इन्ट्रेस्ट और सरकार का इन्ट्रेस्ट दूसरा रहा हो तो वह कई वर्ष पहले रहा होगा लेकिन आज वह चीज नहीं रही है। हमारे हित, ग्रामों के हित और शहर के हित एक है और वह है जनता की सेवा करना। अगर सरकार कोई काम करती है तो जनता की सेवा के लिए करती है और तमाम खर्च जो किया जाता है वह इसी दृष्टि से किया जाता है कि उससे पब्लिक की सेवा हो सके। अब सरकार को यह शंका पैदा हो सकती है कि जो काम करेंगे वह पब्लिक के हित में होंगे या नहीं या ग्राम पंचायतें जो खर्च करेंगी, सरकार के प्रतिकूल होंगे; इससे सरकार को शंका पैदा हो सकती है।

इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह निवेदन करुंगा कि हमें इस संबन्ध में बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए। अगर वास्तव में हमें आगे बढ़ाना है तो हमें इस प्रकार का कदम अवश्य लेना चाहिये, चाहे वह कितना ही डायनोमिक हो या फन्डामेंटली डिफरेन्सेज का हो।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं समझता था कि यह बहुत ही मामूली एमेंडमेंट था मगर इस पर बहुत बड़ी बहस हो गई। गवर्नमेंट रेन्ट वसूल न करें, इसका समर्थन ऐसे लोगों से हुआ है जिन्होंने ज्यादा लगान वसूल करने के हक में संघर्ष किया है। जहां तक पंचायतों का ताल्लुक है यह अच्छा होता यदि वह एमेंडमेंट पंचायत एक्ट में लाते। इसके अलावा इससे पहले हमने क्लाज मंजूर किया है जिसमें दर्ज है कि "All lands belong to the Government" उस लिहाज से रेन्ट का मालिक Government को माना जाना चाहिये।

पंचायतों के अधिकार और उपयोगिता के बारे में जो बातें माननीय सदस्य सिरोही से आने वालों ने कहीं उस संबन्ध में दो रायें नहीं हो सकतीं। वे सेवा ज्यादा कर सकती हैं, मगर इसका इस सेक्शन से कोई सम्बंध नहीं। अतः मैं इस एमेंडमेंट का समर्थन करने में असमर्थ हूं। मैं समझता हूँ कि यह एमेंडमेंट गलत जगह पर पेश किया गया है। यह एमेंडमेंट पंचायत एक्ट में पेश होना चाहिये था मगर गलती से कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य सोच-समझ कर इसको वापिस ले लेंगे।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—माननीय उपाध्यक्ष, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैं उधर की तरफ से यह सुन रहा हूँ। आशा तो यह कर रहा था कि वे ८० प्रतिशत गांवों के रहनेवाली प्रजा के लिए और सुविधाएं तजवीज करेंगे लेकिन मालूम यह होता है कि उन बेचारे ८० प्रतिशत हम जैसे गांव के रहनेवालों के लिए उनके हृदय में कोई स्थान नहीं है। सिर्फ आपको ८० प्रतिशत लोगों के लिए लिप सिम्पेथी होती है। कहने के लिये कहते हैं कि हम गांवों का उद्धार करना चाहते हैं, दर असल करना कुछ नहीं चाहते। अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनको आमदनी और उन्हीं का पैसा उनके लिए छोड़ जाते। अमरिका जैसे कन्ट्री में रेन्ट का नाम नहीं और उसी की नकल तो हम डेमोक्रेसी में कर रहे हैं और अब बजाय इसके कि काश्तकारों से एग्रीकल्चर इनकम टेक्स लिया जावे, अब रेन्ट वसूल करना चाहते हैं। आप उनके पास कुछ पैसा नहीं छोड़ना चाहते। ऐसा मालूम होता है कि आप उनको हमेशा के लिए मंगते के मानिंद करना चाहते हैं। आप यह चाहते हैं कि वे हमेशा सरकार के मुंह की तरफ ताकते रहें और इसी काबिल रहें। क्या सरकार की यह इच्छा है कि वे सरकार के मुंह की तरफ झांकते रहें, मंगते बने रहें। क्या सेल्फ गवर्निंग बोर्ड्स बनाने की यही मंशा है। हमारे एक मित्र ने बहुत ही लाइटली विरोध किया है कि जागीरदारी हित के लिए यह एमेंडमेंट है जो वाजिब नहीं है। जागीरदारों का हित तो आप पहले ही कर चुके हैं और अब क्या करना चाहते हैं।

श्री भरूसिंह (वि. सं.–६६)—अब खुद का हित है।

श्री हिम्मत सिंह—खुद का हित देखना चाहते हैं। शहर के रहनेवाले खुद का हित देखना चाहते हैं, और यह चाहते है कि गरीबों के पैसे शहरों पर खर्च किये जावें।

[श्री हिम्मतसिंह]

और काश्तकारों के हित में कुछ भी खर्च नहीं किया जावे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि माननीय मंत्री महोदय ने इसको लाइटली खत्म कर दिया और ऐसा जवाब दे दिया। सिर्फ आपने यह कह दिया कि जमीन की मालिक गवर्नमेंट है, हमारे शरीर की भी मालिक गवर्नमेंट है, जमीन की तो है। आखिरकार गवर्नमेंट है क्या चीज़ ? हम ही से गवर्नमेंट बनी हुई है ? पिपुल्स की गवर्नमेंट है, पिपुल्स ही से गवर्नमेंट बनती है, पिपुल्स ही से गवर्नमेंट है; उससे कोई पृथक नहीं है। तो यह कह दिया कि जमीन काश्तकारों की नहीं है जो बड़े ताज्जुब की बात है। एक तरफ तो उनको अधिकार देते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि जमीन बिलोंग टू दी स्टेट। परस्पर विरोधी बातें हैं। स्टेट में तो वह तब आयगी जब कि वह लावारिश होगी। जब तक उसका वारिश मौजूद है तब तक जमीन काश्तकारों की है। आपका यह कह देना कि गलत स्थान पर संशोधन पेश कर दिया, मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। मुझे तो आशा थी कि सरकार जरूर इसको स्वीकार करती; लेकिन विचित्र बात है कि उधर से कान में डाट लगा कर इधर की बातें सुनने की फुरसत नहीं। कान में तेल डाल दिया है, सुनना पसन्द नहीं करते। वे न करें पसन्द लेकिन जमाना बदलता जा रहा है। लोग बात सुनावेंगे और जो रेन्ट है वह काश्तकारों के लिए छोड़ना पड़ेगा।

श्री त्रिवेणी श्याम—आप इसको वापिस ले लें।

श्री राज हिम्मतसिंह—क्या, ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप गलत समझ गये।

श्री त्रिवेणी श्याम—आयन्दा एन्फोर्स करेंगे। आप इसको वापिस ले लें।

श्री हिम्मतसिंह—मैं वापिस ले लूं। मैं तो डिवीजन कराऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अमेन्डमेंट जो श्री हिम्मतसिंह ने क्लॉज़ १०० पर रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री हिम्मतसिंह—Ayes have it, sir

श्री मथुरादास माथुर—Noes have it, sir

श्री दामोदरलाल व्यास—Noes have it, sir

श्री हिम्मतसिंह—Ayes have it, sir

श्री उपाध्यक्ष—Do you want division ?

श्री हिम्मतसिंह अटरू—Yes, Sir

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो २ संशोधन श्री हिम्मतसिंह ने प्रस्तुत किये हैं क्लाज़ १०० पर उनको स्वीकार किया जाय ?

(पुनः मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री हिम्मतसिंह—Ayes have it, sit

(राज्य पक्ष की ओर से "Noes have it, sir" की आवाज एवं हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास—अब तो आप इसको देख लो।

श्री हिम्मतसिंह—जोरदार आवाज भी हमारी है और उधर से फिर हमारे पक्ष में आ जावेंगे।

(हंसी)

श्री मथुरादास माथुर—शो हेन्ड्स से इनको कर लें।

श्री हिम्मतसिंह—यह काश्तकारों के हक की चीज़ है।

श्री उपाध्यक्ष—Members will rise in their places and they will be counted.

श्री हिम्मतसिंह—काउन्टिंग करवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष—Do you press for counting ?

श्री दामोदरलाल व्यास—It is quite clear.

('हाँ' पक्ष वालों की गणना से ११ सदस्य 'हाँ' के पक्ष में खड़े हुए)

श्री हिम्मतसिंह—Full team

श्री उपाध्यक्ष—Noes ?

श्री दामोदरलाल व्यास—How many more teams yon want ?

श्री हिम्मतसिंह—you are all spectators

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह क्वान्टिटी से नहीं क्वालिटी से फैसला होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—11 in favour and 32 against. The amendment is lost.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०० विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १०० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

राजस्थान गौशाला विधेयक, १६५४ की प्रवर समिति के सदस्यों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—एक गौशाला विधेयक पर प्रवर समिति बनाई गई है उसके सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :

१. सम्बन्धित मंत्री (राजस्व मंत्री)

२. एडवोकेट जनरल

३. श्री चांदमल मेहता

४. श्री मोतीराम

५. श्री उदयलाल वर्दिया

६. श्री शिवदानसिंह

७. श्री भैरूंसिंह खाचरियावास

८. श्री मोहब्बतसिंह

६. श्री भगवानसिंह तरंगी

१०. श्री भवानीसहाय शर्मा

११. श्री घासीराम गुप्ता

(अल्प विराम के अनन्तर)

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं एक नाम का और सुझाव करता हूँ। इसमें श्री मुक्तिलालजी मोदी का नाम रखा जाय। गोशाला का मामला है, इसमें उनकी दिलचस्पी भी है।

("भैरूसिंह जी हैं" ऐसी आवाज)

श्री मथुरादास माथुर—मुक्तीलालजी मोदी की सेवायें तो हाउस के सामने प्रस्तुत होंगीं ही, इसलिये श्री एच. के. व्यास उसको प्रेस न करें क्योंकि उनको श्री बुल्गालिन की विज़ीट में इधर उधर काम करना पड़ेगा !

उपाध्यक्ष महोदय, २८ तारीख के सिलसिले में....

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसके लिए पहले तारीख निश्चित हो जाय। The resolution will be incomplete unless it also specifies the date by which the report will be submitted.

श्री उपाध्यक्ष—किस तारीख तक ? By the end of the present session. अन्तिम दिवस तक लिखा है इसमें।

(विराम)

यह समिति अपना प्रतिवेदन इस सत्र के अन्त तक प्रस्तुत करेगी, by the end of the present session.

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भविष्य के कार्य-क्रम सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री मथुरादास माथुर—उपाध्यक्ष महोदय, २८ तारीख को वर्किंग डे है इसलिये इस दिन छुट्टी रखी जाकर नेक्स्ट सेटर्डे को उसकी बजाय सदन की कार्यवाही रखी जाय और सोमवार तारीख ३० को मीट किया जाय।

श्री जवानसिंह—नेक्स्ट सेटर्डे को भी छुट्टी रख दी जाय तो क्या एतराज है ?

श्री मथुरादास माथुर—यह जस्टिफिकेशन नहीं होगा इसलिये मेरा यह निवेदन है कि तारीख २८ के बजाय नेक्स्ट सेटर्डे को मीट कर लिया जाय। इससे एक्सचेकर को भी लोस नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष—सोमवार को अधिवेशन नहीं होकर दूसरे सप्ताह शनिवार को होगा बजाय सोमवार के। कल के बाद हम ३० तारीख को मीट करेंगे।

Page No.92

श्री मथुरादास माथुर—२६ तारीख को "हरिजन डे" है इसलिये सब व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में जायेंगे, इसलिये दूसरे दिन आने में देरी होगी। अतः ३० तारीख को सभा की कार्यवाही शाम को रखी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—३० तारीख को शाम को चार बजे मीट करेंगे।

(सदन की बैठक १२ बज कर ३५ मिनट मध्यान्ह पर दिनांक २५ नवम्बर, १६५५ के ८ बजे प्रातः तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा-भवन,　　　　　　　　　　　　मनसाराम पुरोहित

जयपुर,　　　　　　　　　　　　　　　　　सचिव,

दिनांक -२४ नवम्बर १६५५　　　　　　　　राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट

(कृपया प्रश्न संख्या ३१ का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या	नाम समिति	ऋण जो दिया गया
१	दुधावा कॉपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट समिति	५३११)
२	बालोतरा बहुधन्धी सहकारी समिति	६५५०)
३	मजहल बहुधन्धी सहकारी समिति	३६००)
४	पातों का बाड़ा बहुधन्धी सहकारी समिति	६८००)
५	फूलसा बहुधन्धी सहकारी समिति	६०५०)
६	राखी बहुधन्धी सहकारी समिति	५०००)
७	मियों का बाड़ा बहुधन्धी सहकारी समिति	४४००)
८	सिवाना बहुधन्धी सहकारी समिति	७०००)
९	कोठड़ी बहुधन्धी सहकारी समिति	१६००)
१०	मोतीसरा बहुधन्धी सहकारी समिति	१८००)
११	चिराड़िया बहुधन्धी सहकारी समिति	१५००)
१२	रमणिया बहुधन्धी सहकारी समिति	१८००)
१३	कुसीप बहुधन्धी सहकारी समिति	४५००)
१४	रामसीन बहुधन्धी सहकारी समिति	३५००)
१५	मोकलसर बहुधन्धी सहकारी समिति	७०००)
१६	समदड़ी बहुधन्धी सहकारी समिति	४५००)
१७	खेजड़ियाली बहुधन्धी सहकारी समिति	८०००)
१८	अजीत बहुधन्धी सहकारी समिति	६५००)
१९	देवन्दी दन्ताला बहुधन्धी सहकारी समिति	४०००)

समितियों की सूची जिला बाडमेर (जोधपुर डिविजन)

क्रम संख्या	समिति का नाम	हैड क्वार्टर
१	भाचमर कॉपरेटिव सेल एन्ड सप्लाई समिति	भाचमर
२	कवास को० सैल एन्ड सप्लाई समिति	कवास
३	वायूथ कॉपरेटिव सेल एन्ड सप्लाई समिति	वायूथ
४	दोहरीमाना कॉपरेटिव सेल एन्ड सप्लाई समिति	दोहरीमाना
५	जसौल कॉपरेटिव सेल एन्ड सप्लाई समिति	जसौल
६	दी असाडा किसान कॉपरेटिव सेल एन्ड सप्लाई समिति	असाडा
७	लीलसर कॉपरेटिव सेल एन्ड सप्लाई समिति लीलसर	लीलसर
८	भौनिया कॉपरेटिव सेल एन्ड सप्लाई समिति	भूणिया
९	पचपदरा कॉपरेटिव सेल एन्ड सप्लाई समिति	पचपदरा
१०	वार्ड नंबर ३ बाडमेर कॉपरेटिव सेल एन्ड सप्लाई समिति	बाडमेर
११	दी रिफ्यूजी हरिजन कॉपरेटिव थ्रिफ्ट एन्ड क्रेडिट समिति	बाडमेर
१२	दुधावा कॉपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट समिति	दुधावा
१३	सिन्ध खतरी रिफूजी कॉपरेटिव हैन्ड डाइंग क्लॉथ समिति	बाड़मेर
१४	शरणार्थी सहकारी साल्त समिति	समदड़ी
१५	शिवकर कॉपरेटिव थ्रिफ्ट एन्ड क्रेडिट समिति	शिवकर
१६	सिहानी उत्पादक सहकारी विवरण समिति	सिहानी
१७	बाडमेर उत्पादक कॉपरेटिव विविरण समिति	बाडमेर
१८	श्री सांभरा खारवाल नमक उत्पादक सहकारी समिति	पचपदरा
१९	बालोतरा बहुधन्धी सहकारी समिति	बालोतरा
२०	रामसीन बुनकर उत्पादक सहकारी समिति	रामसीन
२१	बालोतरा बुनकर उत्पादक सहकारी समिति	बालोतरा
२२	बालोतरा कनसारा उत्पादक सहकारी समिति	बालोतरा
२३	श्री खतरी रंगाई व छपाई उत्पादक समिति	बाडमेर

क्रम संख्या	समिति का नाम	हैड क्वार्टर
२४	मजल बहुधन्धी सहकारी समिति	मजल
२५	पातों का बाडा बहुधन्धी सहकारी समिति	पातों का बाडा
२६	फूलन बहुधन्धी सहकारी समिति	फूलन
२७	राखी बहुधन्धी सहकारी समिति	राखी
२८	मियां का बाडा बहुधन्धी सहकारी समिति	मियों का बाडा
२९	सिवाना बहुधन्धी सहकारी समिति	सिवाना
३०	कोठड़ी बहुधन्धी सहकारी समिति	कोठड़ी
३१	मोतीसरा बहुधन्धी सहकारी समिति	मोतीसरा
३२	चिराड़िया बहुधन्धी सहकारी समिति	चिराड़िया
३३	रमणिया बहुधन्धी सहकारी समिति	रमणिया
३४	कुलीप बहुधन्धी सहकारी समिति	कुलीप
३५	बाड़मेर चमड़ा रंगाई उत्पादक सहकारी समिति	बाड़मेर
३६	सराना बुनकर उत्पादक सहकारी समिति	सराना
३७	गडरा रोड बुनकर सहकारी समिति	गडरा रोड
३८	रामसीन बहुधन्धी सहकारी समिति	रामसीन
३९	मोकलसर बहुधन्धी सहकारी समिति	मोकलसर
४०	समदड़ी बहुधन्धी सहकारी समिति	समदड़ी
४१	कोटड़ी बहुधन्धी सहकारी समिति	कोटड़ी
४२	खेजड़ियाली बहुधन्धी सहकारी समिति	खेजड़ियाली
४३	अजीत बहुधन्धी सहकारी समिति	अजीत
४४	देवन्दी दन्ताला बहुधन्धी सहकारी समिति	देवन्दी
४५	समदड़ी उत्पादक सहकारी समिति	समदड़ी
४६	रामपुरा बहुधन्धी सहकारी समिति	रामपुरा
४७	डीडस बहुधन्धी सहकारी समिति	डीडस

Page No.96

क्रम संख्या	समिति का नाम	हैड क्वार्टर
४८	जानियाना बहुधन्धी सहकारी समिति	जानियाना
४९	रातड़ी अर्थनड़ी बहुधन्धी सहकारी समिति	अर्थनड़ी
५०	मौडियावास बहुधन्धी सहकारी समिति	मौडियावास